लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 14-5-
Fumigated
On 3.11.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

अंक ११—सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९—१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९—१९२९

स्थगन प्रस्ताव—

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९—३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०—३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१—३२

राज्य सभा से सन्देश . . . . १९३२—३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् . . . . . १९३३—३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४—५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १९५७—६८

अंक १२—मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४—२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६—७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८—७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २०८०—८१

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३
अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२००	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना	२२०८-०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९-१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण	२२१०-११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११-१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि	२२१६-१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका	२२५१—५८
अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९००	२२५९—८१

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२ — २२८१—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६ . — २२८७—२३४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना — २३५०—५१

सभा का कार्य . — २३५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . — २३५१—५२

इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य . — २३५२—५३

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . — २३५३—६३

आय कर विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . — २३६३—८०

श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार — २३८०—८१

कार्य मंत्रणा समिति—

छियासठवां प्रतिवेदन . — २३८१

कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा . — २३८१—८६

दैनिक संक्षेपिका . — २३८७—९५

अंक १५—शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५ . . — २३९७—२४२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९ . . . — २४२०—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२ . — २४३९—२५०२

निधन संबंधी उल्लेख . . . — २५०३—०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — २५०४—०५

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . — २५०५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . — २५०५

सभा का कार्य . . . . — २५०६

श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में . . — २५०६, ४०—४३

कार्य मंत्रणा समिति—

छियासठवां प्रतिवेदन — २५०६—०७

विषय	पृष्ठ
आय कर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०७—१५
खंड २ से १२ .	२५१५—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	२५२१
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . .	२५२१—२५
पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प तथा	
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२५२५—४०
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प .	२५४०
दैनिक संक्षेपिका	२५४४—५३
अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ .	२५५५—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ .	२५८४—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ .	२५९१—२६४०
संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य .	२६४०—४३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६४४
दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु	२६४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४४
राज्य सभा से संदेश .	२६४४
विशेषाधिकार	२६४५, ७२—७३
धार्मिक न्यास विधेयक .	२६४५
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२६४५
विधेयक पुरस्थापित—	
१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक	२६४५
२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . .	२६४६

आय कर विधेयक २६४६--६६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
खंड १३ से २६८ और अनुसूची १ से ५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . . २६६९--७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३--८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५--९१

अंक १७--मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२९, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६९३--२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४--२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१--७५

स्थगन प्रस्ताव--

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दिया जाना २७७६--७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७--७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८--७९

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७९

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१--

पुरःस्थापित . . . २७७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . २७८०--९४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७९४--२७२९

दैनिक संक्षेपिका . २८३०--३६

अंक १८--बुधवार, ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७--६१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६९ से १०९७ . .	२८६१--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २९११ .	२८७८--२९४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना	२९४१-४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२९४२-४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अठास्सीवां प्रतिवेदन	२९४३
सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . .	२९४३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ .	२९४३--४८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव .	२९४८--७३
बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२९७३--९३
दैनिक संक्षेपिका	२९९४--३००३
अंक १९--गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ और १११५ से १११७	३००५--२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, ११११, १११३, १११४ और १११८ से ११२७	३०२६--३६
अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ .	३०३६--७६
अविश्वास का प्रस्ताव	३०७६--७८
पटल पर रखे गये पत्र . .	३०७८-७९
कुछ अंशों का निकाल दिया जाना	३०७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३०८०
विधेयक पुरस्थापित--	
(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक .	३०८०
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक	३०८०

विषय पृष्ठ

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३०८०—९३

खंड २ से ४ और १ . . . . . . ३०९८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ३०९८—३१०६

समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—

विचार करने के प्रस्ताव . . . ३०९४—९७

खंड १ और २ . . . . . ३०९७

पारित करने का प्रस्ताव ३०९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . . ३१०६—०७

प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३१०६—०७

भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव ३१०७—१९

मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३११९—२२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३१२३—२९

अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७ . . . . ३१३१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७ . . . . . ३१५४—६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९ . . . . . ३१६०—३२१७

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ३२१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना . . ३२१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२१८

सभा का कार्य . . . . . ३२१९—२०

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित . . . ३२२०

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित . . . ३२२१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३२२१—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठ्ठासीवा प्रतिवेदन ३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुरःस्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३६
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन् का)--परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३६--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)--विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1210 (Ai) LS—10-10-61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१
९ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केंद्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्था

†*१०९८. { +
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्था की स्थापना में, जिसके लिये कोई प्रतिष्ठान ने कुछ अनुदान दिया है; क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस में कुल कितना व्यय होगा और प्रतिष्ठान ने कितना अनुदान दिया है; और

(ग) संस्था का ठीक ठीक क्षेत्र व कार्य क्या होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हैदराबाद में केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्था को चालू करने के लिये अस्थाई रूप से भवन छांट लिया गया है । राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह उस भवन को लेकर भारत सरकार को सौंप दें ।

संस्था के प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी गई है और भारतीय तथा विदेशी दोनों कर्मचारियों को भरती करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1207(Ai) LSD—1.

आशा है कि संस्था का पहला पाठ्यक्रम जनवरी १९६२ से आरम्भ हो जायेगा ।

(ख) भारत सरकार तथा फोर्ड फाउंडेशन दोनो मिलकर इस योजना पर धन व्यय करेंगे । अनुमान है कि भारत सरकार का अंश हैं लगभग २ लाख रुपये प्रति वर्ष होगा । १९६१–६२ वर्ष के लिये आय-व्ययक में २,८५,००० रुपये स्वीकार किये गये । फोर्ड-फाउंडेशन ने पहले पांच वर्षों के लिये ६,००,००० डालर का अनुदान स्वीकार किया है ।

(ग) संस्था की मुख्य कार्य वाहियां निम्नलिखित हैं :—

(१) छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय छोटे पैमाने के उद्योग संगठन और राज्य सरकार के उद्योग विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं में सुधार ।

(२) छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये अपेक्षित संचार सामग्री, विषय वस्तु, तथा अध्यापन पद्धति का अध्ययन करना तथा भारत और विदेशों में इसी प्रकार का अध्ययन करने वाले संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना ।

†**श्री राधा रमण :** इस प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्तियों को भरती किया जायेगा और भरती का तरीका क्या होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** फोर्ड फाउन्डेशन अनुदानों के अधीन चार अथवा पांच विदेशी विशेषज्ञ आयेंगे । इन विदेशी विशेषज्ञों के अधीन चार अथवा पांच हमारे निदेशक काम सीखेंगे । इन निदेशकों की भरती हमारे अन्य टैक्नीकल अफसरों की भरती के समान पदों का विज्ञापन करके चुनाव बोर्ड के द्वारा की जायेगी ।

†**श्री राधा रमण :** क्या राज्य भी व्यय का कोई भाग वहन करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग ८० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिन में राज्य सरकारों के भी कुछ अधिकारी होंगे । राज्य सरकारें अपने अधिकारियों के व्यय अपने आप वहन करेंगीं ।

†**श्री राधा रमण :** प्रशिक्षण लेने वाले इन अधिकारियों की भरती करने के लिये सरकार ने प्रदेश वार अथवा राज्यवार इनकी भरती की कोई योजना बनाई है अथवा यह भरती एक सार्वजनिक केन्द्र द्वारा होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह भरती राज्य-वार अथवा प्रदेश वार होगी ?

†**श्री राधा रमण :** उनकी संख्या क्या होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** आधे वर्ष में ४० तथा पूरे वर्ष में ८० ।

†**श्री नागी रेड्डी :** इसमें भाग लेने वाले विदेशी टैक्नीशियनों को कितना पारिश्रमिक दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** फोड फाउंडेशन अनुदान में से पारिश्रमिक दिया जायेगा और हमें इसका पता उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद ही लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि इस इन्स्टिट्यूट के लिये जो अधिकारी भरती किये जायेंगे उन के लिये क्या नियम रक्खे जायेंगे। क्या वे स्टेटवाइज़ भरती किये जायेंगे या सारे देश से योग्यता के आधार पर लिये जायेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा मैंने बतलाया, वे स्टेटवाइज़ लिये जायेंगे। उन को इस सम्बन्ध में कुछ कड़ी योग्यता दिखलानी होगी। जो इस में काबिल समझे जायेंगे उन्ही को लिया जायेगा।

†**डा० सुशीला नायर :** यह संख्या कहां पर स्थापित होगी ? क्या फोर्ड फाउन्डेशन अपने विशेषज्ञों पर उसी आधार पर धन व्यय करेगा जिस आधार पर अन्य विदेशी विशेषज्ञों पर धन व्यय होता है अर्थात् हमें विशेषज्ञों के अतिरिक्त व्यय तथा वेतन आदि पर धन व्यय करना होता है तथा शेष व्यय विदेश वहन करते हैं अथवा फोर्ड फाउंडेशन अपने विशेषज्ञों पर आन्तरिक और विदेशी दोनों प्रकार धन व्यय करेगा।

†**श्री मनुभाई शाह :** संस्था हैदराबाद में स्थापित होगी। फोर्ड फाउंडेशन विदेशी व्यय वहन करेगा और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया उन पर भारत में होने वाला व्यय हम करेंगे।

†**डा० सुशीला नायर :** भारत द्वारा कितना धन व्यय किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कर्मचारी तथा अन्य चीजों पर व्यय में केन्द्रीय सरकार २ लाख रुपया प्रति वर्ष देगी।

†**श्री नागी रेड्डी :** फोर्ड फाउंडेशन इस संस्था का कितना धन देगा ?

†**श्री मनुभाई शाह:** कुल रुपया ३० लाख है। इसमें विषेशज्ञों, यंत्र तथा विभिन्न अन्य सामग्रियों का व्यय भी शमिल होगा।

†**श्री नागी रेड्डी :** फार्ड फाउंडेशन द्वारा दिये गये अनुदान के अतिरिक्त इस संस्था पर कुल कितना धन व्यय किया जा रहा है।

†**श्री मनुभाई शाह :** यह अतिरिक्त अनुदान होगा। फोर्ड फाउंडेशन ने बहुत से वायदे किये हैं। शिक्षा मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय आदि से।

मंगला बांध

***११०१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचारपत्रों में यह समाचार निकला है कि मंगला बांध बनाने के लिये पाकिस्तान ने विदेशों से टेंडर मांगे हैं और अक्तूबर में वह उस पर निर्णय भी करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी वास्तविकता जानने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) अब तक सुरक्षा परिषद् को इस सम्बन्ध में भेजे गये विरोध-पत्रों का क्या परिणाम रहा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) और (ख). जी हां। ऐसे समाचार पाकिस्तान के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुये हैं।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा में ३० नवम्बर, १९६० को प्रस्तुत अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ३० नवम्बर, सन् १९६० को इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था उसमें कहा गया था कि हिन्दुस्तान की ओर से सुरक्षा परिषद् में कोई विरोधपत्र नहीं भेजा गया, और अभी, जैसा माननीय सभा सचिव जी ने बतलाया, उस का निर्माण कार्य जारी है। तो क्या कारण है कि इस बीच में सुरक्षा परिषद् से विरोध नहीं प्रकट किया गया ?

श्री सादत अली खां : तीन बार हम ने इस मामले में सिक्योरिटी कौंसिल के सामने प्रोटेस्ट किया है, और हमारी यह सारी प्रोटेस्ट्स यूनाइटेड नेशन्स के जो दूसरे मेम्बर्स वहां पर थे उन के पास सर्कुलेट हुई। इस से ज्यादा तो कोई ऐसी बात हमें मालूम नहीं है जिस पर गौर किया जाय।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार सुरक्षा परिषद् को विरोध पत्र भेजते भेजते इतनी थक गई है कि अब कोई और विरोध पत्र नहीं भेजना चाहती है ? और यदि नहीं भेजना चाहती है, तो क्यों ?

श्री सादत अली खां : थकने का सवाल नहीं है। सारा काम जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वह इल्लीगल है, और पोजीशन यह है कि वह टेरिटरी हमारी है। हम उसे हासिल करेंगे सुलह से, अमन से। वहां जो कुछ वह कर रहे हैं अब तक वह सब गलत कर रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी माननीय सभा सचिव जी ने बतलाया कि हम उस को हासिल करेंगे, तो क्या जब बांध पूरा बन जायेगा उस के बाद हम उस को हासिल करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री सादत अली खां : जिस तरीके से भी वह वक्त आयेगा, उसे किया जायेगा। हमारे प्रधान मंत्री ने इस मसले पर कई बार हाउस में कहा है।

श्री अ० मु० तारिक : पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने फरमाया है कि वह हमारा इलाका है और हम उसे हासिल करेंगे। इस का तो मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस बांध को बनाते बनाते जिन काश्मीरियों को बेघर किया गया है और जिन लोगों की जायदाद को मिस्मार किया गया है, उन की जायदाद का मुआवजा दिलाने के लिये हुकूमत क्या कदम उठा रही है, और क्या इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से कोई प्रोटेस्ट किया गया ?

श्री सादत अली खां : जो लोग भी वहां घर से बेघर हो रहे हैं वह पाकिस्तान का दर्द सिर है।

श्री अ० मु० तारिक : सवाल यह है कि वह हमारे वाशिन्दे हैं, वह हमारी सरजमीन है और वहां के लोगों को गोलियों से मारा गया है, उन को पकड़ा गया है और उन की चीज पर कब्जा किया गया है, उन की जायदादें जब्त की गई हैं।

श्री सादत अली खां : आज यह इलाका हमारे कब्जे में नहीं है। जैसा मेरे लायक दोस्त जानते हैं जो लोग वहां पर हैं और उन पर जो मुसीबतें गुजर रही हैं उन से हम वाकिफ हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि यह बांध जहां पर बन रहा है, उसके लिये कितनी धरती एक्वायर की गयी है, कितने गांवों को उजाड़ा गया है और कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है।

श्री सादत अली खां : मुझे इसका पता नहीं है। अकसर खबरें अखबारों से हमको यहां मिलती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : इस इलाके में अकवाम मुतहिदा के आब्ज़र्वर हैं और उनका यह फर्ज़ है कि वे देखें कि लोगों पर जुल्म न हों, लोगों की जायदादें न छीनी जायें, हिन्दुस्तान के बाशिन्दों पर गोलियां न चलाई जाये। अगर यह सब वाकयात दुरुस्त हैं और लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, लोगों की जायदादें छीनी गई हैं तो हुकूमते हिन्दुस्तान ने अकवाम मुतहिदा के साथ इस मसले पर क्या कार्रवाई की है और अकवाम मुतहिदा ने क्या जवाब दिया है ?

श्री सादत अली खां : मैंने अर्ज़ किया है कि तीन बार हमने अकवाम मुतहिदा का ध्यान इस तरफ दिलाया है। वहां जो आबृजर्वर हैं वे सीज़ फायर लाइन की हिफाजत के लिये हैं। मैं नहीं समझता हूं कि वहां के अन्दरूनी मामलात में वे दखल दे सकते हैं।

पुनर्वास मंत्रायलय के छंटनी किए गये कर्मचारी

+

†११०६. { **श्री अरविन्द घोषाल** : / **श्री दी० चं० शर्मा** : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारियों के लिए नौकरियां ढूंढ़ने के लिए सचिवों की कोई त्रिसदस्यीय समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की नियुक्ति के बाद अब तक कितने कर्मचारियों को नौकरियां दी जा चुकी है ?

†**पुनर्वास उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है परन्तु यह निर्णय किया गया था कि पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने के सभी प्रयत्न किए जायें। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के उपाय पुनर्वास सचिव, मंत्रिमंडल सचिव और गृह सचिव के परामर्श से बनाये जा रहे हैं।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु हमारी सूचना यह है कि अधिकांश छंटनी किए गए कर्मचारियों की भर्ती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है अथवा कर्मचारियों को अपने प्रयत्नों से अन्य नौकरियां मिल गई है।

†**श्री अरविंद घोषाल** : क्या मंत्रालय पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किए गए कर्मचारियों के आंकड़े रखता है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : श्रीमान्, मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यतः छंटनी चीफ सैटलमेंट कमिश्नर के कार्यालय में हुई है। जून, १९६१ के अन्त तक ३,५३२ कर्मचारियों को नोटिस दिए गये थे जिनमें से २,८८६ कर्मचारियों की छंटनी की गई थी। शेष व्यक्तियों को या तो नोटिस की समाप्ति की तिथि से पहले पुनः नियुक्त कर दिया गया था अथवा उनसे नोटिस वापस ले लिये गये। १२८६ कर्मचारियों से १,२३ कर्मचारियों को काम दिलाऊ दिदेशालय द्वारा नौकरियां निलवा दी गईं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार ने छंटनी किए गए कर्मचारियों की सूची बनाई है और इसकी भी जानकारी रखी है कि क्या वह पुनः नियुक्त हो गये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** इस मामले में हमने श्रम मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग को लिखा है। गृह-कार्य मंत्रालय ने भी भारत सरकार के मंत्रालयों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को इस बारे में लिखा है। मैं सभा को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि छंटनी किए गए बहुत से व्यक्तियों को पुनः नियुक्ति दे दी गई है।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री जी ने रिट्रेंच किए गए मुलाज़िमों और अफसरों की संख्या बताई है। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने अभी तक बेकार हैं और माननीय मंत्री महोदय को कितने दिनों से इस बात की सूचना नहीं है कि कितने लोग एम्प्लाय हुए हैं या कितने नहीं हुए हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : बात यह है कि जो भी इस मिनिस्ट्री में आया वह जानता था कि यह एक आर्जी मिनिस्ट्री है और इसको कभी न कभी खत्म होना है। माननीय सदस्यों ने बड़ी कोशिश की कि जितनी जल्दी भी हो, मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो। लोग इसको जानते तो थे ही। अब मेरी कोशिश यह है कि मैं अपने जाने से पहले उन में से जितने बेकारों को बसा सकता हूं, बसाने की कोशिश करूं और यह मैं कर रहा हूं। इससे और अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये आंकड़े बता चुका हूं। चीफ सैटलमैंट कमिश्नर के दफ्तर से २,२८६ व्यक्तियों की छंटनी की गई थी। इनमें से १,७२३ व्यक्तियों को काम दिलाऊ निदेशालय ने पुनः नियुक्ति दिला दी है। लगभग ७० से ७५ की प्रतिशतता आती है।

श्री दी० चं० शर्मा : लोक-सभा के अध्यक्ष महोदय ने पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति का ध्यान रखने के लिए कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने उस समिति का लाभ उठाने का प्रयत्न किया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं ऐसी समिति की नियुक्ति के बारे में आज पहली बार सुन रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्रालय को इस के बारे में जानकारी नहीं है। अध्यक्ष भी नहीं जानता कि उसने ऐसी कोई समिति बनाई थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जब सभा में इस मंत्रालय से छंटनी के कितने ही प्रश्न पूछे गये तब आपने श्री अजित सिंह सरहदी को संयोजक बनाकर एक समिति नियुक्त की थी। इस बारे में एक सर्कुलर भी निकाला गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे याद नहीं आ रहा है। संभवतया सभा में मैंने कोई सुझाव दे दिया हो। मैं उस सर्कुलर को देखूंगा। जांच करूंगा। इस समय मुझे याद नहीं पड़ता कि अध्यक्ष होने के नाते मैंने कोई ऐसी समिति नियुक्त की हो।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्रीमान्, समिति नियुक्त की गई हो अथवा नहीं परन्तु यह तो सच है कि छंटनी हो रही है। यह पश्चिमी ज़ोन में छंटनी का प्रश्न नहीं है परन्तु पूर्वी ज़ोन में भी ऐसा किया जा रहा है। क्या मंत्रालय को पता लगा है कि कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक नौकरियां की व्यवस्था किए बिना ही उनको नोटिस दे दिए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप उनकी छंटनी कर दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ऐसी आशा करना व्यर्थ है कि अस्थाई कार्यालयों में अस्थाई काम के समाप्त हो जाने के तुरन्त बाद ही सरकार को इस काम पर लगे हुए कर्मचारियों को नियुक्ति दे देनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो सरकार कभी भी अस्थाई कार्यालय न बना सकेगी। परन्तु सरकार समझती है कि इन कर्मचारियों को क्या कठिनाइयां होंगी और इसीलिए उसका प्रयत्न है कि अर्ह होने पर इनको विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्त कर लिया जाये। इन अस्थाई कर्मचारियों के मामले में यह कठिनाई सामने आती है कि इनके कुछ कर्मचारी अन्य पदों के लिए अर्ह नहीं होते हैं। इसलिए उनको स्वयं भी नौकरी पाने के लिए प्रयत्न करने होते हैं। इसलिए सरकार इस प्रकार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : माननीय महिला सदस्य ने पश्चिम बंगाल में की गई छंटनी का प्रश्न पूछा। मैं बताना चाहता हूं कि वहां भी एक पुनर्वास मंत्री थे। वहां पर छंटनी किए गए कर्मचारी राज्य सरकार के थे। परन्तु फिर भी उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उनको पुनः नियुक्त करने के आंकड़ों की भी प्रतिशतता बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त मैंने सुना है कि कलक्टर के पद के एक विशेषाधिकारी को उन्होंने इसी काम के लिए नियुक्त किया है। जो प्रत्येक मामले पर विचार कर रहा है। उनका भी यही प्रयत्न है कि मंत्रालय के धीरे धीरे बन्द हो जाने के कारण छंटनी किए गए कर्मचारियों को कहीं बेरोज़गार न हो जाना पड़े।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोज़गार नहीं मिलेगा क्या सरकार का विचार उनको कोई प्रतिकर देने का है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। एक व्यक्ति को अस्थाई मंत्रालय में अस्थाई काम पर लगाया जाता है। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसकी देखभाल करेंगे। ज्यूंही काम समाप्त होता है उसको पद्च्युत हो जाना है। परन्तु हम फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको कोई काम दिलायें।

†**श्री सं० चं० सामन्त** : इन कर्मचारियों को सीधे सेवा मिल जायेगी अथवा काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा जाना होगा।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : काम दिलाऊ दफ्तर तथा श्रम मंत्रालय में बनाई गई व्यवस्था के द्वारा।

मिनेसोटा में भारतीय विद्यार्थियों पर हमला

+

†*११०८. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वाजपेयी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदान प्रदान योजना के अधीन भारत से गये दो विद्यार्थियों पर दो नवयुवकों ने १९ जून, १९६१ को मिनीपोलिस (मिनेसोटा) में हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मिनीपोलिस में भारतीय विद्यार्थियों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां।

(ख) श्री केशव गोविन्दन नायर तथा श्री एल्लुरी विश्वेश्वर राव, दो भारतीय विद्यार्थी सोमवार १९ जून १९६१ को सायंकाल में अपने निवास स्थान के निकट नदी की सड़क पर घूम रहे थे। यह दोनों विद्यार्थी अमरीका के मिलेसोटा विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। घूमते समय दो युवक गुण्डों ने उनको पकड़ लिया और पिटाई की। विद्यार्थियों ने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। और बड़े ही अच्छे ढंग से बातचीत की थी। उनका विश्वविद्यालय के अस्पताल में उपचार किया गया और निवास स्थान पर जाने की इज़ाजत दे दी गई। भारतीय विद्यार्थियों को पीटने वाले दोनों युवक गुण्डे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए गए और हवालात में बन्द कर दिए गए।

(ग) मिनीपोलीस में भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कार्य करना संभव नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अधिकारी अन्य विद्यार्थियों के समान ही भारतीय विद्यार्थियों की देख-भाल करते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** अमरीका में बहुत से भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ; क्या भारत सरकार को अमरीका के अन्य किसी स्थान से भी ऐसी किसी घटना का पता लगा है ?

†**श्री सादत अली खां :** मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन विद्यार्थियों को युवक गुण्डों ने उनके रंग के कारण पीटा था अथवा और किसी कारण से ?

†**श्री सादत अली खां :** यह बाल अपराध था। श्री नायर के अधिक चोट आई थी। संभवतया उनका एक अगला दांत भी टूट गया है। मैं बताना चाहता हूं कि श्री माल्कम एम बिल्ली मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रशासन के वाइस प्रेसीडैंट ने २१ जून, १९६१ को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को लिखा था कि विश्वविद्यालय अधिकारियों ने दोनों विद्यार्थियों से माफ़ी मांगी है और इस घटना के बारे में खेद प्रकट किया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** दोनों गुण्डों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके खिलाफ मुकदमा होगा। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार अपने वकीलों को यह जानने का काम सौंपेगी कि यह घटना रंग भेद के कारण हुई अथवा केवल बाल अपराध मात्र था।

†**श्री सादत अली खां :** मैं नहीं जानता कि कोई मुकदमा चलेगा। हमने विश्वविद्यालय के अधिकारियों का स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया है।

†**महाराज कुमार विजय आनन्द :** क्या इस मामले में अमरीकी राष्ट्रपति को हमारी भावनायें बताई गई हैं ?

†**श्री सादत अली :** जी नहीं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या हमने उनसे कोई जांच करने को कहा है जिससे यह पता लग सके कि हुआ क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां :** मैंने बता दिया है कि हमारी ओर से मामला बन्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के उच्चतम अधिकारी का क्षमापत्र आ चुका है।

केन्द्रीय आवास निगम

†*११०६. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री मे० क० कुमारन् :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न राज्यों में उनकी आवास योजनाओं के सहायतार्थ केन्द्रीय आवास निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक अमल में लाया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण** उप-**मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) ठीक अवधि बताना इस समय कठिन है क्योंकि तीसरी पंच वर्षीय योजना में आवास सम्बन्धी अध्याय में प्रस्तावित रूप रेखा के आधार पर ब्यौरे बनाये जायेंगे।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हाउसिंग कारपोरेशन की व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई मोटी रूपरेखा बनाई है और यदि बनाई है तो वह क्या है ? दूसरे इस हाउसिंग कारपोरेशन के पास साधन क्या होंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** आवास वित्त निगम बनाने का विचार है जिससे बैंक आदि जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं से प्राप्त वित्त इस संगठन द्वारा वितरित किया जा सके।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि इस हाउसिंग कारपोरेशन के बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या अभी तक जो काम चल रहा था वह ठीक नहीं था और यदि ठीक नहीं था तो वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस हाउसिंग कारपोरेशन की आवश्यकता हुई और इससे क्या क्या लाभ होंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह कृपा करके तृतीय पंच वर्षीय योजना में 'आवास' सम्बन्धी अध्याय को पढ़ें। उसमें इस समस्या पर विस्तार से बताया गया है।

†**श्री कासलीवाल :** क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने केन्द्रीय आवास निगम को ५० करोड़ रुपया देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उस ऋण पर सूद की दर क्या होगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जीवन बीमा निगम का विचार तीसरी योजना में आवास के लिए लगभग ६० करोड़ रुपये देने का है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†श्री रंगा : आवास सहकारी समितियों तथा अन्य अभिकरणों, जिनको विभिन्न राज्यों में मकान बनाने के अधिकार दिए गए हैं को यह ऋण कितने सूद की दर पर दिया जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इस समय यह बताना संभव नहीं है । जब ऋण दिया जायेगा तब इस पर निर्णय होगा परन्तु सामान्यतः जीवन बीमा निगम राज्यों को आवास के लिए दिए जाने वाले ऋण पर १/२ प्रतिशत अधिक लेता है ।

†**श्री तिम्मय्या :** कुछ राज्यों में आवास बोर्ड हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आवास बोर्ड तथा आवास निगम में क्या अन्तर है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आवास बोर्ड हैं । यह निर्माण कार्य के लिए ही हैं । इनको वित्तीय अधिकार देने का विचार है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या केन्द्रीय आवास निगम को औद्योगिक आवास बनाने का काम भी दिया जायेगा क्योंकि अब तक औद्योगिक आवास के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है और राज्य सरकारों से औद्योगिक आवास का निर्माण करने को कहा जा रहा है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ब्यौरे अभी नहीं बनाये गये हैं । यह ब्यौरे वित्त मंत्रालय की आर्थिक-कार्य समिति, रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से बनाये जायेंगे ।

†**श्री गोरे :** क्या महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ से नष्ट भ्रष्ट पूना तथा अन्य स्थानों पर मकानों को बनाने के लिए केन्द्र से कहा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** महाराष्ट्र के आवास मंत्री, श्री कार्सा इस सम्बन्ध में मुझसे मिले थे और हमने आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं को सभी प्रकार की सहायता महाराष्ट्र सरकार को दे दी है ।

†**श्री त्यागी :** आवास सुविधा केवल नगरीय क्षेत्रों को दी जायेगी अथवा ग्राम्य क्षेत्रों को भी दी जायगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह नगरीय तथा ग्राम्य क्षेत्र दोनों के लिए है ।

†**श्री रंगा :** जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये धन पर सूद की दरों में राज्य सरकार एक प्रतिशत की वृद्धि क्यों करना चाहती है ? जब आवास सहकारी समिति एक पंजीबद्ध संस्था है जिसको राज्य सरकार सहायता देती है तो ऐसी संस्था को जीवन बीमा निगम द्वारा सीधे ही ऋण दिए जाने की व्यवस्था क्यों नहीं है और राज्य सरकार को बीच में क्यों रखा गया है । क्योंकि ऐसा होने के कारण राज्य सरकार भी अपना कमीशन ले ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** कारण सीधा-सा है । जीवन बीमा निगम को रुपया वापस दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है । राज्य सरकारों को बहुत से लेखे रखने पड़ेंगे । सामान्यतः वह १ से १/२ प्रतिशत लेते हैं । यदि माननीय सदस्य अपने राज्य को बाध्य कर सकें कि बिना कुछ लिये वह इस जिम्मेदारी को ले लें तो बड़ी अच्छी बात होगी ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो विभिन्न राज्यों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है, उसके अनुसार राज्यों में जो भवन निर्माण संस्थायें हैं, या कारपोरेशन

†मूल अंग्रेजी में

या बोर्ड्स हैं उनको सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी या सीधे सेंट्रल हाउसिंग कारपोरेशन उनको सहायता देगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं बता चुका हूं कि पांच अथवा छः राज्यों में आवास बोर्ड हैं परन्तु यह बोर्ड केवल निर्माण अभिकरण हैं। इनको अब कुछ वित्तीय अधिकार देने का विचार है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता था कि सहायता राज्यों के द्वारा दी जाएगी अथवा सीधे निगमों को दी जायेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह ब्यौरे बाद में बनाये जायेंगे कि आवास बोर्ड, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय तथा राज्यों के आपसी सम्बन्ध इस बारे में क्या होंगे।

सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सामुदायिक केंद्र

†११११२. **श्री बलराज मधोक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की किस-किस बस्ती में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण हो गया है ;

(ख) इन सामुदायिक केन्द्रों का प्रबन्ध कौन करता है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर का सामुदायिक केन्द्र भारत सेवक समाज के अधीन रख दिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार इस पद्धति को रोक कर सरोजिनी नगर के सामुदायिक केन्द्र का प्रबन्ध पुनः बस्ती में कर्मचारियों के मान्य प्रतिनिधियों को सौंपेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ). सरोजिनी नगर और किदवई नगर के समाज सदन (सामुदायिक केन्द्र) इस मंत्रालय द्वारा बनाये गये थे और वहां के निवासियों के लाभ के लिए भारत सेवक समाज को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए सौंप दिये गये थे। दूसरे संगठन भी इन सदनों का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रश्न पर किये समाज सदन उन निवासियों के संघों को दे दिये जायें या नहीं, इस पर अभी सरकार विचार कर रही है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी निधि से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने जो समाज सदन बनाये हैं उनके सम्बन्ध में ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३८ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या इन बस्तियों के निवासियों ने यह शिकायत की है कि भारत-सेवक समाज इन सदनों का ठीक ठीक उपयोग नहीं कर रहा है और इस कारण ये उनके संघों को सौंप दिये जायें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी हां। कुछ संगठनों से ऐसी शिकायतें आयी हैं।

†**श्री बलराज मधोक** : उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैंने बताया है कि उस विषय पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विनय नगर आदि उन बस्तियों में कोई समिति बनायी गयी है और भविष्य में ये समितियां ही ये सामुदायिक केन्द्र चलायेंगी ।

†श्री अनिल कु० चन्दा: प्रत्येक बस्ती में कई समितियां हैं ? यही हमारी कठिनाई है । लेकिन एक प्रस्ताव यह है कि गृह-मन्त्रालय का कल्याण अनुभाग इन सदनों को अपने अधिकार में ले ले ।

†श्री राधा रमण : क्या यह ठीक है कि इन बस्तियों में भारत सेवक समाज द्वारा समर्थित, निवासियों की स्वतंत्र समितियां हैं और वे ही इन केन्द्रों को चलाती हैं और उनका प्रबन्ध करती हैं ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : किदवई नगर का एक केन्द्र और दूसरा केन्द्र सरोजिनी नगर का, प्रत्यक्ष भारत सेवक समाज द्वारा चलाया जाता है । लेकिन इन कमरों की सुविधाएं थोड़ी-सी फीस पर दूसरे संगठनों को भी मिल सकती है । पहले वह फीस १० रुपये थी लेकिन कुछ अभ्यावेदनों के बाद हमने वह ५ रुपये कर दी ह ।

राष्ट्रीय आय का वितरण

†*१११५. { श्री प्र० चं० बरूआ : +
श्री श्री अ० डांगे :
श्री नागी रेड्डी : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय का वितरण सम्बन्धी रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए हाल में ही एक समिति बनाई गई थी जिसके सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव, डा० महलनोबिस और डा० लोकनाथन् थे;

(ख) यदि हां, तो समिति कब बनाई गई थी ;

(ग) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश किये जाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; तो वह क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) से (घ). अक्तुबर, १९६० में योजना आयोग ने आय तथा सम्पत्ति वितरण सम्बन्धी एक समिति कायम की थी । इस समिति में नौ सदस्य थे । इस समिति ने राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियां तथा संरचना, रहन सहन के स्तरों में परिवर्तन, मजूरी तथा कीमतों में परिवर्तन और आय तथा सम्पत्ति पर उनका प्रभाव, गैर सरकारी उद्योग में जमाव, आय कर तथा भूमि की जोतों के बारे में आंकड़े और मजूरी कमाने वालों तथा वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आय की प्रवृत्तियों के बारे में कई अध्ययन क्रम शुरू किये हैं । ये अध्ययन पूरे हो जाने के बाद, समिति सम्भवत: एक रिपोर्ट पेश करेगी । कुछ स्पष्ट कारणों से, यह रिपोर्ट पेश किये जाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

†श्री नागी रेड्डी : क्या यह सच है कि समिति बनाये जाने के बाद मन्त्रिमण्डल सचिव का, जो इस समिति में नियुक्त किये गये थे, किसी राज्य के राज्यपाल की तौर पर तबादला हो गया था और समिति के एक सदस्य हमेशा देश के बाहर ही रहते थे और इस कारण समिति का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : थोड़े समय के लिये सदस्यों की अनुपस्थिति रोकी नहीं जा सकती। फिर भी, हमारे पास बाहर के भी विशेषज्ञ इस समिति में हैं। हम उनसे यह नहीं कह सकते कि वे हमेशा यहीं रहें और अपना कामकाज न करें।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह सच है कि तीन संस्थाएं, अर्थात् इण्डियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट दी नेशनल कौंसिल ऑफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च और इंस्टिट्यूट ग्राफ इकानॉमिक ग्रोथ उनसे काम कराने की कोशिश कर रही हैं जिसके बारे में समिति में एकमत नहीं हैं और इस कारण काम की प्रगति में बाधा पहुंच रही है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह कठिनाई काल्पनिक मालूम होती है। मेरी जानकारी में समिति के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं ? क्या यह सच नहीं है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण समिति अपना काम न कर सकी।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं अध्यक्ष सहित सदस्यों की अस्थायी अनुपस्थिति के बारे में पहले ही बता चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष कौन हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : अध्यक्ष प्रोफेसर महालनोबिस हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि पूरे ब्यौरों के साथ राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की विस्तृत प्रक्रिया अभी तक सरकार को नहीं बतायी गयी है और किसी एक इंस्टिट्यूट का ही उस पर एकाधिकार है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : राष्ट्रीय आय की गणना एक अलग समस्या है। मैं नहीं बता सकता कि माननीय सदस्य के दिमाग में कौनसी खास बात है। यदि राष्ट्रीय आय की गणना के सम्बन्ध में किसी दोष के बारे में वह सोच रहे हों तो उसे वह हमारे सामने रख सकते हैं।

†**श्री त्यागी** : माननीय सदस्यों ने इस सभा में कई बार यह मांग की थी कि राष्ट्रीय आय मालूम करने की प्रक्रिया उन्हें बतायी जाये। लेकिन उस सवाल का कभी जवाब नहीं दिया गया। मन्त्रालय से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि उनके पास भी ऐसा कोई साहित्य नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सरकार एक पुस्तक तैयार करे और सभा पटल पर करे। क्या यही कल्पना है ?

†**श्री त्यागी** : धन्यवाद।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं केवल माननीय सदस्य से यह पूछ रहा हूं कि क्या दुनिया में पहली बार हम ही राष्ट्रीय आय का हिसाब लगा रहे हैं। क्या इससे पहले की कोई रिपोर्ट नहीं है ? माननीय सदस्य कृपया उसे पढ़ें और पता लगायें। मैं यहां ऐसे प्रश्नों के लिये अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री त्यागी** : वहां केवल आंकड़े और हिसाब किताब बताये हुए हैं। प्रक्रिया किसी भी साहित्य में नहीं बतायी गयी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रोफेसर वी० के० आर० वी० राव तथा अन्य द्वारा राष्ट्रीय आय रिपोर्ट एक बार फिर पढ़ें; जिन्होंने पिछली बार राष्ट्रीय आय ९,००० या १०,००० करोड़ रुपये निर्धारित की थी। इस प्रयोजन के लिये अब दूसरी बार एक समिति नियुक्त की गयी है। माननीय सदस्यों का मतभेद हो सकता है और वे सुझाव दे सकते हैं कि कुछ और वस्तुएं गिनी जायें। जो भी हो, मैं ऐसे प्रश्नों के लिये अनुमनि नहीं दे रहा हूं कि किस आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जायेगी । उसके लिये विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं। माननीय सदस्य उन्हें अपनी राय दे सकते हैं। क्या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र की किसी बड़ी पुस्तक के सम्बन्ध में यहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?

†डा० राम सुभग सिंह : यह एक असंगत प्रश्न कैसे हो सकता है ?

†अध्यक्ष महोदय: मैं यह नहीं कहता कि वह असंगत है। लेकिन तब तो वह यह भी पूछ सकते हैं कि "सर्व प्रभुत्व" क्या है या "अर्थशास्त्र क्या है", "वित्त क्या है"। इसी तरह यह कोई सवाल नहीं है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या है ? उसके लिये एक समिति नियुक्त की गयी है।

†श्री त्यागी : आधार नहीं, प्रक्रिया। मैं प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा हूं। ब्यौरा नहीं दिया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं उसके लिये अनुमति नहीं दूंगा। वह रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े मिलने के बाद, विभिन्न आय समुदायों को विभाजित करने और यह मालूम करने की कोई प्रक्रिया है कि किसी विशेष समुदाय को राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत भाग वास्तव में मिल रहा है ? पहले यही सवाल पूछा गया था। प्रधान मन्त्री ने बताया था कि उसका हिसाब लगाने का कोई तरीका नहीं है । हम सभी वही बात जानने के लिये उत्सुक हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री उस विषय के भार साधक हो सकते हैं लेकिन वे उसके विशेषज्ञ नहीं हैं। इसलिये उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे अपने सारे सुझाव इस समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य विशेषज्ञ नहीं है।

†श्री रंगा : इस चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : इसीलिये हम इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।

†श्री त्यागी : मैं एक दूसरा सवाल पूछूंगा । क्या यह सच है कि तीन सदस्यों से सम्बद्ध तीन संस्थाओं के त्रिकोणीय खींचतान के कारण इस समिति की रिपोर्ट में देर लग रही है ? प्रत्येक सदस्य की एक एक संस्था होने के कारण वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं कि कौनसी संस्था गणना का भार उठायेगी ? क्या उस समिति में यह विवाद नहीं है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : मैं इस तरह के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। कुछ संस्थाएं कुछ सदस्यों से सम्बद्ध हैं यह फायदा ही है, नुकसान नहीं ।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह बहुत ही पेचीदा और टेढ़ा सवाल है ? समिति की नियुक्ति करना सरल है और उसका काम करना कठिन है। वे इसमें समय लगा रहे हैं। यदि यह काम बेतरतीब हो तो हम गलत ब्यौरों पर और गलत नतीजों पर पहुंचेंगे।

†श्री त्यागी : क्या कोई त्रिकोणीय खींचतान नहीं है ?

†श्री मोरारजी देसाई : कोई नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझू कि सभी संस्थाएं सहयोग दे रही हैं?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरी जानकारी में तो वे सहयोग दे रही हैं ।

†**श्री रंगा** : अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति पर काफी जोर दिया गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि यह समिति कब नियुक्त की गयी थी और उसकी नियुक्तिके बाद से उसके अध्यक्ष कितनी बार और कितनी देर तक भारत से बाहर रहे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : समिति में सदस्यों को नाम निर्देशित करने वाले संकल्प को पेश करने की मुझे अनुमति देनी होगी । माननीय सदस्यों के अपने मतभेद हो सकते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि श्री महालनोबिस. . . . .

†**श्री रंगा** : मैं अपने सवाल को वापस लेता हूं । यहीं सारी बात खत्म हो जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे बड़ी खुशी है । तब कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : सम्पत्ति के वितरण के सम्बन्ध में इस सभा में बराबर मांग रही । समिति के अध्यक्ष इस देश से बाहर होने के कारण समिति ने पिछले कई महीनों से कोई काम नहीं किया है ।

†**श्री चं० द० पांडे** : औचित्य प्रश्न के हेतु श्री रंगा ने खास कर मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा । आप उस प्रश्न को पूरा कर रहे थे । इस बीच उन्होंने वापिस ले लिया । क्या एक बार सभा के सामने रखा गया प्रश्न वापिस ले लेना उनके अधिकार में है ?

†**श्री रंगा** : मैंने अपना सवाल वापिस ले लेने की अनुमति सभा से मांगी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा अपने प्रश्न वापिस लेने के लिए भी अनुमति दूंगा । माननीय सदस्य इस रिपोर्ट के लिए चिन्तित हैं और उस रीति के ब्यौरे भी जानना चाहते हैं जिनसे वह आधार तैयार किया जायगा । क्या माननीय मंत्री इस समिति से पूछेंगे कि वह इस विषय में क्या कर रही है जिससे कि वह विभिन्न व्यक्तियों से सुझाव मंगा सके और क्या वह इसे अपना काम शीघ्र करने के लिए भी कहेंगे?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह सुझाव समिति के सामने रखा जा सकेगा । लेकिन यह धारणा बिलकुल गलत है कि समिति ने कोई खास काम नहीं किया है । मैं मुख्य उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि इस समिति ने कई अध्ययन शुरू किये हैं ।

†**श्री नागी रेड्डी** : पिछले एक साल में समिति की कितनी बैठकें हुई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसने अध्ययन समितियां नियुक्त कर दी हैं ।

†**श्री नागी रेड्डी** : बात यह है कि कोई बैठक नहीं हुई है । प्रारम्भिक कार्य कौन कर रहा है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री बता चुके हैं कि उसकी चार बैठकें हुई हैं । उसने अध्ययन के लिए समितियां नियुक्त कर दी हैं और वह उस ओर ध्यान देगी । मुझे इसमें आपत्ति नहीं कि माननीय सदस्य यह कहें कि वे काम करने के योग्य नहीं हैं । सरकार की समझ में वे योग्य हैं । वे अपने समय से अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए यह कहने का कोई मतलब नहीं जब कि वह समितियां अपना काम कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में फेनी नदी

+

†*१११६. { श्री बांगशी ठाकुर :
श्री दशरथ देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को जो कि फेनी नदी की बाढ़ से होने वाले भूमि कटाव से सबरूम नगर को बचाने के लिए तटबन्ध के निर्माण में लगे हुए थे, पाकिस्तान सरकार के घोर विरोध करने पर काम छोड़ना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख) पाकिस्तान पुलिस ने हमारे कर्मचारियों को इस तर्क के आधार पर रोका कि संपूर्ण फेनी नदी पाकिस्तान की है। यह याद होगा कि फेनी नदी के बारे में दोनों देशों के बीच झगड़ा था।

हमारी सब से हाल की जानकारी यह है कि त्रिपुरा प्रशासन सबरूम नगर के संरक्षण के लिए भारतीय किनारे पर बांस की चहारदीवार बनाने की तीव्र आवश्यकता के बारे में पूर्व पाकिस्तानी अधिकारियों को समझाने में सफल हुआ है और काम २० अगस्त, १९६१ से शुरू होने वाला था।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : मेरे पिछले प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि रेडक्लिफ पंचाट के अनुसार फेनी नदी की मध्य रेखापर दोनों देशों अर्थात् पाकिस्तान और भारत की सीमा मिलती है। यदि ऐसा है तो किस अधिकार से पाकिस्तान त्रिपुरा सरकार को फेनी नदी के बाढ़ से सबरूम नगर को बचाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने की इजाजत नहीं दे रहा है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं सभा को वर्तमान स्थिति बताऊंगा। माननीय सदस्य यह ठीक कह रहे हैं कि इस नदी की मध्य धारा ही सीमा होनी चाहिये जब कि वह संपूर्ण नदी पर दावा करता है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारतीय दावे के समर्थन में आवश्यक सामग्री त्रिपुरा प्रशासन ने अप्रैल, १९६० में पूर्व पाकिस्तान सरकार के सामने प्रस्तुत की थी। पूर्व पाकिस्तान सरकार ने संपूर्ण नदी पर दावा करते हुए उत्तर भेजा। तब पाकिस्तान के दावे के बारे में कागजात मांगे गये लेकिन वे मार्च, १९६१ में पेश किये गये। त्रिपुरा प्रशासन ने इस बीच उन कागजात की छानबीन कर ली है। वह चाहता था कि पूर्व पाकिस्तान को उत्तर भेजने तथा पाकिस्तान के साथ कोई बैठक तय करने से पहले वैदेशिक कार्य मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि इस मामले पर उसके साथ चर्चा करे। जैसा कि मैंने बताया, विवादग्रस्त क्षेत्र की छानबीन वर्षा ऋतु में संभव नहीं थी। वैदेशिक कार्य मंत्रालय का संबंधित उप सचिव त्रिपुरा के मुख्य सचिव से अगले महिने, सितम्बर, १९६१ में, भेंट कर रहा है जिसके बाद ही पाकिस्तान के साथ की जाने वाली अगली कार्यवाही निश्चित की जायगी।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : हम यह कब तक आशा कर सकते हैं कि इन सब विवादों के कारण, जिनकी सबब से पाकिस्तान सरकार त्रिपुरा को परेशान कर रही है, दूर कर दिये जायेंगे ?

†**श्री सादत अली खां** : वैदेशिक कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि सितम्बर में त्रिपुरा प्रशासन के साथ इस विषय पर चर्चा करेगा। आशा है कि पाकिस्तान के तथा हमारे प्रतिनिधियों के बीच शीघ्र ही बैठक होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर सीमान्त नदियां ही सीमाएं हैं और रेडक्लिफ पंचाट के अनुसार मध्य धारा ही सीमा है, क्या हम यह समझें कि त्रिपुरा प्रशासन ने इस विषय पर पूर्व पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करना मंजूर कर दिया है कि प्रथमतः संपूर्ण नदी पर उनके अधिकार के लिए कोई आधार है ?

†श्री सादत अली खां : जी नहीं। हमने वह दावा कभी स्वीकार नहीं किया कि संपूर्ण नदी उनकी है। हमने हमेशा अपनी बात का पालन किया है और हम इस विषय पर बातचीत करते रहे हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट करते रहे हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : घटना स्थल पर अध्ययन का क्या उद्देश्य है ? आप बीच धारा के बारे में घटना स्थल पर अध्ययन क्या कर सकते हैं ?

†श्री सादत अली खां : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, नदी अपना रास्ता बदल देती है। वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ आ जाती है और वह अपना रास्ता बदल देती है। इसलिए इस नदी की मध्य धारा की परिभाषा करने के लिए घटना स्थल पर छानबीन आवश्यक है।

†श्री त्यागी : क्या वहां केन्द्रीय सरकार का भी कोई प्रतिनिधि है ?

†श्री सादत अली खां : जी हां, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या यह सच नहीं है कि त्रिपुरा राज्य के विषय से पहले संपूर्ण फेनी नदी उस राज्य की थी और भारत में त्रिपुरा राज्य के विलय के पश्चात् वह संपूर्ण नदी भारत के पास आनी चाहिये थी ?

श्री बांगशी ठाकुर : वह ठीक है।

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : यह ठीक है कि विलय से पहले संपूर्ण फेनी नदी त्रिपुरा प्रशासन की थी लेकिन विलय के बाद पाकिस्तान ने उस पर दावा किया और त्रिपुरा प्रशासन से किसी को भी उस नदी का उपयोग करने से रोका। दुर्भाग्यवश यह प्रश्न फेनी नदी की सीमा के बारे में नहीं है वरन् सबरूम नगर के लिए, जो संभवतः इस नदी के कारण बह जायगा, आवश्यक संरक्षण के बारे में है। इसलिए उस संरक्षण के सम्बन्ध में तथा इस नदी की दूसरी ओर पाकिस्तान प्रशासन ने जो एड लगायी है उस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए वैदेशिक कार्य मंत्रालय, त्रिपुरा प्रशासन और पाकिस्तान प्रशासन के बीच एक बैठक करने का विचार है। जहां तक मध्य धारा का सम्बन्ध है, हमने हमेशा यही बात कही है कि जहां कहीं नदी की सीमा है, वहां मध्य धारा ही सीमा है और न कि इस ओर या दूसरी ओर के लिए संपूर्ण नदी सीमा है।

†श्री बांगशी ठाकुर : मालूम होता है कि हमारी सरकार ने पाकिस्तानी दावे के सामने हाथ टेक दिये हैं।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं, हम ने उनका दावा माना नहीं है। हम केवल अपने दावे पर जोर दे रहे हैं।

†श्री गोरे : क्या यह सच है कि जब कि यह बातचीत चल रही है पाकिस्तान ने नदी के अपने हिस्से पर तटबन्ध बना लिये हैं और चूंकि हम वैसा नहीं कर रहे हैं इसी कारण यह शहर खतरे में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उनकी एंड के कारण हमारी सीमा पर असर पड़ा है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम अपने किनारे का संरक्षण करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी लोग मदद नहीं दे रहे हैं और न ही वे सहयोग देते हैं। वे हमारे मजदूरों पर वहां गोलाबारी करते हैं और इसी कारण यह सारा उपद्रव पैदा हुआ है और दोनों पक्षों के दावों के बारे में बातचीत हो रही है।

श्री गोरे : उपमंत्री ने अभी अभी बताया कि हम अपने तटबन्ध इसलिए नहीं खड़े कर सकते कि वे हमारे मजदूरों पर गोलाबारी करते हैं। मैं यह पूछता हूं कि यदि हम अपनी ओर तटबन्ध बनायें, तो मध्य धारा का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : शायद माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर सुना नहीं। विलय के बाद पाकिस्तान ने संपूर्ण नदी पर अपना दावा पेश किया है और इसलिए वह हमें तटबन्ध नहीं बनाने दे रहा है।

†**श्री गोरे** : लेकिन आप का दावा है कि मध्य धारा ही सीमा है। इसलिए आप अपने तटबन्ध क्यों नहीं बना सकते ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वही झगड़ा है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय करारों के विरुद्ध पाकिस्तान संपूर्ण नदी पर दावा कर रहा है और हमें सबरूम नगर पर नदी की बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाने से रोक रहा है।

†**श्री गोरे** : क्या आप गोलाबारी से जवाब नहीं दे सकते ? यदि आप कहते हैं कि मध्य धारा सीमा है तो . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कुछ नहीं कहा है।

†**श्री गोरे** : मेरा मतलब है कि उपमंत्री ने कहा . . . .

†**अध्यक्ष महोदयः** : तब ठीक है। मैं केवल इसलिए चिन्तित हूं कि यहां गोलाबारी न हो।

†**श्री गोरे** : आप समझें कि उपमंत्री ने सारी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सभी संगत प्रश्न मेरे जरिये पूछें, न कि सीधे मंत्री से। यदि वे इस प्रकार लड़ने लगें, तो वह उचित नहीं होगा।

†**श्री गोरे** : मैं यह कह रहा था कि भारत का दावा यह था

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि हमारे लोग भी पिस्तौल का इस्तेमाल करें।

†**श्री गोरे** : हम अपने दावों या अधिकारों के अनुसार अपने अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं करते ?

†**श्री सादत अली खान** : मैं यह बता दूं कि अगस्त के महीने में त्रिपुरा प्रशासन ने पूर्व पाकिस्तान सरकार को सूचित किया था कि हमारी ओर का काम जारी रहेगा और वह काम चल रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व पाकिस्तान सरकार ने जवाब दिया कि केवल भीतरी चहारदीवारी की दीवार बनाई जा सकती है और हम ने वह मान लिया और वह हो रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सवाल भीतरी चहारदीवारी या बाहरी चहारदीवारी की दीवार के बारे में नहीं है । सवाल यह है कि अपने राज्यक्षेत्र में हमें तटबंधों सम्बन्धी अपनी आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ना चाहिये । उस में रुकावट क्या है ? चूंकि वह हमारा अपना प्रदेश है, पाकिस्तान सरकार की राय से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : रुकावट यह है कि हमें तटबन्ध बनाने के लिये नदी से कीचड़ और रेत लेनी होती है । लेकिन उन्हों ने कहा कि 'नहीं, आप नदी को छू नहीं सकते क्योंकि वह हमारी है' और इस का अभी फैसला होना है' । उन्हों ने यह बात नहीं मानी है कि मध्य धारा सीमा है । यह सब बातचीत इसलिये हो रही है कि उन्हें कायल किया जा सके कि मध्यधारा ही सीमा है और इस कारण हमें अधिकार है कि हम अपनी ओर की नदी से चाहे जो चीज ले सकें और तटबन्ध बना सकें ।

संसत्सदस्यों को बंगलों का दिया जाना

†*१११७. **श्री अ० मु तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सम्पत्ति निदेशक (डायरेक्टर आफ एस्टेट्स) संसत्सदस्यों को सीधे ही बंगले दे रहे हैं ;

(ख) क्या बंगले दिये जाने से पहिले दोनों सभाओं की आवास समिति से परामर्श लिया जाता है, यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य सम्पत्ति निदेशक ने कितने बंगले सीधे ही संसत्सदस्यों को दिये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). संसद्-सदस्यों के 'पूल' का कोई भी बंगला संबंधित आवास समिति की अनुमति के बिना राज्य सम्पत्ति निदेशक द्वारा किसी संसत्सदस्य को नहीं दिया ।

(ग) संसत्सदस्यों को नौ बंगले सीधे ही दिये गये हैं । ये बंगले संसत्सदस्यों के 'पूल' के नहीं हैं अपितु सामान्य 'पूल' के हैं ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या यह सच है कि संसत्सदस्यों को बंगले, आदि देना दोनों सभाओं की आवास समिति का काम है और, यदि हां, तो राज्य सम्पत्ति निदेशक ने किस अधिकार से ये बंगले सीधे ही सदस्यों को दे दिये हैं ? वह संसत्सदस्य कौन हैं जिसे हाल में बंगला दिया गया है और किसी स्थिति में यह उसे बंगला दिया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का आधार गलत है । उल्लिखित नौ बंगले, जो वस्तुतः ससंत्सदस्यों के 'पूल' के नहीं हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं या उन लोगों को दिये जाते हैं जो राज्य में बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं । ये बंगले साधारणतया प्रधान मंत्री, संसद्-कार्य मंत्री या लोक-सभा के अध्यक्ष या राज्य-सभा के सभापति की अनुमति से दिये जाते हैं । ये लोग हैं:—श्री एस० ए० डांगे, आचार्य कृपालानी, श्री जयपाल सिंह, डा० तारा चन्द, भूतपूर्व राजदूत, श्री ए० पी० जैन, भूतपूर्व मंत्री, डा० सैय्यद महमूद, भूतपूर्व मंत्री, श्री मोहन लाल सक्सेना, भूतपूर्व मंत्री और एन० जी० रंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या हम यह समझें कि श्री एस० ए० डांगे को दिया गया मकान संसत्सदस्यों के 'पूल' में नहीं हैं ? यह मकान श्री डांगे के इस सभा के सदस्य बनने से पहिले भी संसत्सदस्य का मकान था ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : साधारणतया संसद् सदस्यों को तीन प्रकार के मकान मिलते हैं । फीरोजशाह रोड के आस पास पुरानी प्रकार के बंगले हैं ; साउथ और नार्थ एवेन्यू में नये फ्लैट हैं और कास्टिट्यूशन हाउस तथा वेस्टर्न कोर्ट में अनेक कमरे, आदि हैं । हाल में इस संसद् की अवधि में ही विनय मार्ग पर कुछ नये फ्लैट उपलब्ध कर दिये गये हैं । ये सब संसद् सदस्यों के 'पूल' में हैं । इस के अतिरिक्त, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये कुछ विशेष व्यवस्था करने के लिये जिन्हें मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति कह सकता हूं, समय समय पर कुछ बंगले इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिये गये हैं जिन के नाम मैं ने अभी बताये हैं । वे प्रायः नेता या भूतपूर्व मंत्री हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या यह सच नहीं है कि राज्य सम्पत्ति के निदेशक ने इन मकानों को आवास समिति के परामर्श के बिना सीधे ही दे दिया है क्योंकि आवास समिति के सभापति प्रायः दिल्ली से बाहर रहते हैं और प्रायः वे बम्बई और बंगलोर से अनुदेश देते हैं ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : संभवतः माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं सुना । मैं ने कहा था कि ये बंगले संसद् सदस्यों के सामान्य 'पूल' में नहीं हैं और पार्टियों के नेताओं तथा भूतपूर्व मंत्रियों, आदि को साधारणतया माननीय प्रधान मंत्री, संसद्-कार्य मंत्री और लोक-सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति, जैसी भी स्थिति हों, की अनुमति से दिये जाते हैं । वस्तुतः ये राज्य सम्पत्ति के निदेशक द्वारा नहीं दिये जाते । उसे हम ऐसा करने का प्राधिकार देते हैं ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : एक दम हाल में राज्य सम्पत्ति के निदेशक ने एक संसद् सदस्य को एक बंगला दिया था जो न तो विरोधी दल के नेता हैं और न ही भूतपूर्व मंत्री हैं । यह बंगला इस कारण दिया गया था कि सरकार ने उन के बेटे को मकान खाली करने पर जोर दिया था क्योंकि उस ने अपना मकान एक विदेशी कम्पनी को २,००० रु० प्रति मास के किराये पर दे दिया था । मकान पिता के नाम में था जो संसद् के सदस्य हैं और संसद् सदस्य उस मकान में नहीं गये हैं परन्तु बेटा चला गया है । इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : राज्य सभा के सभापति की प्रार्थना पर हाल में एक बंगला राज्य-सभा के एक बहुत ही सुविख्यात सदस्य को दिया गया है । यह विश्वास करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है कि जिस सदस्य को बंगला दिया गया है,वहां नहीं रहते ।

†**एक माननीय सदस्य** : उस का क्या नाम है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : काका कालेल्कर :

†**श्री अ० मु० तारिक** : यह व्यक्ति, जोकि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली अधिकारी है, उसी मंत्रालय द्वारा इस कारण से निकाला गया था कि उस ने स्वयं अपना मकान २,००० प्रति मास पर एक विदेशी कम्पनी को दे दिया था । फिर, आवास समिति के परामर्श के बिना उस के पिता को मकान दे दिया गया जिन्हों ने बंगले के लिये कभी प्रार्थना नहीं की और न ही आवास समिति के सभापति ने उन की सिफारिश की थी । मंत्री महोदय ने अनुचित रूप में इन महोदय को बंगला देने का आदेश दे दिया और माननीय सदस्य अभी नहीं गये

†मल अंग्रेज़ी में

हैं। वह अब भी पुराने मकान में हैं जहां अब भी उन का पुराना टेलीफोन लगा है। इस स्थिति में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मेरी समझ में नहीं आता कि बेटे की त्रुटियों का संबंध पिता से क्यों जोड़ा जाये। जहां तक काका कालेलकर को मिले इस बंगले का सवाल है, यह संसद् सदस्यों के 'पूल' का नहीं है और इसलिये आवास समिति के सभापति के परामर्श का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें राज्य सभा के महत्वपूर्ण सदस्य होने के कारण बंगला दिया गया है।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या यह सच नहीं है कि राज्य सम्पत्ति के निदेशक ने सम्पर्क अधिकारी को जो संसद् में काम कर रहा है, एक पत्र भेजा था कि अमुक बंगला संसद् के 'पूल' को दे दिया गया है और वह अमुक सदस्य को ही दिया जाना चाहिये। इस का अर्थ है कि मकान पहिले संसद् के 'पूल' में आया है और फिर राज्य सम्पत्ति के निदेशक के निदेशाधीन उस सदस्य को दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य जानकारी मांगने की बजाये जानकारी अधिक दे रहे हैं। स्पष्ट है कि प्रश्न यह है कि जबकि उन के अनुसार उन्हें आदेश या पत्र भेजा गया था कि अमुक बंगला राज्य सभा या विधान मंडल के 'पूल' में आ गया है और उन्हें उस के मिलने की संभावना थी, तो वह 'पूल' निकाल कर किसी अन्य सदस्य को क्यों दे दिया गया ? बंगले को एक बार सदस्यों में से किसी को दिये जाने के लिये रख कर, उसे 'पूल' से क्यों निकाल लिया गया ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : ठीक स्थिति यह नहीं है। लोक-सभा की आवास समिति की आवास उप-समिति ने अपनी छः मार्च, १९६१ की बैठक में यह निश्चय किया था कि श्री अ० मु० तारिक को विनय मार्ग पर वर्तमान फ्लैट संख्या ३१३ के स्थान पर गुरद्वारा रोड या एलनबी रोड पर कोई बंगला देना है। मेरा निवेदन है कि ऐसा संकल्प पास करना उपसमिति के क्षेत्राधिकार में न था क्योंकि मकान संसत्सदस्यों के 'पूल' में नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर यहां आपस में चर्चा करने के बजाय आवास समिति पुनः विचार करे। किसी माननीय सदस्य का किसी अधिकारी से कोई भी सम्बन्ध हो, राज्य-सभा का सदस्य भी बंगले का उतना ही अधिकारी है जितना लोक-सभा का सदस्य है। उसे यह दे दिया गया है। यह स्वयं कोई अपराध या अनियमितता नहीं है। यदि माननीय सदस्य का विचार था कि उन्हें बंगला मिलेगा और अब उन्हें निराशा हुई है तो मैं आवास समिति से इस मामले पर विचार करने के लिये कहूंगा।

†**श्री अ० मु० तारिक** : बात यह है कि उसी मंत्रालय के अधिकारी मुझे ले गये और मुझ से बंगला चुनने को कहा और मैंने इसे चुन लिया। इसकी पुष्टि कर दी गई। बाद में कहा गया कि यह मकान राज्य-सभा के 'पूल' को दे दिया गया है और फिर वह सीधे एक सदस्य को दे दिया गया। इसके 'पूल' को न दिये जाने का क्या कारण है ? अतः मैं इस बात की पुष्टि चाहता हूं कि यह 'पूल' को दिया गया, और फिर यक्ति-विशेष को दे दिया गया या यह 'पूल' को दिये बिना ही दे दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सदस्यों को मकान आवास समिति द्वारा नहीं दिये जाते ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हां, वे मकान जो संसत्सदस्यों के 'पूल' में हैं। इन नौ मकानो में से प्रत्येक मकान जो संसद के वरिष्ठ सदस्यों, यदि ऐसा कहा जा सके तो को दिया गया है वह प्रधात

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री और संसद-कार्य मंत्री की अनुमति से दिया गया है। ये मकान आवास समिति ने नहीं दिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह मकान विधान मण्डल के लिए 'पूल' में रखा गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : कुछ सदस्यों के बंगले संसद सदस्यों के 'पूल' के न थे, अपितु विशेष कारणों से वरिष्ठ संसद सदस्यों को उपलब्ध किये गये।

श्री म० ला० द्विवेदी : आनरेबिल मिनिस्टर ने कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट मेम्बर्स को विशेष सुविधा दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन के सब सदस्य बराबर हैं या कुछ विशेष महत्व के हैं और कुछ कम महत्व के हैं ? मंत्री जी कहते हैं कि कुछ विशेष महत्व के हैं, मोर इम्पोर्टेंट हैं। क्या ऐसा इस हाउस में हो सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन मामलों पर बिना बात ही बिगड़ने से कोई लाभ नहीं। हुआ यह है कि कुछ कमरे और कुछ बंगले राज्य-सभा और लोक-सभा के सदस्यों को दिये जाने के लिए रखे जाते हैं। समय समय पर यदि विशिष्ट दलों के नेता, या वरिष्ठ सदस्य कहते हैं कि उन्हें 'पूल' से बाहर बंगला चाहिये, तो सरकार बंगले 'पूल' न रख कर उन्हें देती रही है। क्या इस प्रश्न काल में यह निश्चय करना चाहते हैं कि सरकार को कोई भी अधिकार न होगा, कि यदि इस के किसी सदस्य को कोई आवास दिया जाता है तो वह केवल आवास समिति द्वारा ही दिया जायेगा ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मुझे दलों के नेताओं को विशेष मकान दिये जाने पर आपत्ति नहीं है। माननीय मंत्री काका कालेल्कर का उल्लेख कर रहे थे जो किसी दल के नेता नहीं हैं। वह कह रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिन्हें अधिक महत्व दिया जाता है। क्या सदस्यों में भी भिन्नता है ?

†**श्री बी० चं० शर्मा** : मेरा विचार है कि श्री म० ला० द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फास्फोरस कारखाना

†*१०९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनीलाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में एक फास्फोरस कारखाना स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्ट इस बीच मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

देश में मौलिक फास्फोरस के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने की सम्भावनाओं का प्रविधिक-आर्थिक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने नवम्बर, १९५९ में तीन इंजीनियर टेक्निकल सहकारिता मिशन प्रोग्राम के अन्तर्गत अमरीका भेजे थे । उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है । सरकारी क्षेत्र में फास्फोरस के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने का प्रश्न आज भी सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

अशोक होटल

†*११००. **श्री चुनी लाल:**
श्री राम कृष्ण गुप्त:
सरदार इकबाल सिंह:

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अशोक होटल के संचालन के अधिक व्यय के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) व्यय कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बोरे

†*११०२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा नये पटसन के बोरे बड़ी संख्या में खरीदे जाने के कारण पटसन-वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है ;

(ख) जनवरी से जून, १९६१ तक सरकार द्वारा कितने नये बोरे खरीदे गये ; और

(ग) क्या पटसन-वस्तुओं के मूल्यों में सट्टा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई असाधारण स्थिति को ध्यान में रख कर सरकार ने इस बीच केवल पुराने बोरे खरीदने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) नहीं, श्रीमान । सरकार जूट की जो वस्तुएं खरीदती है उनकी मात्रा जूट व्यापार की कुल मात्रा की अपेक्षा बहुत

†मूल अंग्रेजी में

कम है और इस कारण बाजार में इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। दिसम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में जब कि बाजार में जरा सी बात को भी प्रभाव पड़ता था, वस्तुओं की किसी भी जांच पड़ताल को परिस्थितियों में उचित महत्व से कहीं अधिक महत्व मिला।

(ख) ४३० लाख बोरे।

(ग) अब जूट का बाजार स्थिर है। पुराने बोरे खरीदने के प्रश्न पर विचार किया गया है। पुराने बोरों की बिक्री का कोई व्यवस्थित बाजार न होने के कारण, जहां से उपयुक्त बोरे पर्याप्त मात्रा में खरीदे जा सकें, और पुरानी वस्तुओं का मूल्यांकन करने में स्वाभाविक कठिनाइयां होने के कारण प्रश्न को व्यावहारिक न होने के कारण छोड़ दिया गया है।

त्रिपुनीथुरा में केबिल कारखाना

†*११०३. { **श्री कोडियान:**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुनीथुरा (केरल) में जापानी सहयोग से एक केबिल कारखाना स्थापित करने में और क्या प्रगति हुई है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ट्राको केबिल कम्पनी लि० ने १७·२० लाख रु० के मूल्य का पूंजीगत माल आयात करने के लिए लाइसेन्स देने की प्रार्थना की है। इसे सिद्धान्त स्वरूप फरवरी, १९६१ में स्वीकार कर लिया गया और फर्म से कहा गया कि वह जापान में माल देने वालों से जापानी निर्यात-आयात बैंक के साथ पुनः अर्थ व्यवस्था के प्रबन्धों के अन्तर्गत विलम्बित भुगतान के लिए लिखा पढ़ी के लिए आगे कार्यवाही करे। कम्पनी बनाने वाले ४० लाख रु० एकत्रित नहीं कर सके जिसके लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी थी अतः योजना की कार्यान्विति में और आगे प्रगति न हो सकी। बाद में, जुलाई, १९६१ में ट्राको एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एरणाकुलम ने, जो ट्राको केबिल कम्पनी के मैनेजिंग एजेण्ट हैं, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और यह संकल्प पास किया कि तार तथा केबिल्स के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करने के लिए उन्हें दिया गया लाइसेंस केरल सरकार को दे दिया जाये। मैसर्स ट्राको केबिल्स लि० ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और अपने एक संचालक को कम्पनी दैनिक प्रशासन का प्रभारी बना दिया। उन्होंने केरल सरकार से बिना बिके अंश खरीदने की भी प्रार्थना की है। उस सरकार ने उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके बाद २० जुलाई, १९६१ को कम्पनी को केरल की कम्पनियों के रजिस्ट्रार से कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया। ट्राको केबिल कम्पनी कारखाने की मालिक रहेगी और इस कारण लाइसेंस में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बदरूचुक और सिमलाबहल की कोयला खानों में दुर्घटनायें

†*११०४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आप्राधिक अपेक्षा के लिए, जिसके फलस्वरूप बदरूचुक और सिमलाबहल की कोयला खानों में भयंकर दुर्घटनायें हुईं, खान-मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) और (ख). हां। खंभे उखाड़ने का कार्य, नियमित लकड़ी लगाने के नियम, विकास कार्य तथा सड़कें और कार्य-स्थलों के सम्बन्ध में कोयला खान विनियमन, १९५७ के उपबंधों के उलंघन के लिए बदरूकुक और सिमलाबहल की कोयला खानों के प्रबन्धकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की गई है ।

ट्रेक्टरों का आयात

†११०५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले १० वर्षों में किन-किन देशों से और कितने ट्रेक्टर आयात किये;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों से जो ट्रैक्टर मंगाए गए हैं उनके पुर्जे नहीं मिल रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) भारत में अप्रैल, १९५१ से १९६० के अन्त तक ३५,४८१ ट्रैक्टर मंगाये गये । ये मुख्यतः इन देशों से आये थे :—

आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, पश्चमी जर्मनी, इटली, जापान, पोलैण्ड, रूमानिया, ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत रूस और यूगोस्लाविया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास में उर्वरक कारखाना

†*११०७. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री बालकृष्णन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में एन्नोर में मिश्रित अमोनियम फास्फेट उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए कामनवेल्थ डेवलपमेंट फाइनेन्स कम्पनी, लि० द्वारा दी जाने वाली सहायता की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या धन राशि विदेशी मुद्रा में होगी ; और

(ग) क्या यह राशि ब्रिटेन से आयात करने के लिए ही नियत की जायेगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कामनवेल्थ डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड मैसर्स ईस्ट इण्डिया डिस्टिलरीज़ एण्ड फैक्टरीज़ लिमिटेड को ६००,००० पाउण्ड स्टर्लिंग ऋण देने के लिए सहमत हो गई हैं ताकि मद्रास में एन्नोर में अमोनियम फास्फोट बनाने के लिए उर्वरक कारखाना स्थापित करने के अपेक्षित विदेशी की आंशिक पूर्ति हो सके । ऋण पर ७ प्रतिशत ब्याज होगा और कर लिया जायेगा और १६७१ तथा १६७५ के बीच पांच समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जायेगा । कामनवेल्थ डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी ने ऋण की यह शर्त नहीं रखी है कि आयात केवल ब्रिटेन से ही किया जाये ।

स्कूटरों के इंजनों का निर्माण

†*१११०. **श्री कालिका सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनफील्ड इण्डिया लि० ने स्कूटर के इंजनों का निर्माण करने के लिये बाल्वर हैम्पटन इंग्लैण्ड की विलीयर्स इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तिरुवत्तीपुर, मद्रास में जहां कि कारखाना बनेगा और किन-किन वस्तुओं के निर्माण होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या ओखला के साइकिल इक्विपमेण्ट (प्राइवेट) लि० भी ब्रिटेन की उपरोक्त फर्म के सहयोग से फ्रीव्हील बनायेगी; और

(घ) दोनों कारखानों की अनुमानित क्षमता कितनी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विलीयर्स इंजन फर्म के विद्यमान कारखाने में बनायें जायेंगे जहां मोटर साइकिलें पहिले से ही बनती हैं । इसके अतिरिक्त, रायल एन्फील्ड स्कूटर भी उसी कारखाने में बनेंगे ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) मैसर्स रायल एन्फील्ड इण्डिया लि० की वार्षिक क्षमता ६,६०० विलीयर्स इंजन बनाने की होगी जबकि मैसर्स साइकिल इक्विपमेण्ट (प्राईवेट) लि०, कालकाजी की क्षमता ५ लाख फ्री-व्हील बनाने की होगी ।

सरकारी ठेके

*११११. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ जुलाई को उन्होंने जबलपुर में अपने भाषण में यह कहा था कि सरकारी निर्माण-कार्य के ठके निजी व्यक्तियों को नहीं दिये जायेंगे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी ठेके केवल सहकारी समितियों को ही देने का निश्चय करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य प्रधान मन्त्री द्वारा जबलपुर में दिये गये एक भाषण के दौरान में कही गई बातों की ओर निर्देश कर रहे हैं। उस भाषण का कोई प्रामाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार १०,००० रुपये से कम आंके गये मूल्य वाले निर्माण कार्यों के ठेके बिना टेंडर मंगाये श्रम-सहकारी समितियों को दिये जा सकते हैं। स्थिति का समय समय पर पुनरावलोकन करते रहना होगा। आज श्रम-सहकारी समितियां केवल बनने की दशा में हैं और अभी बड़े मूल्य के ठेकों को सम्भाल पाने में समर्थ नहीं हैं।

पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में एक सड़क का निर्माण

***१११३. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार काश्मीर के पाक-अधिकृत क्षेत्र में सामरिक महत्व की एक सड़क गैर-कानूनी तरीके से बनवा रही है और उक्त सड़क पेशावर को बरास्ता गिलगित स्कर्दू से मिलायेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान काश्मीर के पाक-अधिकृत क्षेत्र में सामरिक महत्व की अब तक छः सौ मील लम्बी सड़कें बनवा चुका है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गिलगित का हवाई अड्डा ध्वनि की गति से तेज चलने वाले (सुपरसोनिक) विमानों के उपयोग के लिये तैयार किया जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां।

(ख) जो सड़कें बना ली गई हैं, उनकी लम्बाई के बारे में सरकार के पास कोई ठीक सूचना नहीं है।

(ग) रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर में हवाई-अड्डों के सुधार और अमरीकी सैन्य सहायता करार के अन्तर्गत पाकिस्तान को अतिस्वन (सुपरसानिक) हवाई जहाजों की सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार का अनुमान लगाना बेजा न होगा।

विज्ञापन

†***१११४. श्री तंगामणि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों में प्रेस आयोग की "टैलिस्कोपिक रेट टैरिफ" सम्बन्धी सिफारिशों का पालन किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या भेद किये गये ;

(ग) १९६०-६१ में विज्ञापनों पर कितना व्यय हुआ और विज्ञापन कितने समाचार-पत्रों को दिये गये; और

(घ) क्या इन समाचार पत्रों की बिक्री १०,००० से अधिक थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). प्रेस आयोग ने परिचालन तथा विषय की दृष्टि से अधिकतम विभिन्न सरकारी विज्ञापनों के लिये "टैलिस्कोपिक टैरिफ" का सुझाव दिया है । समूचे प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद पता लगा कि समाचार पत्रों की बिक्री सहित स्थितियां आयोग की सिफारिशों के समय से बहुत बदल गई हैं । अतः प्रत्येक समाचार पत्र से अलग-अलग वार्ता करने का निश्चय किया गया जिसका आधार सामान्य सिद्धान्त थे जिनमें सरकार ने यह दावा करने का औचित्य सम्मिलित है कि सरकारी विज्ञापनों की दर के लिये विशेष ध्यान रखा जाये ।

समाचार पत्रों से सीधे वार्ता करने के परिणामस्वरूप सरकार अपने विज्ञापनों के लिये बहुत सी रियायतें प्राप्त कर चुकी हैं ।

(ग) १९६०-६१ में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों पर ५४.९६ लाख रु० व्यय हुए । कुल ९९४ समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये ।

(घ) उपरोक्त समाचार पत्रों में से २२५ पत्रों की बिक्री-संख्या १०,००० या उससे अधिक प्रतियां थीं ।

गुजरात में औद्योगिक संकट

†*१११८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार से कच्चा माल थोड़ा मिलने के कारण गुजरात में "औद्योगिक सँकट" उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गुजरात सरकार ने हाल में भारत सरकार से उन्हें कच्चा माल देने का अभ्यावेदन किया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). कच्चे माल की कमी के कारण गुजरात में कोई "औद्योगिक संकट" उत्पन्न नहीं हुआ । अहमदाबाद में कारखानों को हाल में कोयले की कुछ कमी महसूस हुई थी और उसे दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की गई ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

पटसन मिलों को कच्चे पटचसन का संभरण

†*१११९. **श्री के० प० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई फसल के आने पर भी पटसन मिलों के चालू रहने के लिये कच्चे पटसन का सम्भरण बहुत कम है; और

(ख) देश में इस वर्ष पटसन का अनुमानतः कुल कितना उत्पादन हुआ है और क्या पटसन मिलों को पूरे वर्ष चालू रखने के लिये यह पर्याप्त है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) इस वर्ष जुलाई में वर्षा न होने के कारण फसल के आने में देर हो गई जो कि सड़ाने के लिये आवश्यक है। अगस्त के प्रथम सप्ताह से कच्चा पटसन बाजार में आने लगा है और आशा है शीघ्र ही सम्भरण की स्थिति सम्भल जायेगी।

(ख) पटसन की अधिक खेती होने की दष्टि से इस वर्ष पटसन सम्बन्धी भविष्यवाणी अनुकूल प्रतीत होती है। सामान्य परिस्थितियों में चालू उपयोग के लिये उद्योग की आवश्यकता पूर्ति और कुछ स्टॉक बनाने के लिये विद्यमान फसल पर्याप्त होगी।

अमरीका परियोजना 'नीडल्स' [1]

†*११२०. **श्री नरसिंहन् :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिये एक उपग्रह से तार के छोटे-छोटे ३५ करोड़ टुकड़े छोड़ने की अमरीकी परियोजना "नीडल्स" की ओर आकर्षित हुआ है ;

(ख) क्या इस परियोजना के सम्भव तथा भयंकर प्रस्तावों की जांच पड़ताल हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या इस मामले पर मिल कर या किसी अन्य देश के सहयोग से या अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों द्वारा कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):**(क) सरकार को अमरीका परियोजना "नीडल्स" या इससे जो उद्देश्य प्राप्त होंगे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति

*११२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री २४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें विभिन्न राज्यों में लागू करने के लिये अब तक किये गये प्रयास का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** १७० कारखानों में से ८४ ने सिफारिशों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है। सूचना मिली है कि ३३ और कारखाने कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। शेष कारखानों के प्रबन्धकों के साथ सम्बन्धित राज्य सरकारें आगे कार्यवाही कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] 'Needles'.

भारी पम्प तथा कम्प्रैसर

†*११२२. { श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारी पम्पों तथा कम्प्रेसरों का निर्माण करने वाले कारखाने की जिस उत्पादन पद्धति का भारत ने सुझाव दिया था उसे रूस की सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): रूस सरकार ने रिपोर्ट की लागत के लिये ११.२५ करोड़ रूबल का जो ऋण दिया है उसमें से कुछ धन का उपयोग करके भारत में कम्प्रेसरों तथा पम्पों के उत्पादन पर प्रविधिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने के लिये सहमत हो गई है । इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक जानकारी एकत्रित की जा रही है और रूसी विशेषज्ञों को देने के लिए उस पर विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ता निगम का केन्द्रीय सरकार पर बकाया कर

†*११२३. { श्री अरविन्द घोषाल :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम के नगर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों पर निगम का कोई कर केन्द्रीय सरकार पर बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि देनी है और इसके भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कलकत्ता निगम से प्राप्त हुई मांग सम्बन्धी जानकारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने १९५७-५८ और १९५८-५९ में १६ लाख रु० का अस्थायी भुगतान किया और १९६० में लगभग २.५० लाख रु० का अस्थायी भुगतान किया जो कि बाद में देय वास्तविक राशि के साथ समायोजित होनी थी । प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भी नवम्बर, १९५९ में १२ लाख रु० का ऐसा ही अस्थायी भुगतान किया था ।

पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावे

*११२४. **श्री बलराज मधोक :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित दावेदारों के कितने दावे अब भी अनिर्णीत पड़े हैं;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उन्हें निपटाने में कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या यह कार्य मंत्रालय के बंद होने से पहिले पूरा हो जायेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) लगभग ५ लाख सुनिश्चित दावों में से, जिनमें पुनर्वास अनुदान के प्रार्थनापत्र भी सम्मिलित हैं, केवल लगभग १०,००० के बारे में निश्चय होना शेष है ।

(ख) और (ग). आगामी कुछ मासों में ।

पाकिस्तानी की डाक

†*११२५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमा-शुल्क अधिकारियों ने पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में भेजी गई डाक लौटा दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान ने कोई शिकायत की है और भारत की डाक लौटाने की धमकी दी है; और

(घ) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). कुछ डाक को जिस पर पाकिस्तानी डाक-टिकट लगे थे, जिनमें भारत की सीमा गलत दिखाई गई है, गलतफहमी से भारत में नहीं आने दी ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) ३१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने सरकार की जिस नीति का उल्लेख किया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

सुरक्षा उपकरण समिति

†*११२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनीलाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुरक्षा उपकरण समिति की रिपोर्ट पर सम्बन्धित व्यक्तियों की राय पता लगा ली है;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

†मूल अंग्रेज़ी में ।

(ग) समिति की सिफारिश लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) से (ग). सम्बन्धित हितों की राय मालूम हो गयी है और उसकी छानबीन हो रही है ।

तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन

†*११२७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने प्रारम्भिक बैठक में तटस्थ राष्ट्रों के प्रस्तावित 'शिखर' सम्मेलन में किन-किन अफ्रीकी, एशियाई, या लैटिन अमरीकी देशों के सम्मिलित होने का समर्थन किया था;

(ख) भारत ने किन-किन देशों के सम्मिलित होने का विरोध किया था; और

(ग) सरकार ने यह निश्चय किस आधार पर किया ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). काहिरा में हुई प्रारम्भिक बैठक में यह तय नहीं किया गया था कि बेलग्रेड में १ सितम्बर, १९६१ से आरम्भ होने वाले राज्यों के प्रमुखों या तटस्थ देशों की सरकारों के सम्मेलन में किन-किन देशों को आमंत्रित किया जाय । बैठक ने निमंत्रण भेजने के लिए कुछ कसौटियां अपनायीं । वास्तव में अतिरिक्त देशों को बुलाने के बारे में फैसला करने की जिम्मेदारी उन देशों के काहिरा स्थित राजनयिक प्रतिनिधियों की समिति पर छोड़ दी गयी थी जिन्होंने प्रारम्भिक बैठक में भाग लिया था । ज्ञात हुआ है कि उस समिति की कार्यवाही तथा उसके निर्णय गोपनीय समझे जायेंगे । भारत सरकार का दृष्टिकोण यह था कि जो सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं उनकी व्याख्या यथासंभव उदार ढंग से की जाये । भारत ने कई देशों को निमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा था या उसका समर्थन किया था । इन में से कई देश आमंत्रितों की सूची में शामिल किये गये और कई देशों को शामिल नहीं भी किया गया ।

भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा

†२९१२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री बी० च० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सब-डिवीजन सबरूम और अमरपुर में जलैया क्षेत्र नाम के क्षेत्र पर पाकिस्तान के कब्जे के बारे में चल रहे विवाद का निपटारा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता । (अब त्रिपुरा प्रशासन ने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है कि विवादग्रस्त जिसके अन्दर १२ पाकिस्तानी परिवारों के घुसने की सूचना दी गई थी, वह वास्तव में जलैया क्षेत्र नहीं है किन्तु वह जलैया गांव के पास का क्षेत्र है । इस विवादग्रस्त क्षेत्र के

†मूल अंग्रेजी में

चारों ओर पश्चिम में रंगा फेनी नाला और पूव में आसालोंग या धाला फेनी नाला है । त्रिपुरा प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों और पूर्वी पाकिस्तान के स्थानीय अधिकारियों द्वारा मौके पर प्रस्तावित संयक्त निरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है) ।

काचा थिवू द्वीप[1]

†२९१३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** १४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काचा थिवू द्वीप के कब्ज़े के प्रश्न पर तब से विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) हम नहीं समझते कि लंका सरकार के साथ यह मामला उठाने का यह उचित अवसर है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

सुपर फास्फेट संयंत्र

†२९१४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास राज्य के तंज़ोर जिला में एक सुपरफौस्फेट संयंत्रलगाने के लिये एक गैर सरकारी दल से प्राप्त प्रार्थना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रार्थना रद्द कर दी गई थी क्योंकि सुपरफास्फेट बनाने के लिये पर्याप्त क्षमता का लाइसेंस पहले ही दिया जा चुका है । सितम्बर, १९६१ के अंत में स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो नये प्रार्थनापत्रों पर उसके बाद विचार किया जायेगा ।

ढोरों का निर्यात

†२९१५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में विदेशों को कितने पशुओं का निर्यात किया गया है;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है; और

(ग) १९६१-६२ में पशुओं के निर्यात का क्या कार्यक्रम है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) ४९ ।

(ख) १९८५५ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Katcha Thivu Island.

(ग) पशुओं के निर्यात का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया। विदेशी खरीदारों से विशिष्ट प्रार्थना आने पर केवल थोड़े से पशुओं के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

विदेश स्थित भारतीय मिशन

†२९१६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में किन-किन देशों में नये मिशन स्थापित किये गये थे ; और

(ख) १९६१-६२ में किन-किन देशों में नये मिशन खोले जायगे ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) वर्ष १९६०-६१ में इन देशों में नये मिशन स्थापित किये गये हैं—

कांगो (लियोपोल्डविले) १९-९-१९६० को

इसके अतिरिक्त, वैनकूवर में एक व्यापार मिशन अगस्त, १९६० में स्थापित किया गया था।

(ख) १९६१-६२ में इन देशों में नये मिशन खोले गये हैं या खोलने का विचार है:

(क) सोमालिया

(ख) सेवेगल

(ग) टांगानियका

(घ) क्यूबा :

इस के अतिरिक्त, कुवैत में एक व्यापार मिशन हाल ही खोला गया है।

पशुपति नाथ मन्दिर (नेपाल) को जाने वाले भारतीयों को सुविधायें

†२९१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिवरात्रि दिवस को नेपाल के पशुपति नाथ मन्दिर को जाने वाले यात्रियों के लिये चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का विचार है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) जी नहीं। यात्रियों के लिये चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध नेपाल सरकार द्वारा किया जाता है। भारत में सीमा के पास रक्सौल के स्थान पर बिहार सरकार नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिये चिकित्सालय एवं स्वच्छता की सुविधाओं का प्रबन्ध करती है। सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षित बेकार लोगों को रोजगार देना

†२९१८. **श्री पांगरकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी—जून १९६१ में महाराष्ट्र में पंजीबद्ध बेकार स्नातकों, इंटर पास और मैट्रिक लोगों में से कितनों को रोजगार दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :**

स्नातक . .	५९३ ।
इंटर पास	२९५ ।
मैट्रिक .	७०८२ ।

अनुशासन संहिता का उल्लंघन

†२९१९. **श्री पांगरकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९६१ और जून १९६१ के बीच नियोजकों की ओर से सरकार को कितनी शिकायतें आई हैं जिनमें श्रमिकों पर अनुशासन संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है ; और

(ख) उन सब शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) २८ शिकायतें आई हैं जिनमें सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

(ख) (१) १२ मामलों में जांच करने पर उल्लंघन सिद्ध हुआ और गलती करने वाले व्यक्तियों या उनके केन्द्रीय संघों को उन की सूचना दे दी गई ।

(२) २ मामलों में दोनो पक्षों को इकट्ठे बुलाया गया और समझौता हो गया ।

(३) ३ मामलों में जांच करने पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

(४) २ मामले राज्यों के क्षेत्र में होने के कारण कार्यवाही के लिये सम्बद्ध राज्य सरकारों को भेज दिये गये ।

(५) ९ शिकायतों की जांच जारी है ।

सीमेंट उद्योग में काम करने वाले मजदूर

†२९२०. **श्री पांगरकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की रहने की हालत की जांच की गई है :

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय निकला है ; और

(ग) मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये किन उपायों और साधनों का सुझाव दिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). निष्कर्ष शीघ्र ही भारतीय श्रम पत्रिका में प्रकाशित किये जायेंगे । इन जांचों का उद्देश्य मजदूरों की हालत के बारे में यथार्थ-सूचना एकाशित करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में पटसन उद्योग

†२९२१. **श्री पांगरकर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन उद्योग के विकास के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना में आसाम राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैसर्स आसाम पटसन मिलों समिति द्वारा एक पटसन मिल की स्थापना की योजना में भाग लेने के लिये राज्य सरकार को सक्षम बनाने के लिये आसाम में दूसरी पंच वर्षीय योजना में २८·५ लाख रुपये का उपबंध किया गया था। क्योंकि फर्म संतोषजनक प्रगति करने में असफल रही है, उनको दिया गया औद्योगिक लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। अब राज्य सरकार इस उपबंध का तीसरी योजना अवधि में आसाम में स्थापित किये जाने वाले एक सहकारी मिल की अंश पूजी में अपने अंशदान के तौर पर उपयोग करने का विचार करती है।

बिहार का औद्योगिक विकास

†२९२२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में बिहार में केन्द्रीय सरकार ने जो बड़े पैमाने के उद्योग सीधे स्थापित किये हैं उन के नाम क्या हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी राशि लगाई गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). वर्ष १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार ने बिहार में कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की है। केन्द्रीय सरकार की निम्न परियोजनाओं सम्बन्धी प्रारम्भिक काम बिहार में १९६०–६१ में जारी रहा और उन पर इस प्रकार राशि लगाई गई है :—

परियोजना का नाम	लगाई गई राशि (लाख रुपयों में)
१. भारी इंजिनियरिंग निगम समिति रांची के प्रबंध के अधीन परियोजनायें :	
(क) झरिया में फाउन्डरी फोर्ज परियोजना	१३६·८४
(ख) झरिया में भारी मशीन बनाने की परियोजना	७७·७९
(ग) भारी मशीनी पुर्जा निर्माण संयंत्र, रांची	०·२३
(घ) जगन्नाथ नगर रांची (टाउनशिप)	२६·१९
(ङ) सामान्य व्यय, रांची	१४२·६१*
२. भारतीय तेल शोधन कम्पनी समिति के प्रबन्धाधीन परियोजना :	
(क) बरौनी तेल शोधन कारखाना	९५·२०
योग	४७८·८६

*इस में रांची में परियोजनाओं की सांझी इमारत आदि और प्रशासन तथा कर्मचारी वृन्द पर होने वाला व्यय शामिल है।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में नकली रेशम उद्योग

†२९२३. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में नकली रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) वर्ष १९६०–६१ में इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

महाराष्ट्र में ग्राम आवास योजना

†२९२४. **श्री पांगरकर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम आवास योजना के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि में उक्त योजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]**

मध्यम और निम्न आय वर्ग आवास योजनायें

†२९२५. **श्री पांगरकर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्यम और निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत भूतपूर्व बम्बई और महाराष्ट्र राज्यों को वर्ग वार कितना ऋण दिया गया था ; और

(ख) उक्त अवधि में जिलावार कितने मकान बनाये गये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]**

मंत्रियों के निवासों पर व्यय की गई राशि

†२९२६. **श्री पांगरकर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों के मकानों पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उप मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों के आवासों के सम्बन्ध में १९६०–६१ में बंगलों में परिवर्तन

---

†मूल अंग्रेजी में।

और वृद्धि तथा संधारण पर जिस में बागवानी के काम, मकान कर और उद्योग में लाई गई बिजली व जल का व्यय शामिल है, ७,५६,२७५ रुपये का व्यय किया गया है ।

पंजाब में कुटीर उद्योग

†२९२७. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थाओं को, जो कताई से बुनाई और तैयार करने के सब काम को हाथ द्वारा करके ऊनी माल तैयार करते हैं, कोई छूट नहीं मिलती ;

(ख) क्या यह सच है कि इसी तरीके का प्रयोग करने वाले खादी भंडारों द्वारा तैयार इसी प्रकार के माल पर छूट मिलती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दोनों के बीच किये जाने वाले इस भेद से पंजाब की पहाड़ियों, विशेषकर कुल्लू और कांगड़ा में कुटीर उद्योग को बड़ा धक्का लगा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत, हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थायें, जो कताई से बुनाई और तैयार करने का काम हाथ से करके ऊनी माल तैयार करते हैं, और आयोग को प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रभावित हैं, उन को आयोग से छूट और सहायता एवं प्रविधिक सहायता प्राप्त होती है । यद्यपि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की हथकरघा के ऊनी कपड़े पर छूट देने की कोई योजना नहीं है ।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग

†२९२८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन सहकारी संस्थाओं के क्या नाम हैं जिनको दूसरी योजना अवधि में नारियल जटा के पैर दानों, चटाइयों और अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता मिली है ;

(ख) अब तक उन्होंने नारियल जटा की जो वस्तुऐं बेची हैं उनकी लागत क्या है ; और

(ग) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी गयी थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

नारियल जटा सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर करने के तरीके के अनुसार केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों की मारफत दी जाती है जिनको कि नारियल जटा सहकारी संस्थाओं के लिये सहायता की निर्धारित व्यवस्था के आधार पर अपने अंश के साथ देनी पड़ती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में निम्न संस्थाओं को यह अनुदान ११,००० रुपये और ऋण ५८,७५० रुपये तक प्राप्त हुआ है :

(१) कालारा बैंक नारी मंगल सहकारी संस्था, कटक जिला ।

(२) सिपाल गृह लक्ष्मी सहकारी संस्था, कटक जिला ।

(३) आधंग ग्रामोजोग औद्योगिक सहकारी संस्था, कटक जिला ।

(४) साखी गोपाल नारी मंगल सहकारी संस्था, पुरी जिला ।

(५) तेसीपुर बहुप्रयोजनीय सहकारी संस्था, पुरी जिला ।

(६) गोपाल पुर औद्योगिक सहकारी संस्था, गंजम जिला ।

उन के द्वारा अब तक ४६,००० रुपये की लागत का नारियल जटा का माल बेंचा गया है ।

१९६०–६१ में राज्य सरकार को नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये उनकी योजनाओं के लिये ११,००० रुपये का ऋण और ४,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था । १९६१-६२ के बारे में वित्तीय सहायता राज्य सरकार को, पहले ६ महीने के उनके वास्तविक व्यय तथा १९६१-६२ के पिछले तीन महीनों के प्रत्याशित के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जायेगी ।

क्वार्टरों का दिया जाना

†२९२९. **श्री ई० मधुसूदन राव : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों का अगला भारी आवंटन कब किया जायेगा ; और

(ख) विभिन्न श्रेणियों में आवंटन के लिये कितने क्वार्टर तैयार हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क). ई, एफ, जी और एच श्रेणी के बहुतेरे क्वार्टरों की नवम्बर/दिसम्बर, १९६१ में आवंटन किये जाने की संभावना है ।

(ग) इस समय कोई नहीं ।

मनीपुर में व्यावसायिक शिल्पों की राज्य परिषद्

†२९३०. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में प्रशासन को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय करने के लिये परामर्श देने के लिये व्यावसायिक शिल्पों की एक राज्य परिषद् बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परिषद् कब स्थापित की गई थी और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) यह २३ दिसम्बर, १९६० को स्थापित की गई थी और इसके निम्न सदस्य हैं :—

(१) मुख्य आयुक्त, मनीपुर　　　　सभापति

(२) मुख्य सचिव, मनीपुर . . . .　　　　उप-सभापति

†मूल अंग्रेज़ी में

(३) सचिव, प्रशासन विभाग (विकास) मनीपुर . सदस्य

(४) वित्त सचिव मनीपुर . . . . . "

(५) विकास आयुक्त, मनीपुर . . . "

(६) प्रिंसिपल इंजिनियर, लोक निर्माण विभाग, मनीपुर, . . "

(७) प्रशिक्षण निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, दिल्ली . . . . . "

(८) प्रिंसिपल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल (मनीपुर) . "

(९) शिक्षा निदेशक, मनीपुर, (इम्फाल) "

(१०) सभापति, प्रादेशिक परिषद्, मनीपुर . "

(११) सभापति, इम्फाल नगर पालिका बोर्ड इम्फाल "

(१२) रोजगार दफ्तर अफसर, मनीपुर, (इम्फाल) . . "

(१३) श्रम आयुक्त के तौर पर उद्योग निदेशक, मनीपुर, इम्फाल सदस्य सचिव ।

मनीपुर में कागज बनाने का कारखाना

†२९३१. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन ने लेखन और मुद्रण कार्य के लिये कागज़ बनाने का एक प्रस्ताव जिस पर कुल २० लाख रु० लगे और जिस की क्षमता ५ टन प्रति दिन हो, योजना आयोग को भेजा है ;

(ख) क्या प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है ; और

(ग) क्या पेपर मिल गैर-सरकारी क्षेत्र में बन रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) सुझाव इसे गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का है ।

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अधीन काश्मीर में उद्योग

†२९३२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में काश्मीर में कितनी सीमेन्ट, कागज़, चीनी, कपड़ा, ऊन और छोटे औज़ार के कारखाने खोलने का है ;

(ख) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में कितने-कितने कारखाने होंगे ; और

(ग) ये कारखाने कहां कहां खुलेंगे ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार राज्य में अनेक उद्योग खोलने का विचार कर रही है। इन उद्योगों में सीमेन्ट, कागज, कपास की कताई, औज़ार-उद्योग, आदि सम्मिलित हैं और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोले जायेंगे। इन में से अधिकतर उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे। रेशम और ऊन उद्योग सरकारी क्षेत्र में खोले जा रहे हैं।

पंजाब में औद्योगिक लाइसेंस

†२९३३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले और चालू वर्ष में पंजाब में गैर-सरकारी उद्योगपतियों को कितने लाइसेंस दिये गये और किस-किस उद्योग को दिये गये ;

(ख) ये उद्योग कहां कहां स्थापित होंगे ; और

(ग) क्या-क्या कच्चा माल प्रयोग होगा और वह उपलब्ध भी है या नहीं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). १९६० में और जुलाई, १९६१ तक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिये ८४ लाइसेन्स दिये गये हैं। ये लाइसेंस किस-किस उद्योग के लिये दिये गये हैं और वे कहां कहां स्थापित होंगे, इन बातों का ब्यौरा उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के सामयिक अंकों में प्रकाशित होता है। पत्रिका की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) प्रत्येक लाइसेंस-धारी के कच्चे माल की आवश्यकताओं में अनेक वस्तुयें सम्मिलित होती हैं और उन का अलग अलग विवरण देना संभव नहीं है। फिर भी, लाइसेन्स देने में कच्चे माल की आवश्यकता और उस की उपलब्धता पर उचित ध्यान दिया जाता है।

जम्मू तथा काश्मीर युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

†२९३४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६१ से अब तक पाकिस्तानियों ने जम्मू तथा काश्मीर युद्ध विराम रेखा का कितनी बार उल्लंघन किया है ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) दो सौ चवालीस बार।

(ख) युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन की शिकायतें जहां भी संभव हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सेना प्रेक्षक से की गई हैं।

लंका से आये भारतीय राष्ट्रजन

†२९३५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छ: महीनों में लंका से कितने भारतीय राष्ट्रजन भारत आये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस वर्ष के पूर्वार्ध में (१-१-१९६१ से ३०-६-१९६१ तक) कुल ३३५२ भारतीय नागरिक लंका से आये :—

२१६९—स्वेच्छा से ।

११८३—'चले जाओ' नोटिस पाने पर ।

नागा लोग

†२९३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः मासों में विद्रोही नागाओं ने कितने भारतीय सैनिक तथा नागरिक छोड़े हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें जो सूचना मिली है उस के अनुसार १ फरवरी, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक विद्रोही नागाओं ने ५० नागरिक छोड़े हैं । सुरक्षा बल का कोई सदस्य इस काल में नहीं छोड़ा गया है ।

ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी की हत्या

†२९३७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** २० अप्रैल, १९६१ को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओटावा में भारतीय उच्च आयोग में प्रथम सचिव, श्री शंकर पिल्ले की हत्या की कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कनाडा के प्राधिकारियों ने अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की है जो अभी हो रही है ।

नकली रेशम उद्योग

†२९३८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नकली रेशम उद्योग के कार्यकारी दल की इस सिफारिश पर विचार किया है कि उद्योग को इस प्रकार आधुनिक बनाया जाये कि उस के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हो जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). हां, श्रीमान् । रेशम उद्योग के पुर्नस्थापन तथा आधुनिकीकरण के लिये कार्यकारी दल की सिफारिश स्वीकार हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबारी कागज का चोर बाजार

†२६३६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई के एक दैनिक अंग्रेज़ी समाचारपत्र के प्रबन्धक द्वारा चोर-बाज़ार में अखबारी कागज़ की बड़ी मात्रा खरीदने की जांच पड़ताल इस बीच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). अभी जांच पड़ताल हो रही है।

नई दिल्ली की पुर्नविकास योजना

†२६४०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में रीडिंग रोड, पंचकुइयां रोड, कनाट प्लेस और इर्विन रोड के बीच के क्षेत्रों के पुर्नविकास की योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिलकु० चन्दा) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

कैलाश व मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधायें

†२६४१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** २४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कैलाश व मानसरोवर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चीन सरकार से किये गये अनेक अभ्यावेदनों का कोई उत्तर मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । चीन सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि तिब्बत में उन के स्थानीय प्राधिकारियों ने भारतीय तीर्थयात्रियों को १९५४ के चीन-भारत करार की शर्तों के अनुसार सदैव ही सुरक्षा व

---

†मूल अंग्रेजी में

सुविधायें दी हैं। उन्हों ने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष कैलाश व मानसरोवर न जाने का भारतीय तीर्थयात्रियों को उन के परामर्श देने का कारण यात्रियों की जान व माल की हिफाजत की चिन्ता ही था ।

वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस का दुरुपयोग

†२९४२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात किये गये सूत और इस्पात के कोटों के वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेन्स का पंजाब में अधिक दुरुपयोग हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है ;

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). पिछले बारह महीनों में लोहा और इस्पात के नियंत्रक को पंजाब की चार फर्मों के विरुद्ध इस्पात के लिये वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेन्सों का दुरुपयोग करने की शिकायतें मिली हैं। सूत के बारे में सरकार को कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली हैं ।

(घ) इस्पात के दुरुपयोग के चार में से एक मामले में आरोप निराधार पाये गये। अन्य मामलों की जांच पड़ताल हो रही है ।

सिक्किम की प्रतिरक्षा

†२९४३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री सुब्बया अम्बलम :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम की प्रतिरक्षा के लिये अलग "पैरा मिलिटरी फोर्स" बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक -कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, श्रीमान् ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विचार यह है कि अलग सिक्किम सेना (मिलिसिया) की आवश्यकता नहीं होगी। सिक्किम की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है और इस के लिये पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया गया है ।

पशुओं व पक्षियों का निर्यात

†२९४४. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री विभूति मिश्र : :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशुओं व पक्षियों के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में कोई कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं;

(ग) १९५९ और १९६० में विशेष रूप से किन किन पशुओं का निर्यात किया गया और विभिन्न देशों को वे कितने कितने बेचे गये;

(घ) १९५९–६० और १९६०–६१ में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ङ) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). १९६० में १९५९ की अपेक्षा कुछ कम भारतीय पशुओं व पक्षियों का निर्यात हुआ । इसका मुख्य कारण यह था कि विदेशों में कम मांग थी ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । **(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६) ।**

(घ) १९५९–६० . . १२४ लाख रु० ।
१९६०–६१ . . ९० लाख रुपये ।

(ङ) कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है ।

केरल में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने मकान

†२९४५. श्री कुन्हन : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन औद्योगिक मजदूरों के लिये गृह-व्यवस्था के लिये कितना धन दिया गया;

(ख) अब तक कितने मकान बने हैं; और

(ग) कमी के क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में केरल की सरकार को आर्थिक सहायता प्राप्त आवास योजना के लिये ५१ लाख रु० दिये गये । इस काल में राज्य सरकार ने वास्तव में ११.५७ लाख रु० लिये ।

(ख) २५० मकान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केरल सरकार ने कहा है कि राज्य में योजना में धीरे प्रगति होने के कारण हैं :—

(१) आर्थिक सहायता प्राप्त किराये का भी भुगतान करने में मजदूरों का असमर्थ होना जो कि योजना के अन्तर्गत प्राप्य ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता के आधार पर है; (२) औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समितियों का योजना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम लागत पर भी मकान न बना सकना। ये अधिकतम लागत आजकल पुनः विचाराधीन है; और (३) योजना के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार मालिकों की अपने मजदूरों के लिये मकान बनाने की इच्छा न होना।

उत्तर प्रदेश में कपड़े का मूल्य

†२९४६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जून १९६१ में औसत और बढ़िया कपड़े का मूल्य बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) मूल्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या कपड़ा छपे मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) उत्तर प्रदेश सहित समूचे देश में साधारणतया छपे मूल्यों का पालन किया जा रहा है।

केरल में कोरट्टी में सरकारी प्रैस

†२९४७. **श्री नारायणन कुट्टी मेनन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोरट्टी में स्थापित होने वाले प्रेस के लिये मशीनों के लिये क्रयादेश दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रेस की इमारत का निर्माण कब आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). अपेक्षित विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण अभी मशीन के लिये क्रयादेश नहीं दिये गये हैं।

(ग) प्रेस की इमारत बनाने का प्रबन्ध हो रहा है।

मध्यम आय वर्ग आवास योजना

†२९४८. **श्री दामानी:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है और वह कहां तक सरकार के आशा के अनुकूल है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिये **परिशिष्ट, ३, अनुबन्ध संख्या ८७**]।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई कताई प्रणाली

†२९४९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक ८ मई, १९६१ के "इण्डियन एक्सप्रेस" में ब्रिटेन में कताई की नई प्रणाली के आविष्कार के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर गया है (जिसका कताई संघनक सूत की प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन कहा गया है और जिसका लक्ष्य परिश्रम को कम करना और साथ ही किसी भी निश्चित कार्य के लिये उपयुक्त सूत का उत्पादन करना है) जिसका आजकल एक ब्रिटिश समवाय व्यापार कर रहा है;

(ख) क्या इस बारे में कोई पूछताछ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). जिन व्यक्तियों को बेकार रूई कात कर सूत बनाने के लिये तकुए नियत किये गये हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक यह मशीन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट नहीं की है ।

बिहार में ग्राम आवास योजना

†२९५०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम आवास परियोजना स्कीम के लिये बिहार राज्य को कुल कितना धन दिया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कथित योजना के अन्तर्गत वास्तव में कितना धन व्यय किया गया (जिलावार) और क्या प्रगति हुई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ग्राम आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत बिहार राज्य को प्रतिवर्ष कुल ७४.३० लाख रु० नियत किये गये । उस काल में राज्य सरकार ने वास्तव में केवल १२.४० लाख रु० लिये ।

(ख) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८]**

मिकिर पहाड़ियों से शरणार्थियों को निकालना

†२९५१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिकिर पहाड़ियों से इस कारण कितने शरणार्थियों को निकाला गया कि वे आदि-वासियों की भूमि पर बसे थे;

(ख) सरकार ने उनमें से कितनों को सच्चा शरणार्थी माना और किस प्रमाण के आधार पर उन्हें ऐसा माना गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को वैकल्पिक भूमि मिल गई है और पुनर्वास का भूमि क्षेत्र फल क्या है ;

(घ) क्या अन्य व्यक्तियों को अपने वास्तविक शरणार्थी होने का और पुनर्वास लाभ के अधिकारी बनने के लिये परिस्थितिजनक साक्ष्य प्रस्तुत करके जिसे पश्चिमी बंगाल में स्वीकार किया गया है, प्रभारण देने का अवसर नहीं दिया गया ; और

(ङ) उनकी कितनी संख्या है और उनके बारे में क्या हुआ ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क), (ख) (घ) और (ङ). ३१४६ परिवारों ने मिकिर पहाड़ियों में भूमि पर अनधिकार कब्जा कर लिया था । १९५२ में एक सर्वेक्षण हुआ जिसके फलस्वरूप ५६५ परिवारों को, जिनके पास शरणार्थी पंजीयन कार्ड थे, को सच्चा शरणार्थी माना गया । १९५६ और १९५९ के बीच तीन और सर्वेक्षण हुए जिनसे यह संख्या बढ़ कर क्रमानुसार १०२४, १४५० और १८८४ परिवार हो गई । शेष परिवार इन सर्वेक्षणों के बावजूद भी लिखित या अन्य साक्ष्य के आधार पर अपने को शरणार्थी सिद्ध न कर सके और मिकिर पहाड़ियों से निकाल दिये गये ।

(ग) वास्तविक विस्थापित माने गये १८८४ परिवारों में से ६८५ परिवारों को वैकल्पिक भूमि दे दी गई है जो निम्नानुकूल है :—

परिवार संख्या	प्रति परिवार भूमि क्षेत्रफल
(१) मिकिर पहाड़ी जिले में ४५० परिवार . .	७½ बीघा
(२) नवगंज जिले में कूली कूर्जा में २० परिवार . . .	७½ बीघा
(३) नवगंज जिले में जोखारी में ९० परिवार .	८ बीघा
(४) नवगंज जिले में टिटाजूली में ३५ परिवार . .	८ बीघा
(५) अन्य जिलों में ३५ परिवार . . .	विभिन्न

अन्य १०० परिवार बरपानी में और शेष १०९९ जमूना मौदंगा रिजर्व में भूमि मिलते ही और योजनाओं के तैयार होते ही बसाये जायेंगे ।

जूतों का निर्यात

†२९५२. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से भारतीय जूतों के लिए हाल में बहुत क्रयादेश आये और

(ख) यदि हां, तो मूल्य, जिन देशों के क्रयादेश हैं उनके नाम और वे जिन शर्तों पर स्वीकार किये गये हैं उनके साथ उनका ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हाल में राज्य व्यापार निगम ने जिन विदेशों के जूतों के लिए निम्न क्रयादेश लिये हैं :

खरीदने वाले देश	क्रयादेश की मात्रा	मूल्य (रु० में)
		रु०
जी० डी० आर० .	हाथ के बने जूतों के जोड़े २८,००० .	६,१७,०००.००
रूस . .	हाथ के बने जूतों के जोड़े १,१०,००० .	२६,६४,१४५.००
	मशीन के बने जूतों के जोड़े १०,०००	२,६२,६००.००
योग .	१,४८,००० जोड़	४१,७३,७४५.००

उपरोक्त क्रयादेशों के अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम को फरवरी, १९६१ में रूस से ३ लाख जोड़े जूते भेजने का क्रयादेश मिला था जिसका मूल्य ८२,७२,६१०.०० रु० था । यह बताना निगम को व्यापार-हित में नहीं है कि इन आदेशों की शर्तें क्या हैं ।

लाईसेंस दिये जाने में अनियमिततायें

†२९५३. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाने संबंधी अनियमिताओं का पता लगाने और उनको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) संभवतः चाही गई सूचना आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियम के अन्तर्गत जारी किए गए लाईसेंसों से संबंधित है । आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में जांच और सतर्कता के कार्य को अग्रिमता दी जाती है । अनियमिताओं के मामले में विभागीय तौर से अथवा विशेष पुलिस संस्थापन के माध्यम से जांच कराई जाती है और उचित मामलों में प्राभियोजन किए जाते हैं : नियंत्रण नियमों के उल्लंघन की अपराधी फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है । लाइसेंस जारी करने का विनियमन करने वाली प्रक्रियाओं का भी निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है ताकि अनियमिताओं की संभावना यथासंभव कम की जा सकें । सुरक्षा उपायों को कठोर बनाया गया है ।

समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६०

†२९५४. श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६० की धारा ४३-क के कारण कितने गैर सरकारी समवायों को सरकारी समवाय समझा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन सा कार्य करते थे और उनमें कितनी पूंजी अन्तर्ग्रस्त है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षकों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था

†२९५५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में शिक्षकों के लिए एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था खोली जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्था में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे वह प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा और वह संस्था किस जगह स्थापित की जाएगी ?

†**श्रम और योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) संस्था में इंजीनियरिंग व्यापार के २४४ शिल्प शिक्षकों (क्रैफ्ट इंसट्रक्टर्स) के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी और वह लुधियाना में स्थापित होगी ।

सरोजिनी नगर नई दिल्ली के फ्लैट

†२९५६. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में २० फ्लैटों का एक सरकार द्वारा निर्मित दुमंजिला ब्लाक पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से किराए पर नहीं उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अब उनमें कोई रहने लगा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु०चन्दा) :** (क) से (ग) सरोजिनी नगर में चालीस फ्लैट सामुदायिक सेवा कर्मचारियों जैसे, मेहतरों, चमारों, नाइयों आदि के लिए बनाए गए थे जो कि उस बस्ती में अथवा उसके आसपास सरकारी भूमि पर अधिकार कब्जा किए हुए थे। परन्तु उनमें से किसी ने भी इस आधार पर फ्लैटों का आवण्टन स्वीकार नहीं किया कि वे उन क्वार्टरों का रियायती किराया भी भुगतान नहीं कर सकेंगे । नगरनिगम द्वारा इन फ्लैटों के अन्य गन्दी बस्तियों के निवासियों को आवण्टन की कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली तथा अन्य राज्यों के लिये इस्पात का कोटा

†२९५७. **श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के छोटे पैमाने के उद्योगों का इस्पात का कोटा दुगना कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या पंजाब अथवा किसी अन्य राज्य में भी ऐसी वृद्धि की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) नहीं, श्रीमान् । छोटे पैमाने के उद्योगों के देशी इस्पात के, कोटे के कुछ प्रतिबंध श्रेणियों के संबंध में, अर्धवार्षिक आवण्टन में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मकान बनाने की सोवियत विधि

†२९५८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सोवियत इंजीनियरों द्वारा बेंत और भूसे, जिन्हें हल्के, मज़बूत और टिकाऊ पैनेलों, रैफ्टरों और सीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, से निकाली गई आधुनिक आरामदेय मकान बनाने की विधि की ओर आकर्षित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत की आवास संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए सोवियत सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) भारत सरकार को बेंत आदि से मकान बनाने की सामग्री के उत्पादन की विधि की जानकारी है । बेंत के तख्तों, जिन्हें कम लागत के मकानों के निर्माण में काम में लाया जाता है, के निर्माण के लिए एक गैर सरकारी फर्म धामपुर (जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश) में एक कारखाना खोल चुकी है । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने भी नई दिल्ली की मथुरा रोड पर प्रदर्शिनी के मैदान में उस फर्म द्वारा एक प्रदर्शन गृह के निर्माण की व्यवस्था की थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोहे की ढलाई का कारखाना

२९५९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार में लोहे की ढलाई का कारखाना खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर खोला जायेगा ;

(ग) क्या इस कारखाने की स्थापना का कार्य किसी गैर-सरकारी उद्योगपति को सौंपा जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ)· उत्तरी बिहार में लोहे की ढली हुई वस्तुयें बनाने के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है । शायद यह प्रश्न लोहे के ढले हुये स्पन पाइप बनाने के बारे में पूछा गया है । उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१ के आधीन मेसर्स गेडे आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड को दिनांक १४ अक्तूबर, १९६० को एक लाइसेंस दिया गया है । यह लाइसेंस बिहार राज्य के हजारी बाग ज़िले को डरमा नामक स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र में एक नया औद्योगिक कारखाना खोलने के लिये दिया गया है जिसमें ३०,००० टन प्रतिवर्ष लोहे के ढले हुए स्पन पाइप और पाइप फिटिंग्स बनाये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का विकास

२९६०. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के विकास के लिए ४८ करोड़ रुपये स्वीकार करने का सुझाव दिया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने उन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल २८ करोड़ रुपये मंजूर किये हैं; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा रखी गई मांग में इतनी कमी करने का क्या कारण है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) : (क) से (ग). राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विस्तृत विचार करने तथा राज्य प्रतिनिधियों से परामर्श करने के उपरान्त उत्तराखंड क्षेत्र के लिए २८ करोड़ रुपये का व्यय मंजूर किया गया।

राज्यों के योजना विभागों के सचिवों का सम्मेलन

२९९१. **श्री खुश वक्त राय** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में राज्यों के योजना विभागों के सचिवों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) उक्त सम्मेलन के सम्मुख क्या कार्यक्रम था;

(ग) सम्मेलन ने क्या निर्णय किये; और

(घ) उन पर योजना आयोग की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना उप मंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) : (क) से (घ). मुख्यतया योजना के क्रियान्वयन में दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु २ जून, १९६१ को राज्यों के योजना सचिवों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार हुआ :—

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सहायता का रूप, (२) १९६१–६२ की वार्षिक योजना का प्रस्तुतीकरण, (३) १९६२–६३ की वार्षिक योजना तैयार करने का कार्यक्रम, (४) प्रगति रिपोर्टों की तैयारी, (५) जिला एवं खंड योजनाओं की तैयारी, और (६) ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के लिए निर्माण कार्यक्रम। इस सम्मेलन का उद्देश्य सामान्य समीक्षा करना था न कि कोई निश्चय करना।

केन्द्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, मद्रास

†२९९२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि ने मद्रास में केन्द्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाकी स्थापना में भारत की सहायता करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में संयुक्त राष्ट्र निधि का अंशदान कितना होगा; और

(ग) योजना के क्रियान्वयन की दिशा में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) ६१२,००० अमेरिकी डालर।

(ग) संचालन की योजना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से, जो परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी, प्रतीक्षित है। इस बीच में इमारतों के निर्माण, स्थानीय उपकरण की खरीद, कर्मचारियों की भर्ती आदि के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा मिल मालिक

†२९६३. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिल मालिकों ने सरकार से कपास का बफर स्टाक बनाने का प्रस्ताव किया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कपड़ा मिल मालिकों से कपास के बफर स्टाक के निर्माण का कोई निर्दिष्ट प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुग्रा है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

मंत्रियों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता

†२९६४. **श्री ग्र० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ग्रपनी कैबिनेट के सदस्यों को यह सुझाव दिया है कि जब निर्वाचन के समय वे निर्वाचन ग्रभियान के लिए ग्रपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायें तो दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता कम लें; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) ग्रौर (ख). प्रधान मंत्री द्वारा निवास स्थान के नगरों ग्रथवा निर्वाचन क्षेत्रों के दौरों पर दैनिक भत्ता ग्रौर यात्रा भत्ता प्राप्त करने के सम्बन्ध में समस्त केन्द्रीय मंत्रियों ग्रौर उपमंत्रियों को एक नोट भेजा गया था परन्तु उसमें निर्वाचन के समय निर्वाचन ग्रभियान सम्बन्धी दौरों का निर्देश नहीं किया गया था ।

हलों का निर्माण

†२९६५. **श्री ग्रजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को सरकारी उद्योगक्षेत्र में हलों[1] के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना की ग्रनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल लागत कितनी है; ग्रौर

(ग) उसमें भारत सरकार का ग्रंशदान कितना होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं श्रीमान् । इस मंत्रालय में ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) ग्रौर (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्र मंडल प्रेस यूनियन फेलोशिप योजना

†२९६६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल प्रेस यूनियन फेलोशिप योजना, जिसके ग्रन्तर्गत राष्ट्रमंडलीय देशों के दस पत्रकारों ने १८ मई, १९६१ से तीन सप्ताह तक ब्रिटेन का दौरा किया था, का ब्यौरा क्या है;

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

[1]'Walking' ploughs

(ख) स्टेट्समैन के एक रिपोर्टर को भारत का राष्ट्रमण्डल के एक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए किस तरीके से चुना गया था; और

(ग) उस दौरे का कुल व्यय कितना है और उसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) राष्ट्रमंडल प्रेस यूनियन द्वारा तैयार की गई यात्रा फेलोशिप योजना का संक्षेप संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०]** इस योजना के अन्तर्गत दस पत्रकारों ने १८ मई, १९६१ से तीन सप्ताह तक ब्रिटेन का दौरा किया ।

(ख) राष्ट्रमंडल प्रेस यूनियन प्रति वर्ष अक्टूबर में अपनी समुद्र-पार शाखाओं से नामांकन आमंत्रित करता है तथा उनसे परिषद् द्वारा विचार किये जाने के लिए दो नामों की सिफारिश करने के लिए कहा जाता है । नामांकन प्राप्त हो जाने पर, प्रेस यूनियन की प्रशिक्षण एवं शिक्षा उपसमिति समस्त सूची की जांच करती है और प्रत्येक देश से एक पत्रकार के नाम की, प्रेस यूनियन की परिषद्, जो इस मामले में अंतिम प्राधिकारी है, में उस वर्ष के प्रतिनिधिमंडल के लिए सिफारिश करती है । भारत में राष्ट्र मंडल प्रेस यूनियन की समुद्र पार शाखा का मुख्यालय कलकत्ता में है । "स्टेट्समैन" और "अमृत बाजार पत्रिका" के सम्पादक भारतीय शाखा के अवैतनिक संयुक्त-सचिव हैं । "स्टेट्समैन" के एक रिपोर्टर के नाम की सिफारिश प्रेस यूनियन परिषद् की भारतीय शाखा द्वारा की गई थी और यह सिफारिश यूनियन की परिषद् द्वारा स्वीकार कर ली गई थी ।

(ग) सरकार को उस दौरे के कुल व्यय की जानकारी नहीं है क्योंकि वह प्रेस यूनियन परिषद् द्वारा वहन किया था, भारत सरकार अथवा किसी अन्य भारतीय संगठजन द्वारा नहीं ।

विमानों द्वारा भारतीय व्यापार

†२९६७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विमानों द्वारा व्यापार की १९५८, १९५९ और १९६० में क्या स्थिति थी;

(ख) भारत के कुल आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात और व्यापार से विमानों द्वारा हुए आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात और व्यापार का क्या प्रतिशत है;

(ग) १९५८, १९५९ और १९६० में विमानों द्वारा आयात एवं निर्यात की गई मुख्य वस्तुएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विमान द्वारा व्यापार के विस्तार के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]** ।

टाइप लाइनें सैट करने और ढालने के लिए स्वचालित मशीनें

†२९६८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी, उर्दू, बंगाली,मराठी, फारसी, पश्तो, अरब, तामिल, तेलगू तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं के टाइप को सैट करने के लिए लेनिनग्राड प्रिंटिंग मशीनरी प्लाण्ट में तैयार की गई आटोमैटिक मशीन का ब्यौरा क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह मशीन सात घण्टों में ४५,००० अक्षर कैसे सैट कर लेती है; और

(ग) क्या भारत का ऐसे मुद्रण यंत्र की स्थापना का विचार है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार द्वारा की गई पूछताछ से मालूम होता है कि लेनिनग्राड प्रिंटिंग मशीनरी प्लाण्ट में तीन आटोमैटिक मशीनें बनाई जा रही हैं जिनमें से एक पुस्तकों और पत्रिकाओं, शीर्षक लाइनों, सजावटी विज्ञापनों और विभिन्न भाषाओं के मूलपाठों से अनेक वर्णमाला चिह्नों की सहायता से टाइप लाइनें सैट करने और ढालने के लिए है। परन्तु ज्ञात हुआ है कि अभी ये मशीनें प्रयोग की अवस्था में हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

प्रलेखीय चल-चित्र

२९६९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक कितनी प्रलेखीय फिल्में बनाई गईं ;

(ख) इस वर्ष ऐसी कितनी फिल्में बनाने का प्रस्ताव है ;

(ग) उपरोक्त फिल्मों से पंचवर्षीय योजना के बारे में कितनी फिल्में हैं और ;

(घ) जो फिल्में बनायी जायेंगी उनमें से कितनी पंचवर्षीय योजना के बारे में होंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ग).

साल	बनाई गई फिल्मों की संख्या	योजना और उसकी उपलब्धि संबंधी विभिन्न विषयों पर बनायी गई फिल्मों की संख्या
१९५९	११२	२५ और ३५ के बीच में
१९६०	८७	२० और ३० के बीच में
१९६१ (जुलाई तक)	५९	१५ और २० के बीच में

(ख) और (घ). १९६१–६२ में ९८ फिल्में बनाने का लक्ष्य है। इसमें से ३५ और ४५ के बीच में योजना संबंधी होंगी।

बिजली का सामान

†**२९७०. श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी बिजली के सामान संबंधी आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत देशी संसाधनों भोपाल के हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को सम्मिलित करके, से उपलब्ध है ; और

(ख) इस संबंध में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में क्या स्थिति थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जहां तक जनेरेटिंग संयंत्र भारी आकार के ट्रांसफार्मार, मोटर, दूर संचार उपकरण जैसे भारी बिजली के उपकरणों का संबंध है, इनकी समस्त आवश्यकता का अभी तक आयात किया जा रहा है क्योंकि हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में उत्पादन अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है । ट्रांसफार्मरों और मिडियम रेंज के मोटरों, तांबे के कण्डक्टरों, ए० सी० एस० आर ०, रबड़ और पी० वी० सी० इन्स्युलेटेड केबल और तार, पंखों, रेडियो, ड्राई बैटरियों, स्टोरेज बैटरियों आदि की मांग अधिकांश में देशीय उत्पादन से पूरी की जाती है। इन उद्योगों के लिये १६६०-६१ के लिये निर्धारित लक्ष्य प्रायः प्राप्त कर लिए गए हैं। दूसरी योजना के अन्त में बिजली के सामान के उत्पादन का मूल्य १०५ करोड़ रुपये था जिसमें १.१ करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया गया और इस अवधि में आयात लगभग ५० करोड़ रुपये के सामान का किया गया ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के उत्पादन का मूल्य लगभग १६ करोड़ रुपये था और आयात ३१ करोड़ रुपये का था ।

गोरखपुर मजदूर संगठन

२६७१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोरखपुर मजदूर संगठन को तोड़ने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ?

विदेश भेजे गये प्रशिक्षार्थी

२६७२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विस्तृत सहायता कार्यक्रम, कोलम्बो योजना, चतुः सूत्री कार्यक्रम और यूनेस्को परियोजना के अधीन उनके मंत्रालय ने इस वर्ष अब तक कितने प्रशिक्षार्थियों को विदेशों में भेजा है ; और

(ख) इन लोगों के चयन का कौनसा तरीका अपनाया गया ?

श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २६ (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विस्तृत सहायता कार्यक्रम-४, कोलम्बो योजना-१६, चतुः सूत्री कार्यक्रम-६)।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं कर्मचारियों के संगठनों के अपेक्षित संख्या के योग्य प्रतिनिधियों के नाम टेक्निकल सहायता देने वाली संस्थाओं को भेजे जाते हैं जो प्रशिक्षार्थियों का अंतिम चुनाव करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात का आयात

†२९७३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए ४०,००० टन विशेष प्रकार के इस्पात के आयात के लिये लाईसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस इस्पात में से पंजाब के लिये आवण्टन कितना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जिन विभिन्न श्रेणियों के इस्पात की कमी है उनके ४८,००० टन के आयात की व्यवस्था, केवल छोटे पैमाने के उद्योगों को वितरण करने के लिए, राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई है ।

(ख) ३,७८६ टन ।

अल्पकालीन समाज कल्याण पाठ्य-क्रम

†२९७४. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा कलकत्ता स्थित भारतीय समाज कल्याण एवं व्यापार प्रबन्ध संस्था को कुछ अनुदान दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और किस प्रयोजन के लिये ;

(ग) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में कुछ असिस्टेंटों को अल्पकालीन समाजकल्याण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था ;

(घ) यदि हां, तो कितनों को ;

(ङ) क्या उन अधिकारियों का भेजा जाना अब बन्द कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). अभी तक सरकार द्वारा नामांकित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये वर्ष में दो बार गहन पाठ्यक्रम के संचालन के लिए ३,००० रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा था । यह अनुदान जून, १९६१ से बढ़ाकर ५,००० रुपये कर दिया गया है ।

(ग) और (घ). पिछले पांच वर्षों में एक ।

(ङ) और (च). जी हां । जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह सचिवालय सेवा के सहायकों के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक नहीं है ।

खानों के बन्द होने से बेकार हुए मजदूर

†२९७५. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों (१९५६–६०) में सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्रों की बहुत सी खानें बन्द हो गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी और उससे कितने मजदूर विस्थापित हुए ;

(ग) उन मजदूरों को पुर्ननियोजित करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है ;

(घ) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में इस प्रकार विस्थापित मजदूरों की मजूरी, भविष्य निधि, छंटनी प्रतिकर, कोयला पंचाट, कोयला खान बोनस आदि की देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ङ) कुल देय राशि कितनी है ;

(च) देय राशि के इतने समय तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(छ) उसके अविलम्ब भुगतान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) से (छ). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग

†२९७६. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज ने अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से दिल्ली की गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को कुल संख्या कितनी है ;

(ग) गंदी बस्तियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी कितने हैं जिन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, और

(घ) क्या उन लोगों को, जो अन्यथा अपनी बारी से बाहर क्वार्टर पाने के अधिकारी हैं क्वार्टर दिये जाने की कोई योजना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां। भारत सेवक समाज ने १९५६–५८ में अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से पुरानी दिल्ली की गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया था और उसके निष्कर्ष १९५८ में प्रकाशित "स्लम्स ऑफ ओल्ड देहली" नामक पुस्तक में दिये हुए हैं।

(ख) सर्वेक्षण के अनुसार, पुरानी दिल्ली की ६१ बस्तियों और १,७२६ कटरों में ४८,५०० परिवार या २,२५,००० से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं।

(ग) समाज द्वारा किये गये कुछ क्षेत्रों के नमूने सर्वेक्षण से यह पता लगता है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों में से लगभग १.९४ प्रतिशत लोग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी थे और .५८ प्रतिशत लोग दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी थे। ये सरकारी कर्मचारी गंदी बस्तियों में इस वजह से रह रहे हैं कि या तो उन्होंने सरकारी आवास के लिए आवेदन नहीं किया है या अभी उनकी वारी नहीं आयी है।

(घ) अपनी बारी से बाहर सरकारी आवास दिये जाने की प्रार्थनाओं के संबंध में प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है। अपनी पारी से बाहर सरकारी आवास दिये जाने के लिये किसी सरकारी कर्मचारी से प्राप्त प्रार्थना पर विचार करते समय

---

†मूल अंग्रेजी में

कई बातों में एक इस बात पर भी विचार किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी के पास जो जगह है वह कहां तक उपयुक्त है ।

पोलिश चल-चित्र

†२९७७. { **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराज कुमार विजय आनन्द : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्सर बोर्ड ने विश्वविख्यात पोलिश चलचित्र "ऐशेज एण्ड डायमन्ड्स" भारत में प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मनाही के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख) : जी नहीं । पोलिश चल-चित्र "ऐशेज एण्ड डायमन्ड्स" के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये अभी हाल ही में मंजूरी दी गयी है। निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने एक गलत वक्तव्य जारी किया था जब कि सेन्सर बोर्ड उस चल-चित्र पर अब भी विचार कर रहा है ।

रूई का मूल्य

२९७८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात के कृषकों को जहां इस वर्ष १४ $^1/_2$ लाख गांठ रूई की पैदावार हुई है, रूई के भाव गिर जाने से कम से कम ८ करोड़ रुपये की हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : जी, नहीं । १९६०-६१ की फसल में भारतीय रुई के भाव पिछली फसल से कम रहे जब कि रूई की बहुत कमी थी । इसका प्रभाव न केवल गुजरात के ही किसानों की आमदनी पर पड़ा बल्कि शेष सारे भारत पर भी ।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

†**२९७९. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को सामान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). उत्पादन बढ़ने के कारण हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को अपर्याप्त सप्लाई के कारण कुछ कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । सप्लाई के वैकल्पिक/अतिरिक्त साधन मालूम करने के लिये कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीविजन

२९८०. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विकास खण्ड समितियों ने कुछ विकास खंड पदाधिकारियों के कार्यालयों में टेलीविजन की व्यवस्था के बारे में शिकायत की है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कार्यालयों में टेलीविजन नहीं लगाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सभी कार्यालयों को टेलीविजन सेट दिये जायेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं :

(ख) से (ङ). टेलीविजन सेट सरकारी कार्यालयों में लगाने के लिये नहीं हैं। वे प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत दिल्ली में और उसके आसपास के सामुदायिक केन्द्रों में बनाई गई टेलीविजन क्लबों में बांटे गये हैं। टेलीविजन के माध्यम से कुछ विषयों को बढ़ाने की योजना के अनुसार टेलीविजन सेट कुछ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी लगाये गये हैं।

प्रति व्यक्ति व्यय

†२९८१. **डा० सामन्त सिंहार :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय का क्या विवरण है; और

(ख) किस आधार पर इस रकम का हिसाब लगाया गया है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). पंचवर्षीय योजना में रखी गयी व्यवस्था पर राज्य की योजनाओं, केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं और गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली योजनाओं को ध्यान में रखकर ही विचार करना होता है। विभिन्न राज्यों या प्रदेशों में प्रति व्यक्ति व्यय के अर्थ में इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना

†२९८२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने ने कुछ प्रशिक्षार्थियों को घड़ियां बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये जापान भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने के कर्मचारियों में से चुने गये थे या बाहर से ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी हां। जापान भेजे गये ५१ प्रशिक्षार्थियों में से ४३ को बाहर से अखिल भारतीय आधार पर भरती किया गया था और ८ को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों में से चुना गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित[1] कर्मचारी

†२९८३. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर सरलीकृत सेवानिवृत्ति नियम (लिबरलाइज्ड पेन्शन रूल्स) लागू कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या स्थायी कार्यप्रभारित कर्मचारियों से विकल्प पूछा गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्वार्टरों में बिजली के कनेक्शन

†२९८४. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम विनय नगर के 'सी' ब्लाक में ३२ क्वार्टरों को छोड़कर सभी क्वार्टरों में बिजली के कनेक्शन लगा दिये गये हैं, और

(ख) यदि हां तो इस ब्लाक में किस साल किस महीने में बिजली के कनेक्शन लगाये गये थे और ३२ क्वार्टरों में अब तक बिजली न दिये जाने के क्य कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) नेताजी नगर के 'सी' ब्लाक के दूसरे क्वार्टरों में १९५८ में नयी दिल्ली नगरपालिका ने बिजली के कनेक्शन दिये थे। किसी गलतफहमी के कारण नयी दिल्ली नगरपालिका ने इन ३२ क्वार्टरों में बिजली के कनेक्शन नहीं दिये। अब कनेक्शन दिये जा चुके हैं और मीटर लगाये जा रहे हैं।

दंडकारण्य में उद्योग

†२९८५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य क्षेत्र में उद्योग चालू करने की योजनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन से उद्योग चालू करने का विचार है; और

(ग) उन उद्योगों में कितनी रकम लगायी गयी है या लगायी जाने वाली है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान १ फरवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक की अवधि के लिए दंडकारण्य परियोजना संबंधी प्रगति विवरण की ओर, जो १७ अगस्त, १९६१ को इस सभा के सदस्यों में बांटा गया था दिलाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Work charged

अन्तर्राष्ट्रीय रेशम कांग्रेस

†२९८६. **श्री कलिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय रेशम कांग्रेस में भारत के भाग लेने से भारत को क्या लाभ हुए या होने वाले हैं, और

(ख) "रेशम के २००० साल" प्रदर्शनी में भारतीय रेशम या रेशमी कपड़े की क्या क्या चीजें प्रदर्शित की गयी थीं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) रेशम कीट पालन उद्योग में अनुसंधान तथा आधुनिकतम उन्नति संबंधी जानकारी का आदान प्रदान।

(ख) भारत सरकार ने प्रदर्शनी के लिए कांग्रेस में कोई रेशमी कपड़े नहीं भेजे थे।

मद्रास में सहायक उद्योगों का सर्वेक्षण

†२९८७. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में सहायक उद्योगों का सर्वेक्षण हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण में सहायक उद्योगों की कौन कौन सी वस्तुएं आ जायेंगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। मद्रास राज्य में सहायक उद्योगों का सर्वेक्षण करने का काम नेशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च को सौंपा गया है।

(ख) सर्वेक्षण में संपूर्ण राज्य में उद्योगों के निम्नलिखित १५ समुदाय आ जायेंगे।

१. औद्योगिक मशीनें

२. खेती की तथा मिट्टी हटाने की मशीनें

३. मशीनी औजार

४. औद्योगिक, वैज्ञानिक और गणितीय औजार (मैकैनिकल)

५. इंजन डिब्बे आदि, जहाज, और हवाई जहाज

६. बाइसिकिल

७. बॉयलर और भाप पैदा करने वाले संयंत्र

८. दूसरी मुख्य मशीनें—स्टीम इंजन, टर्बाइन्स और इन्टरनेशनल कम्बशन इंजन

९. मोटर गाड़ियां आदि (ऑटोमोबाइल्स)

१०. वाणिज्यिक, कार्यालय संबंधी तथा घरेलू साज सामान

११. बिजली की मशीनें और उपकरण

१२. दूर संचार उपकरण

१३. अद्योगिक औजार (इलेक्ट्रिकल)

†मूल अंग्रेजी में

१४. रेडियो

१५. एयर कंडिशनर्स और कोल्ड स्टोरेज उपकरेण जिनमें रेफ्रिजरेटर्स शामिल हैं ।

चेको स्लोवाकिया को लौह अयस्क का निर्यात

†२६८८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६१ में चेकोस्लोवाकिया को कुल कितना लौह अयस्क भेजना मंजूर किया गया है ; और

(ख) किस बन्दरगाह से यह अयस्क भेजा जाने वाला है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) लगभग ६.६० लाख टन ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, विजगापट्टम्, मद्रास, कोचीन, कारवार, बेलेकेरी, मंगलौर, रेडी, कुन्डापुर और होनावर ।

सूती कपड़ों की कीमतें

†२६८६. **श्री च० का भट्टाचार्य** : **श्री तंगामणि** : **श्री कुन्हन** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ों का दाम घटाने के लिए तत्कालीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा निकाले गये सूत्र को कुछ मिलें पिक्स और/या काउन्ट घटाकर उत्पादन की किस्म में परिवर्तन करके टाल रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन नई किस्मों का दाम निर्धारित करने में सरकार का बहुत कम हाथ है ;

(ग) क्या मिलों से माल प्राप्त करने में व्यापार संघ की कठिनाइयों के बारे में किसी व्यापार संघ से सरकार के पास कोई अभ्यावेदन पहुंचे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). इससे पहले कि मिल कोई नये किस्म का माल तैयार करे वस्त्र आयुक्त की अनुमति लेनी होती है । उस नये माल की कीमत के लिए भी अनुमति लेनी होती है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि मूल्य निर्धारित करने के सूत्र को टाला जा रहा है । माल प्राप्त करने की कठिनाइयों के बारे में कुछ व्यापार संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है लेकिन आम तौर से यह बताया गया है कि छपे हुए मूल्य पर सूती कपड़े उपलब्ध हैं । सरकार स्थिति पर बराबर ध्यान दे रही है ।

कलकत्ते में मुसलमानों के धार्मिक स्थान

†२६६०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १० अगस्त, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते में

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे कितने और कौन कौन से मुसलमानों के धार्मिक स्थान हैं जो अभी तक यथोचित उपयोग के लिए उन्हें नहीं दिये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: १६ मस्जिदें, जो नीचे दी गयी सूची में बतायी गयी हैं :—

१. १, ललित मित्र लेन
२. ७/१ बिजय बोस रोड
३. ३, नरकेलडंगा उत्तर रोड (लिछू बागान)
४. १६/१ मुरारी पुकुर रोड
५. १२१/१ अमृतलाल मित्र लेन
६. ७/१ बेलियाघाट मेन रोड
७. आजाद नगर बस्ती, २४ - परगना
८. ७ चन्द्रनाथ सिमलाई लेन
९. १ कैजर स्ट्रीट
१०. ११० एमहर्स्ट स्ट्रीट
११. ८ कालीमुद्दीन लेन
१२. ९३ लालपुकुर रोड
१३. ३ सिमला रोड
१४. ३ इब्राहीमपुर, टालीगंज
१५. ६/१ मुरारीपुकुर रोड
१६. ११ हरीश नियोगी रोड

गंदी बस्तियां हटाना

†२९९१. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए नियत की गयी रकम पूरी पूरी खर्च की जा चुकी है ;

(ख) मद्रास राज्य के लिए कितनी रकम नियत की गयी थी और कितनी खर्च की गयी ; और

(ग) छै शहरों में गन्दी बस्तियां हटाने के बारे में सेन समिति की योजना कहां तक कार्यान्वित की गयी है ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यों में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए आरम्भ में २० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। बाद में योजना के साधनों का पुर्नमूल्यांकन करने पर यह रकम घटा कर १२.९९ करोड़ रुपये कर दी गयी जिस में से ९.७५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता थी और शेष राज्यों का अपना

---

†मूल अंग्रेजी में

निजी अंशदान था। दूसरी योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार ने ७.६० करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी है। राज्यों का तत्सम अंशदान उसी के अनुसार लगभग २.५४ करोड़ रुपये होगा।

(ख) दूसरी योजना अवधि में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए मद्रास सरकार को १६८ लाख रुपये की रकम दी गयी थी जिसमें से १२६ लाख रुपये केन्द्रीय सहायता थी और बाकी राज्य का अपना अंशदान था। इस अवधि में राज्य सरकार ने ९४.६५ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता ली। राज्य सरकार का तत्सम अंशदान ३१.५५ लाख रुपये होना चाहिये।

(ग) गन्दी बस्ती हटाने से सम्बन्धित मंत्रणा समिति ने छः शहरों के बारे में जो सिफारिशें की हैं वे इस प्रकार मंजूर की गयी हैं :—

(१) राज्य सरकारों आदि को यह सलाह दी गई थी कि छै शहरों में गन्दी बस्तियां हटाने का काम और जोर शोर से किया जाये।

(२) जिन राज्यों में ये बड़े बड़े पांच शहर (दिल्ली को छोड़ कर) बसे हुए हैं, उन्हें ५ करोड़ रुपये की रकम तक की गन्दी बस्तियां हटाने/सुधार करने की और परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था। दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने/सुधार करने का काम शुरू करने के लिए दिल्ली नगर निगम को तदर्थ अनुदान दिये गये थे।

(३) इन छै शहरों में राज सहायता का केन्द्रीय अंश स्वीकृत लागत के २५ प्रतिशत से ३७ $^1/_2$ प्रतिशत बढ़ा दिया गया था।

पंचकुई, रोड़, नई दिल्ली पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर

†२९९२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुई रोड, नयी दिल्ली, के क्वार्टरों के ब्लाक ८० में जो निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, बिजली दी जा रही है और नयी दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले उसी क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी के दूसरे क्वार्टरों में वह नहीं दी गयी है जबकि इन क्वार्टरों में रहने वाले लोगों ने कई बार इस सम्बन्ध में प्रार्थनायें भेजी हैं ; और

(ख) यह मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). सरकार की नीति यह है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सभी क्वार्टरों में, लेकिन उन क्वार्टरों को छोड़ कर जिनकी मरम्मत लाभदायक न होने के कारण उन्हें गिराया जाने वाला है, बिजली लगायी जाये। । पंचकुई रोड पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर, ब्लाक ८० के क्वार्टरों को छोड़ कर डी आई जेड क्षेत्र के विकास के पहले दौर में गिराये जाने वाले हैं और इस कारण उनमें बिजली लगाने का विचार नहीं है। चूंकि ब्लाक ८० के क्वार्टर पहले दौर में नहीं गिराये जाने वाले हैं इसलिये इस ब्लाक के क्वार्टरों में बिजली लगायी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्वार्टर का किराया

†२९९३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को 'ए' दर्जे का शहर बना देने से अधिक मकान किराया भत्ते का लाभ कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए निरर्थक हो गया है क्योंकि उनके वही पुराने क्वार्टरों के लिए उनसे और ज्यादा किराया लिया जा रहा है ; और

(ख) क्या कम से कम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मुफ्त क्वार्टर देने का सरकार का विचार है जिससे कि उन्हें दिल्ली के 'ए' दर्जे का शहर बनने से वास्तव में कुछ फायदा हो ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं । जिन सरकारी कर्मचारियों को सरकारी जगह दी गयी है, उन्हें कोई मकान किराया भत्ता नहीं मिलता । सरकारी मकान जिन्हें दिये गये हैं वे अपनी उपलब्धि के १० प्रतिशत की दर से किराया देते हैं (जिनकी आमदनी १५० रु० माहवार से कम होती है उनके लिये ७ $^1/_2$ प्रतिशत की दर से) लेकिन वह एफ० आर० ४५-क के अधीन स्टैन्डर्ड किराये से अधिक नहीं होता । दिल्ली को 'ए' दर्जे का शहर घोषित कर देने से किराया वसूली के सिद्धान्त में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) जी नहीं । दिल्ली को 'ए' दर्जे का शहर घोषित करने का किराया माफी की रियायत देने के सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

घड़ियों का निर्माण

†२९९४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में जापान के सहयोग से घड़िया तैयार करने के लिये कितने प्रतिशत पुर्जे विदेश से मंगाये जाते हैं ; और

(ख) किस समय तक यह आशा की जाती है कि पुर्जो का आयात नहीं किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अभी आजकल हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने आयात किये गये पुर्जों से घड़िया जोड़ी जाती हैं । देश उत्पादन क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार चालू होगा और ९० प्रतिशत से अधिक पुर्जे ४ साल की अवधि में देश में तैयार किये जायेंगे ।

इम्फाल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

†२९९५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का अपना भवन बन गया है ;

(ख) क्या इसने अपने कर्मचारी भर्ती कर लिये हैं ; और

(ग) इस समय कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भवन बन रहा है ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ज़ुलाई, १९६१ के अन्त तक ६६ ।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

†२९९६. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेल्ग्रेड में सितम्बर, १९६१ में तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के बाद विभिन्न देशों के उनके दौरे का कार्यक्रम अन्तिम रूप से बना लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या इस दौरे में राष्ट्रमण्डलीय नेताओं से मिलने का भी विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां पर तथा किन तिथियों में ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: १ सितम्बर को आरम्भ होने वाले बेल्ग्रेड सम्मेलन जिसके ५ सितम्बर तक होने की आशा है में भाग लेने के बाद प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव के निमंत्रण पर ६ सितम्बर को तीन अथवा चार दिन के लिए रूस जायेंगे ।

(ग) और (घ). जी नहीं ।

आकाश वाणी

†२९९७. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में आकाशवाणी द्वारा किये गये व्यय पिछले दो वर्षों की तुलना में बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम सामान्य अधीक्षण तथा टैक्नीकल, इंजीनियरिंग और विकास परियोजनाओं समेत अन्य शाखाओं में क्या बढ़ोत्तरी हुई है ;

(ग) प्रत्येक वर्ग के अधीन कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) वर्तमान वर्ष में दिल्ली को 'ए' श्रेणी का बनाये जाने के कारण मकान किराया तथा प्रतिकर भत्ते बढ़ जाने से कितना प्राक्कलन बढ़ गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग)

	१९६०–६१ (अन्तिम प्राप्य आंकड़े) (लाखों में रुपये)
(१) कार्यक्रम .	३१३.२९
(२) सामान्य अधीक्षण	३०.७८

†मूल अंग्रेज़ी में

(३) अन्य शाखायें (टैक्नीकल इंजीनियरिंग और विकास परियोजनायें) .	२३८.८८
जोड़ .	५८२.९८

	रुपये
(घ) (क) मकान किराया . . .	८६,९३१
(ख) नगर प्रतिकर भत्ता .	२,३८,२९६
जोड़	३,२५,२२७

खास कजोरा कोयला खान, पश्चिम बंगाल

†२९९८. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की खास कजोरा कोयला खान में नियुक्त दक्षिण भारतीय कर्मचारियों के साथ प्रबन्धक बुरा बर्ताव कर रहे हैं और उनका उत्पीड़न हो रहा है ;

(ख) क्या २७ जुलाई, १९६१ को जब समझौता सम्मेलन हो रहा था उस समय मालिकों के आदमियों ने उनकी पिटाई की थी; और

(ग) अपने राज्यों से दूर पड़े हुए इन कर्मचारियों का संरक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि यह वहां की भाषा भी नहीं जानते हैं ?

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। परन्तु यह बताया जा सकता है कि सरकार अन्य कर्मचारियों के समान इनके हितों का भी संरक्षण करती है ।

केन्द्रीय सूचना सेवा

†२९९९. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा बनने से पहले चतुर्थ श्रेणी (वेतन रुपये २००-४००) में भरती उनका मन्त्रालय करता था ;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा के लिये आरम्भिक पदालि की व्यवस्था करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग तथा मन्त्रालय के प्रतिनिधि की एक समिति नियुक्त की गई थी जो भाग (क) में उल्लिखित वर्तमान कर्मचारियों समेत सेवा की प्रत्येक पदालि के कर्मचारियों की उपयुक्तता की जांच करेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों के अनुसार वर्ग २ (वेतन रुपये ३५०--८५०) तथा वर्ग १ (वेतन रुपये ६००--११५०) के मदों को क्रमशः वर्तमान कर्मचारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश सम्बन्धी चुनाव के आधार पर भरा जायेगा;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह सच है कि भविष्य में अब प्रकाशन खण्ड के सहायक सम्पादकों तथा सम्पादकों के पद केन्द्रीय सूचना सेवा के अनुसार भरे जायेंगे ; और

(ङ) केन्द्रीय सूचना सेवा के लिये कमचारियों की व्यवस्था करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने पहली परीक्षा कब ली थी तथा उसके अन्तिम परिणाम की घोषणा कब की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) केन्द्रीय सूचना सेवा बनने से पहले चतुर्थ वर्ग नहीं था ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने चार चुनाव समतियां बनाई थीं। जिनमें आयोग का एक सदस्य सभापति तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधि-सदस्य थे। इन समितियों को विभिन्न वर्गों पर नियुक्ति के लिये विभागीय अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निश्चय करना था और सेवा के आरम्भिक गठन के लिये प्रत्येक वर्ग के अधिमान क्रम बनाने थे ।

(ग) और (घ) जी हां ।

(ङ) सम्भवतया अप्रैल १९६१ में केन्द्रीय सूचना सेवा के वर्ग २ के रिक्त स्थानों के आरम्भिक गठन में भरती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा का उल्लेख किया गया है । आयोग की सिफारिशें अभी नहीं मिली हैं ।

वैज्ञानिकों के वेतन क्रम

†३०००. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग में काम करने वाले वैज्ञानिकों के वेतन क्रम के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन को कब लागू किया गया था; और

(ग) अब एक भू-वैज्ञानिक तथा सहायक भू-वैज्ञानिक को पहले की तुलना में कितना धन अधिक मिल रहा है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अणु शक्ति विभाग के वैज्ञानिक पदों के लिये वेतन आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की थी । यह लोग विशेष प्रकार का काम कर रहे हैं । वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि सरकार सामान्यतः वैज्ञानिक पदों के बारे में की गई सिफारिशों के आधार पर उचित वेतन दे सकती है। विभाग पुनरीक्षित वेतन क्रम के निर्धारन पर सक्रिय रूप में विचार कर रहा है और इस सम्बन्ध में आर्डर शीघ्र जारी किये जायेंगे ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ

†३००३. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने, बोर्ड के कर्मचारियों के लिये पेंशन तथा उपदान स्वीकार करने के बारे में सरकार को सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). बोर्ड अभी भी योजना के ब्यौरे बना रहा है ।

काजू के मूल्यों में गिरावट

†३००४. { श्री कै० प० सिन्हा :
श्री आचार :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काजू के मूल्य गिरने के क्या कारण हैं तथा सरकार इस गिरावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : हाल में हुई मूल्यों की गिरावट विदेशी मांग कम हो जाने के कारण थी। इसके अतिरिक्त काजू के मूल्य मौसम के आधार पर बढ़ते गिरते रहते हैं । कोचीन में आनरेरी निर्यात संवर्द्धन सलाहकार तथा सभापति काजू निर्यात परिषद से कारणों की और जांच करने के लिये कहा गया है ।

नारियल-जटा की वस्तुओं का निर्यात

†३००५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल-जटा की वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) चालू वर्ष में अब तक हुये निर्यात के आंकड़े १९६० में तत्स्थानी काल में निर्यात के आंकड़ों से कम हैं या अधिक ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) हां, श्रीमान।

(ख) निर्यात कम होने के कारण निम्न हैं :—

(१) बाजार में सिसल जैप्स अन्य कड़े रेशों के साथ स्पर्धा है ।

(२) पश्चिमी देशों का रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाने के कारण, व्यक्ति फर्श पर बिछाने के लिये उत्तम प्रकार की वस्तुयें पसन्द करते हैं । प्रतीत होता है कि नारियल-जटा के बने फर्श के बिछावनों के प्रति निश्चित ही बुरा भाव उत्पन्न हो गया है ।

(ग) पत्री वर्ष १९६० में, १४.०६ लाख हन्ड्रेडवेटस नारियल जटा तथा उसके उत्पाद निर्यात किये गये जिनका मूल्य ८.५४ करोड़ रुपया था । जनवरी—जून, १९६१ में ४.४१ करोड़ रु० के मूल्य के ६.६१ लाख हन्ड्रेडवेटस निर्यात किये गये जिससे पता लगता है कि निर्यात की स्थिति चिन्ता जनक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) की जा चुकी कार्यवाही के अतिरिक्त, जैसे मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रचार-साहित्य का वितरण, सरकारी पदर्शन कक्षों (शो-रूमों) में प्रदर्शन, बाजारों के सर्वेक्षण तथा प्रोत्साहन देना, उत्तम प्रकार की नारियल जटा कताई मशीनें लगाने, दरी निर्माण उद्योगों का यंत्रीकरण करने और भारतीय निर्मात-कर्ताओं तथा विदेशो आयातकर्ताओं के बीच उत्तम तथा स्थायी संबंध बनाने का विचार है।

अम्सटर्डम में नीलाम के लिये भारतीय चाय

†३००६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीदरलैंडस के दलालों ने भारत सरकार से अम्सटर्डम-निलाम में भारतीय चाय भेजने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) उत्पादकों या वाहकों ने प्रस्ताव में रुचि नहीं दिखाई है।

चाय सम्बंधी कार्यकारी दल

†३००७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में नियुक्त किये गये चाय सम्बन्धी कार्य दल की मख्य सिफारिशे क्या और

(ख) उन्हे कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). कार्यदल ने अपनी चाय सम्बन्धी रिपोर्ट में तीसरी योजना के अन्त में उत्पादन का लक्ष्य ९० करोड़ पौंड और निर्यात का लक्ष्य ६१ करोड़ पौंड का सुझाव दिया है और इनकी प्राप्ति के लिये अनेक सिफारिशें कीं। कार्यदल की सिफारिशों पर योजना आयोग के साथ मिलकर विचार किया गया है और साधारण रूप निम्न निश्चय किये गये हैं :—

(१) उत्पादन और निर्यात के लिये निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त माने गये हैं।

(२) नई पौद लगाने अथवा पुन: पौद लगाने के लिये केवल ऋण दिये जाने चाहिये और यदि सुविधा जनक हो तो ये ऋण बोर्ड द्वारा दिये जाने चाहिये।

(३) उर्वरकों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जानी चाहिये। इसके लिये अलग विदेशी मुद्रा रखने की आवश्यकता नहीं है परन्तु मंत्रालयों को चाहिये कि वे चाय की आवश्यकताओं को अधिकतम प्राथमिकता दें।

(४) सरकारी क्षेत्र में चाय के बंडल बनाने का कोई प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है अपितु सहकारी समितियों को सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

इन निर्णयों को लागू करने के लिये कार्यवाही की जा चुकी। रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†३००८. **श्री हेम बरुआ : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी विशिष्ठ संसद सदस्य ने दिल्ली प्रशासन में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोप लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं और

(ग) आरोपों में सत्यता का पता लगाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) हां ।

(ख) मुख्य आरोप ये हैं कि चिकित्सा प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने अधिक व्यय, गोदाम में उपलब्ध वस्तुओं का दुरूपयोग, अनियमित क्रम और नियुक्तियां, और चिकित्सा-सुविधा की व्यवस्था के लिये अनावश्यक विशिष्ट मांग (इंडेन्टस) तैयार किये ।

(ग) कुछ पूछ तांछ की गई है । मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

अविश्वास का प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे ब्रजराज सिंह से अविश्वास के प्रस्ताव की निम्न सूचना मिली है ।

> "कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम १९८ के अधीन मैं श्री जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखता हूं ।"

नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा के लिये अनुमति दी जाने के पक्ष में कम से कम पचास सदस्य होने चाहिये और उन्हे अपने स्थानों में खड़ा होना चाहिये । क्या ५० सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ?

मैं देखता हूं कि ५० सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं नियम के निर्वचन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । नियमों में अविश्वास के प्रस्ताव के रूप के सम्बन्ध में स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है । अतः मैं ने हाउस आफ कामन्स की पद्धति अपनायी है । मंत्रिपरिषद में विशवस का अभाव प्रकट करने के कारण प्रस्ताव में ही दिये गये हैं । जब तक उन कारणों को सभा में पढ़ कर नहीं सुनाया जायेगा तब तक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में होने का किस प्रकार निर्णय कर सकते हैं ।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो सबस्टेंशियल मोशन के साथ ग्राउंडस दिये गये हैं उनको हाउस में पढ़ा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस पर दस्तखत किया है ?

श्री प्र० ना० सिंह : दस्तखत का सवाल नहीं है, चूंकि यह सवाल सदन के सामने उपस्थित है, इस लिये मैं अपनी बात कह सकता हूं । जहां कहीं अविश्वास के प्रस्ताव आते हैं उनको लाने के दो तरीके

†मूल अंग्रेजी में

होते हैं। एक तरीका तो यह होता है कि केवल सेंसर मोशन दे दिया गया और दूसरा तरीका यह है कि उसके ग्राउंडस भी दे दिये गये। अपने यहां कोई इस तरह का नियम नहीं है कि उसका क्या आर्डर होगा। कुछ नहीं कहा गया है कि ग्राउंडस दिये जायें या नहीं। लेकिन हाउस आफ कामन्स में श्री एटली ने चर्चिल की हुकूमत के खिलाफ सन १९५२ और १९५३ में जो नो कानफिडेंस मोशन रखा था उस प्रस्ताव में उहोने अविश्वास प्रस्ताव के आधार भी बतलाये थे। इसी तरह सस १९४५ और १९४६ में लेबर गवर्नमेंट के खिलाफ सेंसर मोशन या वोट आफ नो कानफिडेंन आया था उसमें जो ग्राउंड्स दिये गये थे उनका सारांश यह है कि सरकार युद्धकालीन उद्योगों को शांतिकालीन उत्पादन के कार्यों की ओर केन्द्रित नहीं कर रही है, जन शक्ति को सेवा से हटा कर रचनात्मक कार्यों में नहीं लगाया जा रहा है तथा सरकार की राष्ट्रीयकरण नीति के कारण देश के उद्योगों में अनिश्चयता का वातावरण पैदा हो गया है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि मोशन में जो ग्राउंड्स दिये हुये हैं उनको चेयर को अपनी तरफ से खत्म करने का कोई भी रूल्स में विधान नहीं दिया हुआ है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जिस तरीके से मोशन रखा गया है उस पूरे मोशन को और उसके ग्राउंड्स को पढ़ा जाये। पालिसीज के आधार पर हम मौजूदा सरकार को सेंसर करना चाहते हैं पूरे मोशन को पढ़ा जाये ताकि हाउस के सामने सारी बातें आ सकें और लोगों को ५० की संख्या में हाउस में उठने में सहूलियत हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्यक्षतः कम से कम ५० सदस्य ऐसे होने चाहियें जिन्हे सरकार में विश्वास नहीं है। प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले कारणों का बताना एक अनिवार्य शर्त नहीं है। सदस्यों के लिये कारण देना अनिवार्य नहीं है। आवश्यक इतना है कि पचास सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों। अनुमति दी जाने के बाद प्रस्ताव और उसके कारणों पर चर्चा के लिये कोई दिन नियत नहीं किया जा सकता है। यदि कारण अभी बता दिये जायें तो उसका परिणाम यह होगा कि सभा में अनुमति दिये बिना चर्चा होगी।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : हमारी सभा की स्थिति भिन्न है यहां एक विरोधी दल नहीं है अपितु कई विरोधी दल हैं अतः हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि किसी एक विशेष विरोधी पक्ष के सदस्य ने यदि यह प्रस्ताव रखा है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस प्रश्न पर विरोधी दल के एक अन्य नेता को भी बोलने का अवसर दिया है। मैं अन्य सदस्यों को इस विषय पर बोलने का अवसर नहीं दे सकता हूं। मैं सभा को यह बता दूं कि अविश्वास प्रस्तावों और निन्दा प्रस्ताओं में अन्तर होता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिये यह भी आवश्यक है कि उसमें जो भी आधार दिये गये हों अध्यक्ष उनसे सहमत हो। यद्यपि मैं इनसे सहमत नहीं था तो भी ५० सदस्यों के समर्थन पर मैं इसे सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सदस्य में उन सभी बातों को पढ़ें जिनके आधार पर यह अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। इसकी अनुमति मैं इस कर कारण नहीं दे सकता कि इनके पढ़ने के बाद दूसरे पक्ष को सफाई देने का अवसर नहीं मिलेगा। इस लिये यह उनके प्रति एक प्रकार का अन्याय होगा।

औचित्य का प्रश्न नियम वाह्य ठहराया गया।

(चूंकि ५० सदस्य अपन स्थानों में खड़े नहीं हुए इसलिये सभा द्वारा अनुमति नहीं दी गई)

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार करने वाले पक्षों के १८ वें अधिवेशन का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बंधी सामान्य करार करने वाले पक्षों के १५ से १९ मई १९६१ तक जनेवा में हुए १८वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१८१/६१]।

अविश्वास का प्रस्ताव--(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय :** अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष केवल इतना ही पढ़ के सुनायेगा 'कि इस सदन को अमुक व्यक्ति के नेतृत्व में चल रही सरकार पर विश्वास नहीं ।' यदि अनुमति प्राप्त हो जाये तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो सकता है । मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री रंगा :** हमें तो इस मामले का कुछ पता ही नहीं है । पता नहीं कि किस आधार पर अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : जहां तक मेरे दल का सम्न्बध है हमें बिलकुल पता ही नहीं कि किस आधार पर श्री ब्रजराज सिंह यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, और जब तक हम इस बारे में सविस्तार जान नहीं लेते हमारा इस को समर्थन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय कि आप हमें जानकारी प्राप्त कर लेने दीजिये कि इस प्रस्ताव को किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है ताकि हम इस दिशा में कुछ निर्णय कर सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक ५० सदस्य इस के लिये न कहें मैं प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता । और मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्णय के बाद इस पर कुछ चर्चा हो । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस अविश्वास के प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह जरूरी नहीं कि श्री ब्रजराज सिंह इस के आधार बतायें । इतना है कि यदि ५० माननीय सदस्य उन के प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होते हैं तो प्रस्ताव प्रस्तुत हो सकता है अन्यथा नहीं । उस के कारण और आधार पर श्री ब्रजराज सिंह ऐसा कर रहे हैं यह माननीय सदस्य उन से व्यक्तिगत रूप में भी पूछ सकते हैं कि वह क्यों ऐसा कर रहे हैं । वह भी कह सकते कि ५० माननीय सदस्य मेरे प्रताव का समर्थन करते हैं अतः मैं ऐसा कर रहा हूं । मैं भी उन्हें अनुमति देने पर बाध्य हूंगा । अतः इस दिशा में दिया गया मेरा निर्णय ठीक है और ऐसी स्थिति में वह हमेशा स्थायी निर्णय रहेगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** तो हम आप के विनिर्णय के विरूद्ध सदन से बाहर जाते हैं और इस का विरोध करते हैं ।

(सर्वश्री ब्रजराज सिंह, अर्जुन सिंह भदौरिया, जगदीश अवस्थी, राम सेवक यादव, ले० अचौ सिंह और प्र० ना० सिंह सदन से बहार चले गये) ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा निवेदन यह है कि इस बात को नोट कर लिया जाय कि केवल छः सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** रिकार्ड से सब कुछ विदित हो जायेगा ।

कुछ अंशों का निकाल दिया जाना !

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : आप ने मेरे स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी । मैं मास्टर तारासिंह के अनशन तोड़ने के बारे में कहना चाहता था * * * * और इस के विरोध में मैं सदन से बाहर जा रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें इस के लिये क्षमा याचना करनी चाहियें ।

इस के पश्चात् राजा महेन्द्र प्रताप सदन से बाहर चले गये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का वार्षिक प्रतिवेदन उस पर सरकार की टिप्पणियां और आविष्कार संवर्धन बोर्ड के सम्बन्ध में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की वर्ष १९६०-६१ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।
[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० ३१७५/६१]

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) आविष्कार संबर्धन बोर्ड द्वारा १९६०-६१ और १९६१-६२ के वित्तीय वर्षों में मंजूर की गई और बांटी गई सहायता की राशि बताने वाला विवरण ।
[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० ३०८०/६१]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ अगस्त, **१९६१ की अधिसूचना संख्या** जी० एस० आर० १०३३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३१७९/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

सभा बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। ऐसे सदस्यों के नामों की सूची भी पटल पर रखता हूं जो तेरहवें अधिवेशन में १ अप्रैल से ५ मई तक १५ दिन अथवा इस से भी अधिक समय तक सभा की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे।

जमा धन बीमा निगम विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जमा धन के बीमे के प्रयोजन के लिये एक निगम की स्थापना और तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जमा धन के बीमे के प्रयोजन के लिये एक निगम की स्थापना और तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या ४) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री दातार द्वारा ३० अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा, अर्थात्—

"कि भारतीय दंड संहिता में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं इस बात का कायल नहीं हो सका कि इस विधेयक की आवश्यकता है । मैं यह भी नहीं मान सकता कि इस का कोई विशेष प्रभाव रहेगा । इस दिशा में मेरा निवेदन है कि राज्य न्याय कर के ही यह आशा कर सकता है कि विभिन्न जातियों के लोग शांतिपूर्वक रहें और एक दूसरे को सहयोग दें और अच्छे पड़ोसियों की भांति एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व के संबंध में सचेत रहें । कानून बना कर इस प्रकार का वातावरण निर्माण नहीं किया जा सकता । मेरा मत यह है कि वर्तमान कानून की धारा १५३-क के उपबन्ध अपराधियों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त है । इस दिशा में आवश्यकता अधिक कानून की नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि उचित प्रकार के अधिकारी हों जिन्हें कानून को कार्यान्वित करना होगा । मैं तो इसी विचार का हूं कि इस प्रकार का कानून हमारे प्रशासन में कोई गौरव की बात नहीं कही जा सकती ।

जातियों के बीच परस्पर उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने के लिये विधान की नहीं वरन् उस के प्रशासन के लिये उत्तरदायी अधिकारियों की आवश्यकता है । जबलपुर में अधिकारियों ने गड़बड़ के आरम्भ में सतर्कता से काम नहीं लिया ।

यह विधान सरकार के प्रशासन की कटु आलोचना है । अंग्रेज़ों के शासन काल में जब कांग्रेसी विधानमंडल में आये तो उन्होंने धारा १५३-क और १२४-क के उपबन्धों को विरोध किया था । किन्तु आज स्वतंत्रता प्राप्ति के चौदह वर्ष पश्चात् पुराने विधान से भी अधिक दमनकारी विधान लाया जा रहा जो जैसाकि सदस्यों ने कहा है संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के ही विरुद्ध है । इस का यह अभिप्राय है कि या तो हम निरंकुश हो गये हैं या देश के लोग अधिक दुष्ट हो गये हैं ।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि माननीय गृह-मंत्री जल्दबाजी न करें वरन् सारे विषय पर शांति से विचार करें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** ३०, ४० मिनट ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : इस विधेयक को ला कर सरकार ने यह स्वीकार कर लिया उस का शासन असफल रहा है । वस्तुतः ये खण्डनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने दी गई हैं । जब तक सरकार अधिक शक्ति से नीति का पालन न करे इस बिल से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा ।

गत कुछ वर्षों में बहुत अप्रिय घटनायें घटी हैं और सरकार ने स्वयं विघटन की प्रवत्तियों को बढ़ावा दिया है । उदाहरण के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्पष्टतः कुछ राज्यों में अपनाये गये आवास संबंधी नियम का उल्लेख किया था जिस के अनुसार राज्य में रहने वाले कुछ लोगों के जन्म से वहां के वासी नहीं हैं नागरिकता के भी अधिकार नहीं दिये जाते । किन्तु सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की ।

पांच वर्ष पूर्व केन्द्र ने राज्य सरकारों को एक ज्ञापन भेजा था किन्तु उस के बाद यह पता नहीं लगाया कि राज्यों के उन हिदायतों का पालन किया है अथवा नहीं । मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में कुछ किया जायेगा ।

भाषीय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये संविधान में संशोधन किया गया था किन्तु उस उपबन्ध के अनुसार जो भाषीय अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त किया जाना है उसे कार्यपालिका के कोई अधिकार नहीं दिये गये । अतः केन्द्र को कुछ अधिकार दिये जाने चाहियें जिन से वह राज्यों को भाषीय अल्पसंख्यक आयुक्त की सिफारिशें मानने के लिये विवश कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

मैं समझता हूं कि भाषीय अल्पसंख्यकों का मामला देश की एकता के लिये सब से बड़ा खतरा है। भाषीय अल्पसंख्यक कुछ स्थानों पर केन्द्रित हैं और वे केन्द्र से अलग होने की मांग कर सकते हैं। अतः इस से बचने के लिये सावधान रहना चाहिये।

मैं यह नहीं चाहता कि भाषीय बहुसंख्यक अपनी भाषा का बलिदान दें किन्तु भाषीय अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा भी आवश्यक है।

कुछ मास हुए इस सरकार के आशीर्वाद से एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ जिस में बहुत अवांछनीय भाषण दिये गये। यह सर्वथा झूठ है कि मुसलमानों को भारत में घटिया बर्जे के शहरी बना दिया गया है। मुस्लमानों को भारत में नागरिकता के सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। प्रशासन में यदि कहीं भेदभाव है तो वह जाति, भाषा आदि के आधार पर भी है जो कि राष्ट्र के लिए विघटनकारी है।

इस मुस्लिम सम्मेलन का यह परिणाम निकला कि देश के विभिन्न भागों में मुस्लिम लीग का पुनर्जन्म हो गया। पहले भी उत्तर प्रदेश से ही पाकिस्तान की मांग की गई थी। समाचार पत्रों से यह भी पता चला है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग विधान सभा और संसद् के लिये चुनाव लड़ेगी। सरकार को यह बात नज़रअन्दाज़ नहीं करनी चाहिये।

मेरी तो यह राय है कि सरकार को चाहिये कि वह सभी साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगा दे। विषेषकर उत्तर प्रदेश और केरल में मुस्लिम लीग की पुनः स्थापना के बारे में सरकार को चौकस रहना चाहिये। पश्चिमी बंगाल में भी कोशिशें की गईं परन्तु वहां साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं मिल पाता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सुना है कि एक हिन्दू सम्मेलन भी होने वाला है। परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बंगाल और असम के कुछ भागों में पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार करने वाले इश्तहार आदि पकड़े गये हैं। वहां पाकिस्तान ज़िन्दाबाद के नारे लगाये जाते रहे हैं परन्तु सरकार समय पर कोई कार्यवाही नहीं करती रही है। ऐसे मामलों में सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

मेरी राय में इस विधेयक से स्थिति में अधिक सुधार नहीं होगा। धारा १५३-क में सरकार को पर्याप्त अधिकार दिया गया है। दण्ड को "दो वर्ष" से बढ़ा कर "तीन वर्ष" करने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। कारावास के दण्ड के साथ जुर्माने का विकल्प देना ठीक नहीं है। यदि सम्भव हो तो कारावास और जुर्माना दोनों की व्यवस्था रहनी चाहिये न कि दो में से एक की।

वर्तमान धारा १५३-क की व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिये। इसके होते हुए सम्बन्धित व्यक्ति अपने सच्ची शिकायतें पेश कर सकता है। कार्यपालिका को ऐसी शक्तियां नहीं सौंपनी चाहियें जिनके द्वारा वह सच्ची शिकायतें करने वाले व्यक्तियों को दण्ड दे सके।

†श्री रंगा : मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सभा इस विधेयक को इस अवस्था में पारित करे। इस बारे में जनमत जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये विधेयक को परिचालित किया जाये। इस के द्वारा कार्यपालिका को पहले से भी अधिक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। इसके इलावा अब हमें यह भी विश्वास नहीं कि इस कानून को बिना किसी पक्षपात की भावना के लागू किया जायेगा। कुछ दिन पूर्व पंजाब स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष को निरुद्ध

†मूल अंग्रेजी में

कर दिया गया और अभी तक उसका कारण नहीं बताया गया। अभी तक हम को सरदार ऊधम सिंह नागो के लिये बन्दी प्रत्यक्षीकरण की लेख याचिका प्रस्तुत नहीं कर सके। उनका पंजाबी सूबा आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनको मिलने की इजाजत मुझे नहीं दी गई। ऐसी हालत में हम उन्हें इतनी अधिक शक्तियां कैसे दे सकते हैं जब कि निर्वाचन होने वाले हैं। यदि सामान्य निर्वाचन हो चुके होते तब भी हम इस विधेयक को पारित करने में कोई बुराई न समझते क्योंकि आगामी चार वर्षों में सदस्य उसमें संशोधन आदि कर सकते थे। कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि अल्पसंख्यक वर्गों की कई शिकायतें हैं और वे अपनी शिकायतें सरकार के सामने अवश्य रखेंगे इसके लिये उन्हें कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिये। इस से कई व्यक्तियों को जेलों में डाला जा सकता है। मालूम नहीं कि इस को किस प्रकार लागू किया जायेगा।

मेरी यह राय है कि यदि माननीय मंत्री और सरकार चाहती है कि अगले निर्वाचनों में साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ावा न मिले तो उन्हें इस विधेयक पर आगे कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये बल्कि देश में विभिन्न राजनैतिक दलों का एक या अधिक सम्मेलन आयोजित करके साम्प्रदायिकता को बढ़ने से रोकने के उपाय करने चाहियें। इस से मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा बल्कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है क्योंकि बड़े-बड़े उच्च पदों पर काम करने वाले कई व्यक्ति बड़ी गैर-जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक गृह मंत्री महोदय ने रखा है उसका उद्देश्य साम्प्रदायिक तथा अलगाव की प्रवृत्तियों को रोकना है चाहे वह धर्म, जाति, भाषा, सम्प्रदाय या कोई अन्य आधार पर हो। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि मुल्क में तोड़फोड़ और अलगाव बढ़ रहा है और मुल्क की एकता को जो धक्का लग रहा है उसको रोकना है और उसका कारण भाषा विवाद, साम्प्रदायिकता और धर्म इत्यादि बतलाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या जो इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जातिप्रथा इस देश में चलती है और अलग अलग भाषाओं का सवाल है, तो इन तमाम समस्याओं का हल कोई इस तरीके का कानून बना कर और लोगों को जेल में ठूंस देना है? यदि मौजूदा कानून बन जाता है तो मैं तो यही कहूंगा कि सीधे सीधे जनतंत्र को इस देश में जबर्दस्त खतरा पैदा हो जायगा क्योंकि जनतंत्र का एक उपयुक्त हथियार अगर कोई हो सकता है तो वह बोली ही हो सकती है परन्तु इस कानून के जरिए हम बोली को बन्द करने जा रहे हैं।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे इस देश में अंग्रेजी भाषा का सवाल है और दूसरी भाषाओं का सवाल है सब से पहले तो हमारी ही पार्टी इसका शिकार बन सकती है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग समाप्त किया जाय और इस सिलसिले में सोशलिस्ट पार्टी कुछ दलीलें देगी, बहस चलायेगी और भाषण होंगे और उनको लेकर यह कहा जा सकता है कि यह तो नफरत फैला रही है और अलगाव फैला रही है लिहाजा सोशलिस्ट पार्टी वालों को इस तरीके से बंद कर दिया जाय। अब क्या यह जनतंत्र के उपयुक्त होगा? इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते हैं और वह मुख्तलिफ धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों को बढ़ाने के बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ चर्चाए चलायेंगे, बहस करेंगे और अगर हम यह कहें कि इस से देश में विघटन बढ़ रहा है, इसलिये उन को जेल में ठूंस दिया जाये, तो क्या नतीजा निकलेगा?

इसी तरह आज देश में जाति प्रथा कायम है और उस के आधार पर हरिजनों को नहीं मिल रहे हैं। कई सार्वजनिक स्थान ऐसे हैं, जहां लोग स्नान करते हैं, और पूजा के स्थानों

[श्री राम सेवक यादव]

पर उन को नहीं जाने दिया जाता है । यदि दबे पिसे हुए हरिजन इस व्यवस्था के खिलाफ़ लड़ाई करते हैं और इस हेतु अपने भाइयों के खिलाफ़ तर्क करते हैं, दलीलें देते हैं, बहस करते हैं, तो उनको यह कह कर जेल भेज दिया जायगा कि इस से जातिगत और धर्मगत द्वेष फैलाया जाता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जिस उद्देश्य और लक्ष्य का ज़िक्र किया गया है, उस की प्राप्ति कानून के द्वारा कभी भी सम्भव नहीं है । अगर मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि वह उद्देश्य प्राप्त किया जाये, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन समस्याओं के कारणों को खोजें ।

जहां तक सम्प्रदायवाद का सम्बन्ध है, सारे देश में यह चलन हो गया है कि राजनैतिक दल साम्प्रदायिकता को चुनाव जीतने का हथियार मान कर इस्तेमाल करते हैं । इस सम्बन्ध में सत्तारूढ़ दल की ज्यादा ज़िम्मेदारी है, किन्तु जितनी ज्यादा उस की ज़िम्मेदारी है, उतना ही ज्यादा साम्प्रदायिकता को निजी स्वार्थों की रक्षा के लिये और अपनी गद्दी को बनाये रखने के लिये इस्तेमाल किया जाता है । मैं आप के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं । स्वतंत्रता-प्राप्ति के अवसर पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान देश के दो हिस्से बने । उस के बाद बराबर यह कोशिश की गई कि किसी तरह हिन्दू और मुसलमान आपस में मिल कर चलें और अपनी पसन्द के मुताबिक सियासी जमातों में शामिल हों, ताकि अलगाव खत्म हो । लेकिन यह देखा जाता है कि जब एक दिशा की ओर हम बढ़ते हैं, तो देश में ऐसी घटनायें होती हैं और ऐसे काम किये जाते हैं, जिन से उस अभीष्ट में रोक लग जाती है और हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं । यहां पर साम्प्रदायिकता का ज़िक्र किया जाता है, लेकिन जब केरल में कांग्रेस को गद्दी से हटा दिया गया, तो उस गद्दी को हासिल करने की इच्छा के आधार पर मुस्लिम लीग के साथ, जिस के बारे में हिन्दुस्तान का हर एक आदमी जानता है---और खासकर कांग्रेस को तो इस बात की ज्यादा वाकफियत होनी चाहिए---कि उस ने मुल्क का बंटवारा कराया था, चुनाव-समझौता किया गया । वह समझौता होने और सत्तारूढ़ हो जाने के बाद प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि हम ने मुस्लिम लीग का संविधान ही नहीं पढ़ा था, इस लिये हम ने उस के साथ समझौता कर लिया । कल माननीय सदस्य, प्रोफ़ेसर मुकर्जी, ने बताया था कि किस तरह मुस्लिम लीग का मेम्बर वहां पर स्पीकर बनाया गया यह कह कर कि उस ने मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे दिया है । जहां तक मुस्लिम लीग का सम्बन्ध है, उसकी ओर से यह कहा गया कि यदि हमारे सदस्य के स्पीकर बनने के रास्ते में मुस्लिम लीग की मेम्बरशिप हायल है, तो हम उन को इस्तीफा देने की इजाजत दे सकते हैं । इस स्थिति में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह कानन इमानदारी पर आधारित है ?

दिल्ली में जो मुस्लिम कनवेन्शन हुआ, उस में कांग्रेस दल के सारे मुस्लिम सदस्य शामिल हुए और उस के बाद उन्होंने प्रधान मंत्री महोदय को एक मेमोरेंडम दिया, जिस के बाद उन्होंने यह बयान किया कि प्रधान मंत्री ने बहुत ही गौर से हमारी बातों को सुना और वचन दिया कि हम इन चीज़ों को देखेंगे । इस विषय में कांग्रेस दल का एक ही उद्देश्य है । मुसलमान भाई जिस किसी तबके से ताल्लुक रखते हैं, उस के मुताबिक, अपने अपने मुफाद की हिफ़ाज़त करने के लिये मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में, पोलीटिकल पार्टीज़ में, इन्टेग्रेट हो रहे हैं, जिस का परिणाम यह होगा कि अब कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे । उन को किसी झंडे के तहत इकट्ठा कर के उन के कुल वोट पा कर अपनी गद्दी को मजबूत करना ही कांग्रेस का उद्देश्य है ।

यदि सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह राजनैतिक दलों की एक आचार-संहिता तैयार करे । सोशलिस्ट पार्टी उस में शामिल होने और पूरा सहयोग

देने के लिये तैयार है, लेकिन उस के लिये यह कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि कांग्रेस दल के हिसाब से बहुत बड़ी कीमत समझी जायगी, कि सब से पहले केरल्ल में मुस्लिम लीग से रिश्ता-नाता तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इस का सीधा अर्थ यह है कि जो लोग यह चाहते हैं कि जाति-प्रथा ख़त्म हो, वे इस बारे में जाति प्रथा के समर्थकों से बहस करेंगे और ज़ाहिर है कि इस में किसी को गुस्सा हो सकता है और उसी को आधार बना कर मंत्री महोदय और यह सरकार उन लोगों को जेल भेजने का पूरा पूरा इन्तज़ाम करेंगे। इसका परिणाम यह भी होगा कि यदि कोई विरोधी दल का उम्मीदवार जीत जायगा, तो उस के चुनाव को अवैध करार दे दिया जायगा और उसको जेल भेज दिया जायगा।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : छः साल के लिये डिस्क्वालिफ़ाई भी कर दिया जायगा।

श्री राम सेवक यादव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुल्क से अंग्रेज़ी भाषा को हटा कर इस देश की अपनी भाषाओं, मराठी, बंगाली, तामिल, तेलुगू, पंजाबी और सिंधी आदि को यहां पर रायज कराना, उन में सार्वजनिक काम चलाना, उस के लिये दलील करना, मीटिंग करना, अखबार छापना, संगठन बनाना देश के लिये अहितकर है। क्या यह देश-द्रोह है? लेकिन होने यह जा रहा है कि अंग्रेज़ी को प्रतिष्ठित करने के लिये उन संस्थाओं को जेल में ठूंस दिया जायगा, जो कि अंग्रेज़ी को हटा कर सरकारी काम को हिन्दी में चलाने के समर्थन में प्रचार करती हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश विचित्र है, इस में अलग अलग भाषायें और जातियां हैं। जब तक ऐसा रहेगा, तब तक उन से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिये शान्तिपूर्ण रास्ता ढूंढना होगा, समझा बुझा कर कोई उचित तरीका ढूंढना होगा, लेकिन उस के बाजाये यह कानून का तरीका अपनाया जा रहा है। मैं माननीय गृह-मंत्री जी को एक मिसाल देना चाहता हूं। अभी हम राजस्थान में सीकर ज़िले में स्थित गणेश्वर झरने पर जहां पर लोग आम तौर पर स्नान करते हैं और मेला लगता है और हरिजनों को वहां नहीं जाने दिया जाता है, वहां पर सवर्ण हिन्दू कहते हैं अगर हरिजन आयेंगे, तो हम उनको मारेंगे, कूटेंगे। गांधी जी की पुण्य जन्म तिथि के अवसर पर २ अक्तूबर को हम हरिजनों को ले कर जायेंगे। इस तरह के अधिकारों की प्राप्ति को ले कर बहस चलेगी। हम जनतांत्रिक हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। हम हथियार नहीं उठायेंगे, कंकड़ी नहीं फेंकेंगे, लेकिन अपने पक्ष के समर्थन में दलील देंगे और जनमत को जाग्रत करेंगे। लेकिन उस स्थिति में सिवाय जेल का दरवाजा देखने के हमारे लिये कोई रास्ता नहीं होगा।

इसलिये मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण कानून को इस आसानी के साथ, इतनी तेज़ी के साथ पास करने की कोशिश न की जाये। इस में भाषा और जाति आदि जिन बातों को अपराध का आधार बनाया गया है, उन से सारा हिन्दुस्तान ओत-प्रोत है। उस आधार पर लोगों को जेल भेज कर एकता कायम करने के बजाये अनेकता को कायम करने की बात है। इस से और विघटन होगा और जनतंत्र की मर्यादायें मिटेंगी और, जैसा कि हमारे किसी साथी ने कहा है, यह एक काला कानून होगा।

इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषण बड़े गौर से सुने हैं। विधेयक की आलोचना की गई है। परन्तु सामान्यतः यही कहा गया है कि विधेयक के सिद्धान्त सभी राजनैतिक दलों को मान्य हैं। कुछ खण्डों के बारे में विशेषकर एक व्याख्या के लोप के बारे में काफी मत-भेद उत्पन्न हुआ है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि जनमत के लिये बिल को परिचालित करने की मांग की गई है। साम्प्रदायिक अथवा जातीयता अथवा प्रान्तीयता की समस्या हमारे लिये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में साम्प्रदायिकता की जड़ें कई वर्ष पुरानी हैं। परन्तु पहले तो यह कारण था कि विदेशी सरकार लोगों में फूट डाल कर शासन करने की नीति पर चलती थी। विदेशी शासन की निन्दा करना भी बेकार है क्योंकि गत १४ वर्ष में साम्प्रदायिकता की भावना वैसी ही बनी रही और उस के साथ अन्य कई प्रकार के बखेड़े जैसे कि जातीयता, प्रान्तीयता और भाषावाद आदि भी पैदा हो गये। इन विनाशकारी प्रवृत्तियों की गम्भीरता को सभा भली भांति प्रकार समझती है।

सभा में कई बार इस मामले पर चर्चा हुई है और यहां मांग की गई है कि सरकार को साम्प्रदायिता आदि तत्वों के खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। कई राज्य विधान मण्डलों में, मुख्य मंत्री सम्मेलन में इस बारे में कई बार चर्चा उठाई गई और सामान्यतः यही राय थी कि इस विषय में यथा सम्भव शीघ्र कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

कुछ समय पूर्व श्री बाजपेयी ने यह प्रश्न उठाया था और मुझ से पूछा था कि कुछ संस्थाओं को साम्प्रदायिकता त: अवैध ठहराने के बारे में विचार किया गया था या नहीं और सरकार ने उस विषय में क्या कार्यवाही की थी। हम ने इस प्रश्न पर विचार किया परन्तु कोई अंतिम निश्चय करने से पूर्व सरकार समस्या के हर पहलू पर विचार करना पड़ता है।

मेरा विचार था कि हम ने जो कार्यवाही की सभा उसकी सराहना करेगी परन्तु श्री दी० ना० मुकर्जी ने यह कहा कि इस से अधिक विस्तृत विधेयक सभा में पेश किया जाना चाहिये था। यदि हम संस्थाओं का अवैध घोषित करना बिल पेश करते तो शायद उनकी इच्छा पूरी हो जाती परन्तु हम ने ऐसा नहीं किया और इसका गलत अर्थ नहीं बताया जाना चाहिये। मैं ने पहले भी कहा कि हमें सब पहलुओं पर विचार करना होता है। परन्तु मैं यह जानता हूं कि यदि इस प्रकार का कोई विधेयक पेश किया जाता है तो विरोधी दल के सदस्य सरकार पर यही आरोप लगायेंगे कि यह जान बूझकर हम ने अपने लाभ के लिये किया है।

हम ने अधिनियम में सीमित संशोधन करने को कहा है ताकि इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके जो साम्प्रदायिक अथवा जातीयता अथवा भाषा सम्बन्धी गतिविधियों में भाग लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दो साम्प्रदायों अथवा जातियों में शत्रुता पैदा करता है तो उस के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सरकार को शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। सभा भी यही चाहेगी कि सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करे।

१९०८ के दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी संस्था को अवैध घोषित कर किया जा सकता है। इस अधिनियम को मद्रास उच्च न्यायालय ने शक्ति परस्तात घोषित कर दिया है। परन्तु बाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे सही बताया। भारतीय दंड संहिता की धारा १२४-क को पंजाब उच्च न्यायालय ने शक्ति परस्तात घोषित किया था। उन्होंने उस उपबन्ध की मान्यता पर सन्देह किया। मेरे विचार से तो यह अच्छा ही हुआ क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अब

---

†मूल अंग्रेजी में

विरोधी दल के सदस्य खुले आम सरकार की त्रुटियां बता सकते हैं और हमारी निन्दा कर सकते हैं। वे शक्तियां अब नहीं हैं और हमें वर्तमान स्थिति का मुकाबला करना है जब कि ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं।

यह कहा गया है कि इस में सरकार को दोष है। अभी-अभी श्री गुह ने यही बात कही परन्तु उन्हें अपना उत्तरदायित्व नहीं भूलना चाहिये। मैं अपनी त्रुटियों को स्वीकार करता हूं परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन का पुराने नेता होने के नाते श्री गुह का उत्तरदायित्व किसी मंत्री से कम नहीं है। विभिन्न सामुदायों के लोगों के मन में जो बुरे विचार हैं उन्हें निकालने में हम असफल रहे हैं बल्कि कई मामलों में इस प्रकार के विचार और बढ़ गये हैं।

पहले जातीयता की भावना बहुत अधिक थी और दल सम्बन्धी निर्वाचन पर जातीयता की भावना और भी बढ़ती हुई जान पड़ती है। क्या इस को रोकने के लिये कार्यवाही करने का यह उपयुक्त समय नहीं है। १९४८ में संविधान सभा ने यह पारित किया था कि :—

"लोक तन्त्र ठीक प्रकार चल सके और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का विकास हो इसके लिये आवश्यक है कि भारतीय लोगों के जीवन में साम्प्रदायिकता का नाम तक न रहे। इस विधान सभा की यह राय है कि ऐसी संस्थाओं की गतिविधियां बंद करने के लिये विधान सम्बन्धी तथा प्रशासन सम्बन्धी हर एक कार्यवाही की जाये जो धर्म अथवा जाति के आधार पर लोगों को सदस्य बनाती है अथवा उनकी सदस्यता समाप्त करती है। संविधान सभा के एक संकल्प में यह अप्रैल, १९४८ में पास किया गया था। सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों के पीछे विधि की स्वीकृति होना आवश्यक है अतः बड़े आश्चर्य की बात है कि जनमत के लिये बिल को परिचालित करने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री मुकर्जी ने इसे स्थगित करने के दो कारण बताये एक तो यह कि राष्ट्रीय एकीकरण समिति की बैठकें हो रही हैं और इसे अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और दूसरे यह कि जनता और सरकार इस पर विचार कर ले।

मैंने आज पता किया था कि जो छपी हुई प्रति मुझे भेजी गई थी वह राष्ट्रीय एकीकरण समिति का अंन्तिम प्रतिवेदन था। राष्ट्रीय एकीकरण समिति की बैठकें होती हैं और वहां चर्चा होती है; सुझाव दिये जाते हैं वह अलग बात है। सुझाव देने के अलावा इस समिति को यह भी देखना होता है कि उनकी जो सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की हैं उन्हें कार्यान्वित भी किया जाये। इसी कारण वह समिति चल रही है। उन्हीं के आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है और सरकार को भी उसकी एक प्रति मिल गई है।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : क्या इस समिति की स्थापना प्रधान मंत्री के सुझाव पर दी गई है या कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कहने पर ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : भावनगर कांग्रेस के समय कांग्रेस ने यह समिति स्थापित की थी न कि प्रधान मंत्री ने।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने विधेयक को स्थगित करने के लिये कहा है। मेरे सामने यह कठिनाई है कि यदि अब इसे स्थगित किया गया तो नवम्बर–दिसम्बर के अधिवेशन इसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। तब विरोधी दल के सदस्य यह कहेंगे कि निर्वाचन के पूर्व जान बूझ कर इसे पेश

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

किया गया जिस से उनके लिये कठिनाइयां पैदा हों। इसलिये यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो वह इसी अधिवेशन में की जानी है। अतः सभा को चाहिये कि वह इस विधेयक पर विचार कर ले और इसका अनुमोदन कर दे।

यह कहा गया है कि धारा १५३–क मे कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु अन्तर यह है कि उसमें जाति, समुदाय, धर्म और भाषा आदि का कहीं उल्लेख नहीं है। हम इस धारा को इन विषयों तक ही सीमित रखना चाहते हैं और व्यापक नहीं बनाना चाहते। पुराने जमाने में धारा १५३–क का प्रयोग किसी और प्रयोजन के लिये किया जाता था। सामाजिक ढांचे में हम जो आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं उनको देखते हुये उन प्रयोजनों को अपने सामने नहीं रखा जा सकता। इसलिये यह आवश्यक है कि जाति, समुदाय और धर्म आदि का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या किसी उच्च न्यायालय ने अथवा उच्चतम न्यायालय ने यह विनिर्णय किया है कि जाति, समुदाय और धर्म पुरानी धारा १५३-क के अन्तर्गत नहीं आते?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि वह धारा १५३–क को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उसमें धर्म, जाति, भाषा आदि का उल्लेख किया गया है।

†**श्री त्यागी** : क्या धारा १५३–क के अन्तर्गत यह सब नहीं आता?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : आता तो है परन्तु विशिष्ट रूप से नहीं। विभिन्न वर्गों के आपसी झगड़ों का निबटारा करने के लिये यह धारा रखी गई थी। जमीन्दारी को समाप्त करने का आन्दोलन चलाने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ भी इस धारा का प्रयोग किया जाता था। कई मामलों में इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती थी परन्तु उसमें जाति और साम्प्रदायिकता का कोई उल्लेख नहीं था। वर्तमान परिस्थितियों में इनके लिये विशेष रूप से उपबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यदि कोई हिंसात्मक कार्यवाही की जायेगी तो उसे संभालना ज़रूरी होगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : पुरानी धारा में सम्प्रदायों के बारे में भी उपबंध मौजूद थे। यदि मुसलमानों के खिलाफ कोई आन्दोलन किया जाता था तो धारा १५३–क के अन्तर्गत उस पर कार्यवाही की जाती थी।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इस बात से इनकार नहीं करता। जो शक्तियां प्रदाय की गई थी वे अब भी मौजूद हैं; कहीं पर इसका क्षेत्र घटाया नहीं गया है केवल कुछ बातें अधिक स्पष्ट कर दी गई हैं।

कारावास दण्ड को २ वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह था कि लोगों में इन अपराधों के प्रति डर पैदा किया जा सके। वैसे यह निर्णय तो न्यायालयों को करना होगा कि दण्ड कितना दिया जाये। यह छूट न्यायालय को दी जाती है कि दण्ड इतना हलका हो या भारी।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्याख्या में लोगों की कुछ आलोचना की गई है परन्तु हमारा प्रयोजन यह है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अपराधी पर डाली जाये कि उसकी नीयत खराब नहीं थी।

†**श्री अ० चं० गुह** : संशोधन खण्ड में प्रयोजन का कहीं उल्लेख नहीं है बल्कि परिणामों के बारे में ही कहा गया है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : सभा में कई सदस्यों ने कहा है कि व्याख्या को हटाने से उन लोगों के लिये कोई संरक्षण नहीं रहा जो अपनी जाति अथवा समुदाय के बारे में सही शिकायतें पेश करना चाहते हों। हम यह अनुभव करते हैं कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी अपराधी पर होनी चाहिये। कई सदस्यों का विचार है कि यह विधेयक भी प्रभावी सिद्ध नहीं होगा इस बात को देखते हुये भी व्याख्या का लोप करना आवश्यक समझा गया।

मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता किन्तु बात यह है कि अच्छे लोग सही मामलों में भी गवाही देने के लिये तैयार नहीं होते। गलत और झूठे मुकदमों में गवाही देने के लिये लोग आगे न आयें तो बात समझ में आती है; उन्हें गवाही देनी भी न चाहिये। मेरा ख्याल है कि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। समाज के अच्छे लोग स्वयं आगे आते हैं और अपराधी को सज़ा दिलाने के लिये न्यायालय में उपस्थित होने के अवसर का स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे देश में अच्छे गवाह लाना बहुत कठिन है। कभी-कभी पुलिस की आलोचना की जाती है कि उसके अपने दलाल और गवाह होते हैं जो न्यायालय में आ कर गवाही देते हैं। हमें या तो इसे कारगर बनाना होगा या फिर हम इसे वैसा ही रहने दें। सभा को इस प्रश्न का निर्णय करना है। यदि आप इसे कारगर बनाना चाहते हैं तो कोई मुसीबत तो न आएगी। यह अपराध जमानत देने योग्य है; अपराधी जमानत पर रिहा हो सकता है और न्यायालय में अपनी सफाई दे सकता है। वह अपराधी है या नहीं है इस बात का निर्णय न्यायालय करेगा। हमारा ख्याल है कि यदि हम इसे वास्तव में कारगर बनाना चाहते हैं तो हमें यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर डाल देनी चाहिये जिसके खिलाफ चार्ज-शीट लाई गई है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : जहां तक ऐसे व्यक्ति का सम्बन्ध है न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकेगा।

†**श्री त्यागी** : मेरा ख्याल है कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिये माननीय मंत्री स्पष्टीकरण को, जैसा कि वह है, रहने दें।

†**श्री अ० चं० गुह** : संशोधक विधेयक में "इरादे" का कोई उल्लेख नहीं है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : माननीय मंत्री "जो भी कोई जान बूझ कर बढ़ावा दे" इन शब्दों को तो स्वीकार कर लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इससे जिम्मेदारी किसी और पर आ जायगी। यह माननीय मंत्री के तर्क के विरुद्ध होगा।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट) : बात स्पष्टीकरण की है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री नौशीर भरूचा के संशोधन से माननीय मंत्री के रुख में कोई फर्क नहीं पड़ता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि यह उपबन्ध रहा आया तो न्यायालय कुछ न कर पायेंगे। इरादे को सिद्ध करना आवश्यक है।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** इरादा कैसे सिद्ध किया जाय। वह तो किसी कार्य के स्वाभाविक और संभव्य परिणाम पर आधारित होता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक श्री नौशीर भरूचा का सम्बन्ध है, यदि "इरादा" रहने दिया जाय तो उसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोक्ता पर रहेगी और न्यायालय सबसे पहले उसे सिद्ध करने के लिये कहेंगे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं और मेरी अब भी यह राय है कि यदि हम इस उपबन्ध को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो हमें यह स्पष्टीकरण निकाल देना होगा। जो माननीय सदस्य इस बात से सहमत न हों वे खण्डों पर चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

आम तौर पर यह कहा गया है कि इस विधेयक को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुये लाया गया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु मैं इतना अवश्य कह दूं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक कायकर्ता और राजनीतिक दल लाखों लोगों के सम्पर्क में आते हैं यह बहुत आवश्यक है कि उस समय साम्प्रदायिक या इसी तरह का अन्य प्रचार न किया जाय। यह ठीक है कि प्रचार किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन यदि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिये चुनाव के समय या उसके पूर्व ऐसी कोई कार्यवाही करें तो हम आम जनता के साथ ज्यादती करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि हम दूध के धोये हुये हैं। लेकिन मुझे एक बात में तनिक भी सन्देह नहीं है और वह यह है कि जहां तक साम्प्रदायिकता के विरोध का सम्बन्ध है, कांग्रेस देश के अन्य सभी संगठनों से बहुत आगे है। किन्तु अन्य मामलों में विरोधी दल के सदस्य कभी कभी हमें मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिये जातिवाद को लीजिये। मुझे आशा है कि विरोधी दल के सदस्य मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि देश में उनके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। जब कभी विरोधी दल यह देखते हैं कि उनकी स्थिति कमजोर है तो वे किसी ऐसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं जिसकी जाति के काफी लोग उस क्षेत्र में रहते हों।

†**एक माननीय सदस्य :** कांग्रेस दल भी यही करता है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमें देश में जनता का सहयोग प्राप्त है इसलिये हम ऐसा नहीं करते। बल्कि हम कोई योग्य उम्मीदवार को खड़ा कर के किसी विशिष्ट जाति या सम्प्रदाय के उम्मीदवारों का विरोध कर सकते हैं। इसलिये मैं श्री ही० ना० मुकर्जी तथा उनके मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि वे जातिवाद की भावना उत्पन्न करते हैं और हमें किसी हद तक मजबूर करते हैं जो वास्तव में अच्छा कार्य नहीं है। फिर भी मुझे विश्वास है कि जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है यह विधान किसी दल या संगठन के लिये बाधक न होगा। किन्तु मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस समय जो प्रचार किया जा रहा है वह वास्तव में खतरनाक है और उसका एकमेव उद्देश्य सत्तारूढ़ दल का विरोध करना है। यदि ऐसा प्रचार उचित ढंग से किया जाये तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। यदि मैं श्री ही० ना० मुकर्जी या विरोधी दल के किसी सदस्य को कुछ पर्चे दिखाऊं तो उन्हें धक्का लगेगा। ऐसे कुछ पर्चे दिल्ली में भी बांटे गये हैं। हमने उन्हें जब्त कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वाजपेयी : ऐसी सूचनाओं के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कार्यवाही की जा रही है । ऐसे पर्चे जब्त कर लिये गये हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है । बड़ी खेद की बात होगी कि श्री वाजपेयी जैसे संयत सदस्य अपने दल के सदस्यों के कार्यों की ओर ध्यान न दें । मुझे उनके दलविशेष के बारे में कुछ कहना नहीं है ; उनके दल की अपनी राय हो सकती है । किन्तु हमें स्वयं प्रामाणिक होना चाहिये । मैं स्वयं और अपने दल के प्रति प्रामाणिक रह सकता हूं । अन्य दल, जिनका यह दावा है कि उनके दल में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है और यह अच्छा भी है, अपने संगठन में और अपने सदस्यों पर उचित नियंत्रण रखें । प्रत्येक दल को अपने कार्यों को एक आलोचक के दृष्टिकोण से देखना चाहिये । हमें अपनी खामियों को जान लेना चाहिये और मेरी यह शिकायत है कि हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते । खास कर जो लोग विरोधी पक्ष के हैं वे यह नहीं करते । वे औरों पर आरोप लगाने के लिये तो तैयार हो जाते हैं किन्तु वे यह नहीं देखते कि वे स्वयं अथवा उनके दल के सदस्य क्या कर रहे हैं । मेरा आशय इतना ही है कि माननीय सदस्य इस बात के प्रति आश्वस्त हो जायें कि इस विधेयक का चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु मैं यह भी कह दूं कि मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगले कुछ महीनों में साम्प्रदायिक या इसी तरह का कोई और प्रचार किया गया तो उसे अवश्य रोका जाना चाहिये ।

यह आशंका व्यक्त की गयी है कि विधान का उचित कार्यान्विय न हो सकेगा । श्री त्यागी ने रामपुर के मामले का उल्लेख करते हुए यह बात उठायी है । किन्तु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि रामपुर का मामला वर्तमान धारा १५३—क के अन्तर्गत हुआ होगा । कानून या अधिनियम की अपेक्षा उसका उचित कार्यान्विय कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है । मुझे विश्वास है कि संभवतः इस प्रकार के मामलों में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और इसलिये जिले के अधिकारियों को बहुत सावधानी से काम करना होगा और वे ऐसी कोई कार्यवाही न करेंगे जो बाद में गलत साबित हो जाये क्योंकि वे कांग्रेसी सदस्यों के बजाय विरोधी दल के सदस्यों से अधिक डरते हैं । मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इस विधान का दुरुपयोग न होगा और उसे यथासंभव सोच-विचार के बाद काम में लाया जायेगा ।

श्री बाजपेयी ने मुस्लिम सम्मेलन का उल्लेख किया है । किसी माननीय सदस्य ने कहा कि उसे सरकार का समर्थन प्राप्त था । सरकार का सम्मेलन से कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु यह सच है कि कांग्रेस संगठन से परामर्श लिया गया था । किन्तु माननीय सदस्य जानते ही हैं कि सम्मेलन में कतिपय कांग्रेसी नेताओं ने और स्वयं प्रधान मंत्री ने क्या विचार व्यक्त किये हैं ?

जहां तक हिन्दू सम्मेलन का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि वह हो भी रहा है या नहीं और होगा तो कब होगा । यह सम्मेलन जिस राज्य में होगा वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगा । व्यक्तिगत रूप से मैं यह नहीं जानता कि हिन्दू सम्मेलन आयोजित करने का क्या कारण हो सकता है । मैं कुछ देर के लिये यह भी मान लूं कि अधिकांश लोगों को किसी बात से ठेस पहुंची है तब भी उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि यहां या राज्य विधान मंडलों में सरकार जो कुछ कर रही है वह उनकी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सम्मति से कर रही है । जब देश का शासन बहुमत से हो रहा हो तो हिन्दू सम्मेलन का

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

आयोजन कर के वे क्या हासिल करेंगे तो यह मैं नहीं जानता । मेरी राय में ऐसा कर के वे देश में अच्छा वातावरण बनाने की बजाय बुरा वातावरण बना देंगे । एक तरफ तो आप मुस्लिम सम्मेलन की आलोचना करते हैं कि वह क्यों आयोजित किया गया और दूसरी ओर ऐसे बहुत से संगठन, जिन्होंने उसकी आलोचना की थी, कह रहे हैं कि वे हिन्दू सम्मेलन करेंगे । इसलिये मैं ने श्रीनगर में कहा था कि मैं इस प्रस्ताव को पसन्द नहीं करता । क्या कार्यवाही की जायेगी यह उस समय विद्यमान स्थिति पर निर्भर करेगा; यदि यह सम्मेलन किसी राज्य में हुआ तो राज्य-सरकार जो उचित समझेगी वह करेगी ।

श्री गोलवलकर ने पंजाब की घटनाओं के बारे में जो कुछ कहा वह श्री वाजपेयी जानते ही होंगे । मैं स्वयं उनका वक्तव्य पढ़ कर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने जो कुछ कहा उससे हिन्दू महासभा में खलबली पैदा हो गयी । जनसंघ में ऐसी प्रतिक्रिया हुई या नहीं यह मैं नहीं जानता ।

श्री वाजपेयी ने देश के विभाजन की मांग करने वाले अथवा भारत में पृथक राज्य बनाने का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये विधान बनाने के बारे में मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्त विचारों का भी उल्लेख किया है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने मद्रास के मुख्य मंत्री के भाषण का गलत अर्थ निकाला है। मेरा ख्याल है सभा इस बात से पूर्णतः सहमत होगी कि जो लोग देश के विभाजन के लिये कहें या कार्य करें उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । इस प्रकार का कोई कार्य या प्रचार न होने देना चाहिये और सरकार को या तो कानून बनाना पड़ेगा या आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी । मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि उनके राज्य में एक ऐसा दल है जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है और मेरे ख्याल में उनका यह कथन बिलकुल ठीक है कि चूंकि चुनाव नजदीक आ गये हैं तो वह उस दल का सामना राजनीतिक स्तर पर करना चाहते हैं ताकि देश को और मद्रास राज्य को यह ज्ञात हो जाये कि उस दल को राज्य की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है । मेरा ख्याल है कि श्री वाजपेयी को मुख्य मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिये थी किन्तु उन्होंने आलोचना की है । मेरी राय में मुख्य मंत्री ने ठीक ही किया है । उनका आशय यह था कि यदि आप विधान बनाना चाहते हैं तो बनाइये किन्तु अभी न बनाइये अन्यथा उससे ह गलतफहमी पैदा होगी कि अन्य दलों को हटाया जा रहा है ताकि वे आगामी चुनाव में कांग्रेस का विरोध न कर सकें ।

मैं एकता समिति के बारे में कह चुका हूं। मैं केरल की मुस्लिम लीग के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका उल्लेख कई बार किया गया है । श्री मुकर्जी बहुत ज्यादह नाराज न हों इसलिये मैं इतना ही कहूंगा कि साम्यवादी दल मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त करने के लिये पिछले २०--२५ वर्षों से प्रयत्नशील है । गत १०--१५ वर्षों में उसने लीग को अपने पक्ष में करने के लिये कोई कसर उठा नहीं रखी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण पश्चिम): जहां हम असफल रहे वहां आप सफल हो गये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मेरा ख्याल है कि साम्यवादी दल के सदस्य वास्तव में असफल नहीं रहे ! जब उन्होंने सरकार बनाई तो उन्हें लीग का समर्थन--चाहे वह नैतिक हो या अप्रत्यक्ष--मिला । इसलिये हमारी कठिनाई यह है कि जब साम्यवादी दल कहता है

†मूल अंग्रेजी में

कि कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम लीग से अलग कर ले--हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो--तो उसका अर्थ वास्तव में यह है कि उससे श्री हीरेन मुकर्जी और उनके साथियों को मुस्लिम लीग को अपने पास लाने का और केरल सरकार के लिये कठिनाइयां उत्पन्न करने का मौका मिल जायेगा। इसमें सन्देह नहीं कि इस विषय में कांग्रेसाध्यक्ष के स्पष्ट वक्तव्य और प्रधान मंत्री द्वारा उनके वक्तव्य की पुष्टि से हमारी नीति स्पष्ट कर दी गयी है। बहरहाल मैं साम्यवादी दल की चाल को समझता हूं इसलिये मैं इससे अधिक कुछ न कहूंगा।

श्री अ० चं० गुह ने अल्पसंख्यकों के आयुक्त के बारे में तथा कुछ अन्य बातें भी उठाई। उस के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि यह सच है और मैं उसे स्वीकार करता हूं कि उक्त आयुक्त अब तक बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं।

स्वर्गीय गोबिन्द वल्लभ पन्त ने जब वे गृह कार्य मंत्री थे, सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि जब वे राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके तो अधिकारी उन से मिलें और भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उन्हें यथा संभव कार्यान्वित किया जाये। गत दो-तीन महीनों में हम ने इसे साध्य करने के लिये और प्रयत्न किये हैं। स्थिति में काफी सुधार हुआ है और प्रायः प्रत्येक मुख्य मंत्री और राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के आयुक्त को पूरा सहयोग दिया है। तब भी मैं यह नहीं कहता कि मैं इस से सन्तुष्ट हूं। हम भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करेंगे और अल्पसंख्यकों को सहायता देंगे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह बता दूं कि मैं इस सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं। केवल कानून बना कर समस्या हल नहीं की जा सकती। इसके लिये आवश्यक है जनता का समर्थन। सच पूछा जाये तो जब तक जनता का पर्याप्त समर्थन न हो तब तक कोई कानून प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिये यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे विषयों के बारे में आवश्यक जनमत तैयार करने की भरसक कोशिश करें। यदि आवश्यक जनमत तैयार कर लिया जाये और इस विधेयक के उपबन्ध करने का कोई अवसर उत्पन्न न हो तो मुझे वास्तव में प्रसन्नता होगी।

मेरी राय है कि इस विधान के लिये अगले ६, ७ या ८ महीने से, जब कि आम चुनाव होंगे, अधिक अच्छा अवसर नहीं हो सकता। किसी माननीय सदस्य ने आचरण संहिता का उल्लेख किया है। आचरण संहिता भी विधान के समान है। मुझे पता चला है किसी विशिष्ट राज्य में आचरण संहिता बनायी गयी थी। उस के दो तीन दिन बाद ही मैं ने उस राज्य के किसी दल के सदस्य का भाषण पढ़ा। उस भाषण में शुरू से आखिर तक जहर उगला गया था और आरोप लगाये गये थे। मेरी समझ में नहीं आता कि इस राज्य में किसी प्रकार की आचरण संहिता बनाई गयी थी। इसलिये आप आचरण संहिता बनायें या कोई विधान बनायें वह प्रभावी तभी होगा जब कि इस सभा के सदस्य उस से सहमत हों और अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करें। यदि इस सभा के सदस्य आवश्यक वातावरण का सृजन करें तो मुझे विश्वास है कि सारा देश उन की राय मान लेगा और ऐसा कोई कार्य न करेगा जिस से लोगों में फूट पड़ जाये यदि हम इस समय सही दिशा में कदम न उठायें तो आने वाली पीढ़ियां हमारी भर्त्सना करेंगी। इसलिये अब समय आ गया है कि हम अपने दायित्वों को समझें और इन प्रवृत्तियों को, जो बहुत बढ़ती जा रही हैं, प्रभावी ढंग से रोकने के लिये सरकार की भरसक सहायता करें। मुझे आशा है कि इस परिस्थिति में विधेयक को सदन का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पहले परिचालन का प्रस्ताव रखता हूं । मुझे बताया गया कि कुछ माननीय सदस्य उस पर मत-विभाजन पर जोर दे रहे हैं । यह प्रस्ताव ३ बजे लिया जायेगा । इस बीच हम अगला कार्य लेंगे ।

समाचार-पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ को जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, जिसे इस सभा ने और राज्य सभा ने १९५६ में पारित किया था, प्रेस आयोग की सिफारिश के अनुसरण में बनाया गया था । प्रेस आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि एक मूल्य-पृष्ठ अनुसूची होनी चाहिये अर्थात् किसी समाचार पत्र के पृष्ठों की संख्या और उस के मूल्य का कोई सम्बन्ध होना चाहिये ताकि जिन पत्रों की स्थिति अच्छी नहीं है वे अनुचित प्रतियोगिता के कारण समाप्त न हों जायें बल्कि उन्हें समृद्ध होने का मौका मिले ताकि सभी तरह के विचारों की अभिव्यक्ति के लिये उचित वातावरण तैयार किया जा सके । वर्तमान विधेयक से कोई परिवर्तन अभिप्रेत नहीं हैं । उस का उद्देश्य केवल इस अधिनियम को जारी रखना है ।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह अधिनियम १९५६ में बनाया गया था । उस के बाद समाचार पत्रों की राय जानने के लिये विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई तथा उसे कार्यान्वित किया गया ताकि अनुसूची लागू करने पर यह गलत धारणा न उत्पन्न हो कि सरकार कोई नाजायज कार्यवाही कर रही है । इस प्रक्रिया का ब्यौरा आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान और बाद में प्रैस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चाओं के दौरान दिया जा चुका हैं ।

जो विधेयक पारित किया गया था तथा जिस के अनुसार हम अनुसूची लागू करने वाले थे वह कुछ समय तक स्थगित करना पड़ा जिस का मुख्य कारण यह था कि उच्चतम न्यायालय ने मजूरी समिति की सिफारिशों को रद्द कर दिया जो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गयी थी । उच्चतम न्यायालय के निर्णय में जो बातें कही गयी थीं उस से हमें ऐसा लगा कि मजूरी समिति के कार्य को पहले कार्यान्वित किया जाये क्योंकि दोनों निर्णय समाचारपत्रों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं और इसलिये हमें उस निर्णय को कार्यान्वित कर उस का परिणाम कुछ समय तक देख लेना चाहिये । अनुसूची जारी करने में हुए विलम्ब का यही कारण हैं ।

मूल्य और पृष्ठ अनुसूची आदेश का पहला प्रारूप समाचार पत्रों की राय जानने के लिये अप्रैल, १९६० में प्रकाशित किया गया था । समाचारपत्रों के साथ चर्चा करने के बाद प्रथम प्रारूप में परिवर्तन किये गये ताकि उस के सम्बन्ध में यथाशक्य अधिक सहमति रहे और इस प्रकार दूसरा आदेश भी प्रकाशित किया गया । अन्तिम आदेश, अक्तूबर, १९६० में प्रकाशित किया गया । इस आदेश को चुनौती देते हुए एक समाचार पत्र ने दिसम्बर, १९६० में उच्चतम न्यायालय में एक लेख याचिका दायर कर दी और उच्चतम न्यायालय ने ५ दिसम्बर, १९६० को स्थगन आदेश दे दिया । उस समय प्रश्न यह था कि चूंकि आदेश का सम्बन्ध एक समाचारपत्र से है तो क्या उसे अन्य समाचार पत्रों को भी लागू करना ठीक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में सावधानी के साथ विचार करने के पश्चात हम ने यह निर्णय किया कि यदि आदेश अन्य समाचार-पत्रों को लागू कर दिया गया और बाद में न्यायालय निर्णय प्रतिकूल रहा तो हम धर्म संकट में पड़ जायेंगे । इसलिये उच्चतम न्यायालय का अन्तिम निर्णय ज्ञात होने तक अनुसूची को लागू करना स्थगित कर दिया गया है ।

मुख्य कठिनाई यह रही है कि यह एक्ट पांच वर्ष के लिये पास किया गया था । हम समझते थे कि इस अवधि में हम सब प्रक्रिया से निबट लेंगे और एक दो वर्ष में यह देख लेंगे कि मूल्य और पृष्ठ अनुसूची कैसी चलती है और इस से समाचारपत्रों को क्या लाभ होता है । किन्तु इन सब कारणों से हम इसे प्रयोग में न ला सकें । हम यह देखना चाहते थे कि न्यायालय के निर्णय के बाद हमें एक्ट या आदेश में कोई सुधार करना जरूरी है या नहीं । इसीलिये हम प्रतीक्षा कर रहे थे और हम ने इस एक्ट में परिवर्तन करने में विलम्ब किया बदकिस्मती से उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला अब तक नहीं दिया है । हम उस की प्रतीक्षा कर रहे हैं । किन्तु इस बीच में वह अधिनियम एक सप्ताह के भीतर अपनी अवधि पूरी कर लेगा और उस के बाद न्यायालय का निर्णय अनावश्यक होगा । अतः हमें इस एक्ट को जीवित रखना है जब तक अदालत का फैसला न हो । हम समझते हैं कि जो कुछ सामग्री हमने एकत्र की है और जो चर्चा यहां की है और जो अनुसूची का प्रारूप हम ने तैयार किया है उस से समाचार-पत्रों को विशेष रूप से मध्यम और छोटे स्तर के पत्रों को लाभ होगा । समस्याओं का समाधान तो तभी हो सकता है जब कोई अनुसूची कुछ दिन तक प्रयोग में लाई जाये ।

यह अनुसूची बनाने के लिये और उच्चतम न्यायालय को निर्णय देने के योग्य बनाने के लिये हमें इस अधिनियम को जीवित रखना होगा । यही मुख्य कारण है कि यह विधान संसद् के आगे लाया गया है ।

विधेयक में सिर्फ एक खंड है कि यह जारी रहे । यह विषय निर्णयाधीन है अतः हमें इस के बारे में बहुत तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। मैं सभा से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में हमें यह बिल पास करना आवश्यक है, और इस समय मैं अधिक तर्क करना जरूरी नहीं समझता । इन शब्दों के साथ मैं इसे पेश करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ को जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : मैं ने माननीय मंत्री का भाषण ध्यान से सुना है । मैं तो समझती थी माननीय मंत्री प्रेस प्रतिनिधियों से परामर्श कर के कुछ समझौता करेंगे । बीसियों मुकदमे अदालतों से वापस ले लिये जाते हैं और समझौता हो जाता है ।

प्रेस आयोग की रिपोर्ट, १९५४ में ही आ गई थी और सरकार ने विधेयक पेश करने में दो साल लगा दिये ।

प्रेस के ठेकेदारों ने जब यह देखा कि मूल्य और पृष्ठ अनुसूची से उन्हें हानि होगी तो उन्हों ने उच्चतम न्यायालय में दावा कर दिया । पहले भी इस बारे में काफी बहस हुई थी । मेरे विचार से सभी दलों ने विरोध किया था । मुझे पता नहीं कि सरकार ने आदेश को लागू करने का प्रयत्न भी किया या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

प्रेस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्य और पृष्ठ अनुसूची में केवल अधिकतम ही नहीं बल्कि न्यूनतम पृष्ठ संख्या भी विहित होनी चाहिये । इस से छोटे समाचारपत्र भी बड़ों से होड़ लगा सकेंगे। प्रधान मंत्री ने स्वयं के आजकल समाचार पत्र व्यापारिक उद्देश्य से निकल रहे हैं। देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सुधारना उन का ध्येय नहीं है। पत्रों में जो विज्ञापन दिये जाते हैं उन का स्थान सीमित होना चाहिये ।

यदि विज्ञापनों का स्थान सीमित न बनाया गया तो छोटे पत्र बड़े पत्रों से टक्कर नहीं ले सकते। सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पत्रों में ठेकेदारी को समाप्त कर देना चाहिये ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस आयोग की नियुक्ति एक शानदार काम था और उस की रिपोर्ट भी शानदार है किन्तु सूचना और प्रसारण मंत्रालय के काम के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते । प्रेस आयोग की सिफारिशें लागू करने में वह विलम्ब कर रहा है ।

आजकल समाचार उद्योग में सेवा भावना नहीं है। वह पूर्णरूपेण एक उद्योग बन गया है जो मुख्य रूप से तीन उद्योगपतियों के हाथ में है—बिरला, डालमिया और गोयनका। छोटे-छोटे पत्र उनके पत्रों से होड़ नहीं कर सकते । यदि यही हालत रही तो समस्त समाचार-पत्र उद्योग पर ये छा जायेंगे। जनमत पर उनका अधिकार होगा और जनतंत्र पर भी उनका ही अधिकार होगा।

हम जानते है कि उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला अभी नहीं दिया है किन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि लोग किसी मामले को लटकाये रखने के लिये अदालत की शरण न ले लें। छोटे-छोटे स्थानों के पत्रों को कितनी कठिनाई हो रही है। अतः मैं चाहता हूँ कि मूल्य और पृष्ठ अनुसूची को जल्दी से जल्दी लागू किया जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): मैं कोई भाषण तो दे नहीं रहा सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह विधेयक अपने उद्देश्य में सफल हो। समाचारपत्रों को पढ़कर ही देश की जनता अपनी राय बनाती है और पूंजीपतियों के हाथ में जाने पर वे उस राय को प्रभावित कर सकते हैं।

देश में स्वतंत्र रूप से अपनी राय प्रकट करने के लिये सभी प्रकार की विचार धारा के पत्र पनपें।

पिछले वर्ष जो दैनिक समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) आदेश जारी किया गया है उसे भी हमें दोहराना होगा। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके उद्देश्य का व्यावहारिक रूप दिया जायेगा।

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनके बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। उन्होंने कहा है कि प्रेस आयोग की बहुत सी सिफारिशों को हमने लागू नहीं किया है। इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता किन्तु मुझे अपनी बात इस बिल तक ही सीमित रखनी चाहिये। श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने कहा है कि पत्रकारों से सलाह लेकर हमें उच्चतम न्यायालय से मुकदमा वापस करा लेना चाहिये। मुझे में सब पत्रों को राज़ी करने की इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उन सबसे समझौता करके मामला वापस ले लूं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मैंने पूछा था कि क्या ऐसी कोशिश की गई है और उसका क्या नतीजा निकला ?

†**डा० केसकर** : जब यह अनुसूची तैयार हुई थी, उन्होंने इसको पास करने का जिक्र किया था। शायद उनका अभिप्राय पहले प्रारूप से है जो जारी किया गया था उसके बाद दो भिन्न प्रारूप जारी किये गये थे। काफी दैनिक पत्र उनसे सहमत हुए और बहुत कम ने उसका विरोध किया। हम एक रूपता नहीं ला सकते। समाचारपत्र राय प्रकट करने के लिये होते हैं और यदि कोई मुझ से असहमत हो तो उसे राजी करना मेरे लिये कठिन है। मैं चाहता तो था कि ऐसा ही होता और यह मुसीबत न आती।

जो विलम्ब हुआ है उसके लिये मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ। हम जल्दी इसलिये नहीं करना चाहते थे कि प्रेस में आलोचना होती और प्रेस वाले यह कहते कि हम जबर्दस्ती उनपर कोई भी चीज लाद रहे हैं। हमें यह भी नहीं कहना चाहिये कि उच्चतम न्यायालय देर कर रहा है। हमें ऐसा कहना शोभा नहीं देता।

हम कोशिश करेंगे कि एकरूपता लाये किन्तु यह संभव नहीं है और यही कारण है कि मुकदमा उच्चतम न्यायालय में गया। उसका निर्णय ज्ञात होते ही हम इस सूची को यथाशीघ्र लागू करेंगे। श्री हरवानी ने भी इसके लिये अनुरोध किया है। किन्तु हम उच्चतम न्यायालय से तो जल्दी करने को कह नहीं सकते। उससे तो हम न्यायालय के अपमान के भागी होंगे और न ऐसा करने का हमारा इरादा ही होना चाहिए।

इस विधेयक में आक्षेप या आलोचना की कोई बात नहीं है।

हमें तो इस अधिनियम को जीवित रखना है। दूसरी बातों पर हम अलग चर्चा कर सकते हैं। जो सदस्य सुझाव देंगे उनका मैं स्वागत करूँगा। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है।

> "कि समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ को जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड १ और २ अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० केसकर** : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

> "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे १५ मार्च, १९६२ तक परिचालित किया जाये।"

सभा में मत-विभाजन हुआ पक्ष में २२, विपक्ष में ११६

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(धारा १५३-क के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड २ को लेते हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिये।

इसके गम्भीर परिणाम निकलेंगे। सभा के सामने प्रश्न यह है कि इरादे को अपराध का अंग माना जाये या नहीं। यदि हम इरादे को अपराध का अंग न मानें तो इसका अर्थ यह होगा कि जिस अपराध में इरादा न हो वह अपराध ही नहीं हुआ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : इसके लिये भारतीय दंड संहिता की धारा ८१ मौजूद है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपनी बात को एक उदाहरण से स्पष्ट करूँगा। मान लीजिये मैं हिन्दी का समर्थक हूँ और मद्रास में जाकर कहूँ कि सब लोगों को हिन्दी सीखनी चाहिये इससे वहाँ की कुछ जातियाँ यदि क्रुद्ध हो जायें तो क्या मैं वहाँ दुश्मनी पैदा करने का अपराधी हुआ ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : धारा ८१ यह कहती है कि कोई अपराध यदि अपराध के इरादे से न किया गया हो तो वह केवल इसलिये अपराध नहीं बन जाता कि उसके कर्ता को इस बात का ज्ञान है कि इससे हानि की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** : किन्तु यहाँ इस धारा के साथ जो व्याख्या लगी हुई है उसके कारण धारा ८१ का प्रभाव शून्य हो जायेगा। अतः मेरी धारणा यह है कि धारा १५३ क के साथ व्याख्या की जरूरत नहीं है। जिस समय चुनाव के दिनों में तनातनी होती है उस समय भाषा, धर्म या जाति के बारे में जरासी बात बहुत असर कर सकती है। कुछ राज्यों में वातावरण और भी बिगड़ा हुआ है और किसी भी भाषण देने वाले को खण्ड २ के अधीन अपराधी कहा जा सकता है।

धारा १५३क की जो व्याख्या दो गयी है उससे तो लोग चुनावों में अपना प्रचार कार्य नहीं कर सकेंगे। इससे प्रेस की स्वतंत्रता में भी विघ्न पड़ेगा क्योंकि अखबार में जो लिखा हो उससे भी जनता की राय बनती है। अदालत किसी भी उम्मीदवार को ऐसे आरोप लगाकर दोषी सिद्ध कर सकती है। अतः इरादे के साथ वैमनस्यपूर्ण शब्द होना चाहिये अन्यथा इरादे के ऊपर आसानी से आरोप लगाया जा सकता है।

†**श्री तंगामणि** : मैं खण्ड ५ की दो बातों को लेना चाहता हूं जिस पर बहुत से सदस्यों ने चर्चा की है। मैं इस सम्बन्ध में देश के उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये विनिर्णयों पर विश्वास करता हूं जिनमें धारा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि बिना द्वेषभाव के सद्भावपूर्वक ऐसे मामले के निवारण का उल्लेख करना जिनसे भारत के विभिन्न नागरिकों में शत्रुता के भाव फैलते हों, धारा के अन्तर्गत अपराध नहीं है। एनी बेसेंट बनाम मद्रास के महान्यायवादी के मामले में प्राइवी कौंसिल की न्यायिक समिति ने कहा था—दो महत्वपूर्ण सार्वजनिक धारणाओं में संतुलन पैदा करते समय जहां एक व्यक्ति तर्क की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देगा वहां दूसरा शान्ति और व्यवस्था की सुरक्षा पर बल देगा। बानोमाली महाराणा के मामले में न्यायालय ने कहा कि यह "यह धारा ऐसे सद्भावपूर्ण आन्दोलन कर्ता पर लागू नहीं होती जिसका प्रमुख उद्देश्य अन्यायपूर्ण कार्यों का निवारण करना हो।" अतः इस व्याख्या को हटाना न्यायोचित नहीं है।

धर्म के साथ साथ भाषा को रखने के बारे में मेरा यह विचार है कि भाषा को धार्मिक शत्रुता के बराबर नहीं रखा जा सकता। हमने भाषा-भाषी राज्यों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और हर भाषाभाषी यह समझता है कि उसकी भाषा अत्युतम है, और ऐसा समझने का अधिकार है। लोग स्वभावतः भाषाओं की तुलना करते हुए दूसरी भाषा का विरोध करेंगे। ऐसे विरोध से गड़बड़ का खतरा है। अतः इस हानि रहित धारा को लागू करते हुए हम इसे हानिकारक बना सकते हैं।

हम सरकार से सहमत है कि साम्प्रदायिक द्वेषभाव को दूर करना चाहिये। दक्षिण में विशेषतः हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक द्वेषभाव की बजाय जातीय द्वेषभाव अधिक है। मैं प्रसन्न हूं कि इस धारा में जाति शब्द जोड़ दिया गया है। किन्तु इसमें भाषा को रखते हुए सरकार जल्दबाजी से काम ले रही है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले में इस ऐवान की तवज्जह रतन लाल द्वारा लिखित "दी ला आफ क्राइम्स" की कमेंटरी की तरफ दिलाना चाहता हूं। उस के अन्दर दर्ज है :—

> "इलाहाबाद उच्च-न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि दो वर्गों में घृणा अथवा शत्रुता पैदा करने की इच्छा इस धारा के अतर्गत अपराध का आवश्यक अंग नहीं है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उसमें कमेंटेटर साहब ने लिखा है कि जहां तक लफ्ज प्रमोट का सवाल है वहां यह चीज नहीं आती है कि इस के अन्दर इंटेंशन का कोई सवाल पैदा हो। असर पैदा होना चाहिए। अगर किसी शख्स की किसी स्पीच से या तहरीह से ऐसा असर पैदा हो जाये कि फीलिंग औफ एनिमिटी पैदा हो जाये गो उसका इरादा ऐसा करने का न हो तो उस सूरत में भी वह इस कानून की जद में आ जायेगा। यह नहीं है कि पहले उसका इरादा हो और इरादा के मुताबिक उसका जो इरादा हो वह पूरा हो जाये तब वह जद में आ जायेगा। उस का इरादा कितना ही अच्छा हो, शायद ऐसा अच्छा हो जिसकी कि हर एक आदमी तारीफ करे लेकिन अगर उसका असर यह होता है कि उससे एनिमिटी प्रमोट होती है तो वह इस कानून की जद में आ जायेगा। चुनांचे इस कमेंटेटर ने लिखा है कि फ्री ट्रेड करने वाले भी इसकी जद में आ सकते हैं। अब फ्री ट्रेड से कंट्री का नुक्सान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। अब अगर उस फ्री ट्रेड से एनिमिटी प्रमोट होती है और वह अपने उस फेल से एनिमिटी प्रमोट करता है तो वह गिल्टी माना जायगा। ऐसी हालत में वह जरूर इसका पाबन्द हो जायगा। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अगर यह बात दुरुस्त है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय और कमेंटेटर की राय दुरुस्त है और सिर्फ इतना ही सवाल है कि आया ऐज ए मैटर आफ फैक्ट प्रमोशन होता है या नहीं होता है तो प्रमोशन होने की सूरत में वह इसकी जद में आ जायेगा। सवाल यह नहीं है कि उसका इरादा क्या था और क्या नहीं था। मुझे इस सिलसिले में गीता का एक श्लोक याद आता है जोकि इस प्रकार है :--

"यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।
हत्वापिस इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते।।"

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

मतलब यह है कि जिस आदमी के दिल में "मैं करने वाला हूं" ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि दुनियावी चीजों और कामों में लिप्त नहीं होती, वह आदमी इन सब तीनों लोकों को मार कर भी दरअसल में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ऐसा आदमी तीनों लोकों को भी मार दे तो भी वह पाप नहीं गिना जाता है।

अब इंडियन पिनेल कोड ऐक्ट के अन्दर पहली चीज यह होनी चाहिए कि अगर किसी काम के करने में मैलीजिनेंट इन्टेंशन नहीं है तो वह आम तौर पर जुर्म नहीं करार दिया जाये। आम उसूल यह है कि उसके पीछे इरादा होना चाहिए लेकिन इस ऐक्ट की रू से वगैर इरादा रक्खे हुए भी इसकी जद में आता है और यही इसकी सब से बड़ी खराबी है।

इस के अलावा आप मुलाहिजा फरमायेंगे कि इसके अन्दर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो एक छूट दी थी ऐक्सेप्शन दिया था वह ऐक्सेप्शन इस ऐक्ट के अन्दर बेगुनाह आदमी के वास्ते मौजूद नहीं है। उस की वजह यह है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब को शक यह है कि शायद एक्यूज्ड यह साबित कर दे कि मेरा मैलीजिनेंट इंटैंशन नहीं था और वह बच जायेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उनकी यह राय दुरुस्त है कि और यह बात सही है कि अगर एक आदमी यह साबित कर दे कि मेरा इरादा अच्छा था इस तहरीर के करने में और इस काम के करने में तो भी इन अल्फाज की रू से उसको सजा होगी और वह सजा तीन साल तक की हो सकती है भले ही वह कितना अच्छा इरादा क्यों न करे।

मेरी गुजारिश यह है कि अगर ला का इन्टरप्रैटेशन यह है और मुझे उम्मीद है कि हमारे ला मेम्बर साहब भी इससे इत्तिफाक करेंगे कि ला का इंटरप्रैटेशन यह है कि इसके अन्दर नैसैसेरली इंटैंशन नहीं है और इंटैंशन न होने की वजह से एक आदमी जो कि अपने फेल से एक नतीजा चाहता हो एन मुमकिन है कि उसका दूसरा नतीजा हो सकता है । अब यह हो सकता है कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को बचाने के लिए तलवार चलाता है और वह उसके लड़के के ऊपर पड़ जाती है और लड़का मर जाता है । अब तलवार तो उसने बचाने के वास्ते चलाई । उसका इरादा कुछ था और नतीजा कुछ और ही हो गया। अगर इस बिल के असूल को माना जाये तो वह दफा ३०२ के तहत गिल्टी बन जाता है। अब उसका इरादा तो लड़के को मारने का नहीं था। इरादा हर एक फेल की जान होता है । हमारे आनरेबुल डिप्टी स्पीकर ने एक ऐक्सेप्शन का हवाला दिया है दफा ८१ का उन्होंने जिक्र किया लेकिन मैं ने उसे पढ़ कर यह पाया कि वह तो उससे जर्मेन नहीं है । वह बिल्कुल जुदा चीज है । उसके अन्दर हार्म का जिक्र है लेकिन इस सैक्शन में तो हार्म का जिक्र ही नहीं है । अगर इंटेंशन नहीं है और वह कुछ ही काम कर दे लेकिन अगर नतीजा वह पैदा होता है जिसमें वह एनिमिटी की फीलिंग प्रमोट हो तो वह जरूर इस कानून की जद में आ जायेगा । मेरी अदब से गुजारिश यह है कि इस ऐक्सप्लेनेशन के जोड़े जाने के मानी यह है कि बहुत से बेगुनाह आदमी जो ईमानदारी के साथ यह यकीन रखते हैं और अपने देश का भला चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी का भला चाहते हैं और नेकनियती से कहते हैं कि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है तो भी वह इस कानून की जद में आ जायेंगे ।

अब मैं आपको बतलाऊं कि मैं पंजाब का रहने वाला हूं । मुझ को सिखों से बहुत मुहब्बत है, गुरुओं से बहुत मुहब्बत है और पंजाबी जबान से बहुत मुहब्बत है लेकिन अगर एक इस तरह का आर्डर आ जाये कि सारे हिन्दी ऐरिया को भी पंजाबी जबरन सीखनी पड़ेगी तो अगर मैं ने यह कहा कि पंजाबी भी सीखी जाये और हिन्दी भी सीखी जाये दोनों जबानें चलें और खाली पंजाबी ही न ठूंसी जाये तो मैं इस कानून की जद में आ जाता हूं हालांकि मेरी नीयत यह है कि पंजाब में कोई झगड़ा न हो और वहां के लोग बड़े सुख चैन से अपनी जिंदगी बसर करें। मौजूदा दफा के बमुजिद में इसकी जद में आ जाऊंगा हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वहां पर किसी किस्म की दुश्मनी और एक दूसरे के प्रति नफरत की फीलिंग पैदा हो ।

मैं इसी तरह की बीसियों मिसालें दे सकता हूं । अब संस्कृत, अंग्रेजी और हिन्दी का झगड़ा चलता है । अब हिन्दी और अंग्रेजी के बीच में काफी झगड़ा चलता है । अब बहुत से आदमी ईमानदारी के साथ यह यकीन रखते हैं कि हिन्दी एक नेशनल लेंग्वेज है और वह सारे देश में रायज होनी चाहिए लेकिन कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जोकि समझते हैं कि नहीं अंग्रेजी चलती रहनी चाहिए और हिन्दी को अंग्रेजी की जगह बैठा देने से देश का नुकसान होगा अब इस बारे में खूब रात दिन झगड़ा होता है और बहसें होती हैं और स्पीचें दी जाती हैं और ऐसी सूरत में अगर आप यह कहते हैं कि जो कोई अंग्रेजी का विरोध करेगा तो उसको सजा होगी तो यह तो कोई ठीक बात न होगी । अब कितना ही अच्छा इरादा उसका क्यों न हो मौजूदा दफा की रू से वह इसकी जद के अन्दर आ जाएगा ।

श्री तंगामणि ने इसके बारे में चन्द एक मिसालें दीं और मैं पचासों मिसालें इसके लिए दे सकता हूं । अब ऐनी बेसेंट के केस में हमने देखा कि एक्सेप्शन की रू से वह बच

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

गये और वह गिल्टी करार नहीं दिये गये । यहीं दिल्ली का एक केस है लेट श्री देशबन्धु गुप्ता का जिसमें कि जस्टिस जफर अली ने यह करार दिया कि अगर कोई शख्स इस इरादे से कि फलांनी खराबी दूर हो जाये ऐसी बात कहता है जो दूसरों को नापसन्द हो और फीलिंग आफ एनिमिटी पैदा होती है । ताहम वह गिल्टी नहीं है ।

इस वास्ते मैं यह अर्ज करूंगा कि दफा की मौजूदा वर्डिंग इस देश के लिए हानिकारक है । हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहब यकीन नहीं कर सकते कि जिसका इरादा पाक हो उसको सजा हो जायेगी । उनका खयाल यह है कि ऐक्यूज्ड को अख्तियार है कि वह अपनी बेगुनाही को साबित करे। मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इस कानून की रू से उसका इरादा नेक साबित भी हो जाये तो भी कोर्ट हैल्पलैस है और कोर्ट को उसको सजा देनी ही होगी । जब तक उस दफा में आप लफ्ज इंटेंशन नहीं लिखते हैं और यह नहीं लिखते हैं कि जो इंटेंशनली एनिमिटी प्रमोट करे या इंटेंशिली एटैम्पट्स टु प्रमोट--तब तक उसमें खामी बाकी रहती है और वह ठीक नहीं बनती है। लफ्ज इंटैंशन इसमें जरूर आना चाहिए । अब नतीजा एक चीज है और असल एक चीज है और इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मौजूदा दफा के एक ही माने हैं और वह यह कि असल में अगर एनिमिटी की फीलिंग का प्रमोशन होता है तो वह उसकी जद में आ जाएगा ख्वाह उसका इरादा कुछ ही क्यों न हो । इसलिये मैं अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक्सप्लेनेशन जरूरी है, या कम से कम इस में "इन्टेशन" का लफ्ज रखा जाये, तब भी बर्डेन प्रासीक्यूशन पर चला जाता है और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, वह कह सकता है कि इन्टेन्शन साबित नहीं हो सका और यह मेरा इन्टेन्शन नहीं था। अगर गवर्नमेंट न "इन्टेशन" रखती है और न एक्सप्लेनेशन को रखती है, तो इस का मतलब यह है, बेयर फैक्ट यह है कि जो आदमी फलां फेल कर दे, ख्वाह उस का कुछ ही इरादा हो, नेक या बद, वह सजा पा जायेगा ।

ला मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब की खिदमत में मैं एक बात दोबारा अर्ज़ करना चाहता हूं, क्योंकि कल शायद मैं यह बात बहुत साफ़ तौर पर अर्ज नहीं कर सका । मैं कांस्टीट्यशन के आर्टिकल १९ (१) की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । १९५० में आर्टिकल १९ (१) इस तरह था —

"सब नागरिकों को —

(क) वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का अधिकार होगा ।

आर्टिकल १९ (२) इस तरह था —

(२) खण्ड (१) के उपखण्ड (क) की कोई बात अपमान लेख, अपमान-वचन, मान-हानि, न्यायालय-अवमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक उसके प्रवर्त्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी ।

चूंकि उस वक्त हम नये नये आजादी में आये थे, इसलिये १९५० में हम ने जो लाइनैक्ट किया, हम ने उस में से सेडीशन को निकाल दिया और इसी तरह हम ने कई और गलतियां भी कीं । हम ने वे प्राविजन नहीं रखे, जो कि और मुल्कों में ऐसी हालतों के लिये होते हैं । मसलन

विलायत और अमरीका में "सेडीशन" का लफ्ज रखे बगैर सेडीशन को इस में इन्क्लूड किया हुआ है। हमारे यहां ऐसे अलफ़ाज थे कि लोगों ने उन का नाजायज फ़ायदा उठा कर तरह तरह की कार्यवाहियां करनी शुरू कर दीं। बहुत से लोगों ने मर्डर और वायलेंस को प्रीच करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे इस कानून की जद में नहीं आते थे—वे पार्ट (२) से बच जाते थे और पार्ट (१) में आ जाते थे। इस लिये इस देश में बहुत झगड़ा हुआ। आख़िर यहां पर एक कमेटी बैठी, जिस की तजवीज पर कांस्टीट्यूशन (फ़र्स्ट अमेंडमेंट) एक्ट पास हुआ। वह एक्ट ख़ास तौर पर इस लिये बना था कि ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट ने मास्टर तारासिंह के केस में यह करार दे दिया कि मास्टर तारासिंह की स्पीचिज और फ़ेल इस की जद में नहीं आते। इसके अलावा रमेश थापर का केस था और श्री गोपालन साहब ने भी इस बारे में बहुत झगड़ा किया। वे सब केसिज इस बात पर आधारित थे कि दर-अस्ल उन को फ़ीडम आफ़ स्पीच है। और वह भी ऐसी अनलाइसेंस्ड फ़ीडम आफ स्पीच कि कोई चाहे कुछ भी कहे, यह कहे कि मार दो, मर्डर कर दो, तो भी वह इस कानून की जद में नहीं आता। इसलिये दफ़ा (२) को तब्दील किया गया और अब दफ़ा (२) बहुत क्लीयर है कि राज्य, राज्य की सुरक्षा, अन्य राज्यों से मंत्री के भाव, शिष्टाचार और नैतिकता अथवा न्यायालय के अवमान, निन्दा या अपराध के लिये दुरोत्साहन के बारे में कानून बना सकता है। इससे यह जाहिर होता है कि "पब्लिक आर्डर", "फ़्रेंडली रिलेशन्ज़ विद फ़ारेन स्टेट्स" और "इनसाइटमेंट टु आफस" को छोड़ कर बाकी सब अलफ़ाज अमेंडमेंट से पहले भी इस दफ़ा में मौजूद थे।

फिर यह हुआ कि बहुत सी कोर्ट्स ने, इस सिलसिले में जो कानून पास कर दिये गये थे, उनको अल्ट्रा वायर्ज होल्ड कर दिया था। प्रेज़ेन्ट ला में हम ने १५३ ए और दूसरे सारे कानूनों के लिये ख़ास तौर पर यह प्राविजन रखा कि जो इस तरह के लाज थे, वे पार्ट (२) से अल्ट्रा वायर्ज नहीं बने और उन की फोर्स कायम रहेगी, जिस का नतीजा यह हुआ कि दफ़ा १५३ ए मौजूद रही, क्योंकि हम ने ख़ास तौर पर ला बनाया, जिस में (२) के इन्टरप्रैटेशन को गलत क़रार दिया और यह क़रार दे दिया कि वह ठीक रहेगी। आइन्दा के लिये हम ने पार्ट (२) में तब्दीली कर दी। अब हम को हर एक कानून को देखना पड़ेगा कि आया वह पार्ट (२) में आता है या नहीं। अगर वह १९ (२) में आ जाये, तो वह दुरुस्त है और अगर नहीं आता, तो ख्वाह कितना ही अच्छा कानून हो, वह नहीं चल सकता है।

हम चाहते हैं—कौन नहीं चाहता है—कि हिन्दुस्तान में इन्टेग्रेशन आफ़ सोसाइटी हो। मैं मिनिस्टर साहब को हंड्रेड परसेंट दाद देता हूं कि उन्होंने खसूसन इलैक्शन के मौके पर ऐसा कानून बनाने की कोशिश की, जिस से इन्टेग्रेशन आफ़ सोसायटी होगा और आपस में ज्यादा नफ़रत का नहीं होगा। इन्टेग्रेशन कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर सरकार ने कोई अव्वल दर्जे का कानून भी इन्टेग्रेशन आफ़ सोसाइटी के लिये बनाया, जिस में फ़ीडम आफ स्पीच पर हमला हो जाये, तो वह कानून नाजायज होगा। सिर्फ इन छः बातों के लिये सरकार फ़ीडम आफ़ स्पीच को करटेल कर सकती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन वह इन्टेग्रेशन आफ़ सोसायटी के लिये फ़ीडम आफ़ स्पीच को नहीं ले सकती है। वह किसी और मतलब के लिये, अमिटी पैदा करने के लिये, मुहब्बत पैदा करने के लिये फ़ीडम आफ़ स्पीच को नहीं रोक सकती है।

अब मुझे यह देखना है कि आया इस बिल की क्लाज २ आर्टिकल १९ (२) की जद में आती है या नहीं। इस क्लाज के दो हिस्से हैं—एक हिस्सा "फ़ीलिंग्ज आफ एनमिटी आर हेट्रिड" का है और दूसरा हिस्सा "ऐनी एक्ट विच इज प्रैजूडिशल टू दि मेनटेनेंस आफ़ हारमनी" से ताल्लुक रखता है और उस में यह दर्ज है कि जो व्यक्ति विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषीय वर्गों के

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

समुदायों के बीच सद्भाव बनाये रखने के विरुद्ध काम करता है । इस में पब्लिक आर्डर आ गया है, यानी जो पब्लिक आर्डर को खराब करेगा, उस को सजा दी जायगी , जिस का मतलब यह है कि वह क्लाज आर्टिकल १९(२) की रेक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, गो कि मैंने अर्ज किया है कि लफ्ज "लाइकली टू डिस्टर्ब" बड़े वसीअ और ड्रास्टिक हैं, लेकिन वह एक दूसरी चीज है । जहां तक ला का सवाल है, आर्टिकल १९ (२) में पब्लिक आर्डर के बारे में प्राविजन होने की वजह से वह ठीक है ।

इस के पहले हिस्से में यह दिया गया है --

"जो भी मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा धार्मिक, जातीय आदि भावनाओं के आधार पर शत्रुता और घृणा भाव पैदा करता है ।"

यह हिस्सा आर्टिकल १९(२) में नहीं आयेगा । अगर इस में यह लिखा होता "कैलकुलेटिड टु डिस्टर्ब दि पब्लिक आर्डर", तो आ जाता, लेकिन अब जहां तक यह है, इसके बरखिलाफ़ वही आबजेक्शन्ज हैं, जो कि दफ़ा १५३ ए पर ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट ने किये थे, जिस की रू से उन को पुराने एक्ट के नीचे अल्ट्रा वायर्ज करार दिया गया था । पुराने एक्ट के हिसाब से यह नाजायज था, लेकिन हम ने उस को कांस्टीट्यूशन (फ़र्स्ट अमेंडमेंट) एक्ट की रू से सही करार दिया । लेकिन अब हम जो कानून बनाते हैं, वह सिर्फ १९(२) से देखा जायगा । इस क्लाज के पहले हिस्से में "पब्लिक आर्डर" का जिक्र नहीं है और न ही "सिक्योरिटी आफ़ स्टेट", "डिसेन्सी आर मारेलिटी" वगैरह उन छः चीजों का जिक्र है, जिन के इन्ट्रेस्ट में फ़्रीडम आफ़ स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है । वे छः चीजें इस में एबसेन्ट हैं । मुझे डर है कि बावजूद हमारी इन सब कोशिशों के अगर यह कानून फिर कोर्ट के सामने जायगा, तो इस का वही हश्र होगा, जो कि १९३ए का हुआ था । इसका यह मतलब होगा कि हम ने अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया और इसलिये हम को जान-बूझ कर ऐसा नहीं करना चाहिये ।

अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इस को अल्ट्रा वायर्ज न करार दिया जाये, तो वह पहले हिस्से में कोई ऐसी चीज रखे, जो कि "पब्लिक आर्डर" वगैरह छः चीजों के मुताबिक हो, वर्ना मुझे डर है कि अगर यह बेयरली इतना रहे, जितना कि यह है, तो जिस तरह १५३ए को गलत करार दे दिया गया था, वैसे ही इस को भी ग़लत करार दे दिया जायगा । मैं चाहता हूं कि इस पर ग़ौर किया जाये । और उन अलफ़ाज को ऐड कर दिया जाये, वर्ना मुझे डर है कि उन के बग़ैर यह अल्ट्रा वायर्ज करार दे दिया जायगा ।

जैसा कि मैंने अर्ज किया है, इस में और भी बहुत सारे दूसरे नुक्स हैं । उन को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे ला मिनिस्टर साहब फ़िलवाक़े एक कमेटी मुकर्रर कर देते । आज सेडीशन का ला ऐसी सख्ती में पड़ा हुआ है कि हिन्दुस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं है । पहला ला ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट ने गलत करार दिया और दूसरा ला मौजूद है लेकिन वह न विलायत के मुताबिक है और न अमरीका के मुताबिक है । मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूं कि दफ़ा १५३ए और १२४ए दोनों ला एंड आर्डर के लिये, गवर्नमेंट के लिये, सोसायटी के लिये और बहुत से बातों के बहुत जरूरी हैं । उन को इस तरह से एडैप्ट किया जाये कि वे ठीक ला बनें । इस वक्त न १५३ ए ठीक ला बना है और न १२४ए ठीक ला बना है और न ही वह कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १९(२) के मुताबिक है ।

मुझे इतना ही अर्ज करना है ।

†**सभापति महोदय :** कुछ और सदस्य इस खंड पर बोलना चाहते हैं। यदि विधेयक को ४ बजे पास न किया गया तो इसे किसी और दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा।

†**श्री हिनिटा :** मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है अतः इस के लिये समय बढ़ा देना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि बहुत से ऐसे माननीय सदस्यों की आशंकायें दूर हो जायें जो समझते हैं कि यह विधेयक वाक्स्वातन्त्र्य के अधिकार में बाधा पहुंचाता है। मैं विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जिस बात का निषेध करता है और जिस बात के लिए दण्ड देता है वह व्यक्ति विशेष या समुदाय की शिकायतों की वैध अभिव्यक्ति से सर्वथा भिन्न है। दण्ड तो उन कहे गये या लिखे गये शब्दों अथवा संकेतों के लिए दिया जायेगा जो धर्म, भाषा, जाति, समुदाय या अन्य किसी आधार पर विभिन्न धार्मिक वर्गों में शत्रुता अथवा घृणा के भाव पैदा करते हैं अथवा पैदा करना चाहते हैं। अनुमान कीजिये कि श्री तंगामणि कहते हैं कि तामिल संस्कृत की अपेक्षा अधिक अच्छी भाषा है तो उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है, चाहे जितनी बार चाहें वे ऐसा कहते रहें। किन्तु जब वे संस्कृत पुस्तकों को जला कर उन्हें फाड़ कर और उनका तिरस्कार कर के संस्कृत की निन्दा करें तो वे इस धारा के अधीन अपराधी ठहराये जाते हैं। इसी प्रकार जब असमी अपनी भाषा की प्रशंसा करें तो वे इस धारा के अन्तर्गत अपराधी नहीं ठहराये जा सकते हैं। या यदि वे अपनी भाषा का अध्ययन जारी रखने के वैध अधिकार के बारे में शिकायत करें तो भी वे अपराधी नहीं हैं। यह व्याख्या अच्छे प्रयोजन के लिये निकाल दी गई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आपके भाषण से बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई हैं । क्या इस भाषण को विधेयक के साथ लगा दिया जायेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मेरा भाषण विधि न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होगा। किन्तु धारा की जो व्याख्या मैं ने प्रस्तुत की है एक मात्र वही व्याख्या संभव है। इसीलिए मैं ने कहा कि बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंकायें उचित आधार पर आधारित नहीं हैं। अतः मैं चाहता हूं कि विधेयक को पास कर दिया जाये। हम पहले ही इस पर काफी समय खर्च कर चुके हैं। यदि भविष्य में कोई वास्तविक कठिनाई पैदा हुई तो मुझे विश्वास है कि वैध शिकायत शब्दों से बचाव हो जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम, १९६१ में कुछ मामूली संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रवर समिति ने इस विधेयक में कुछ परिवर्तन किये हैं जिनका मैं अब उल्लेख करूंगा।

विधेयक को पेश करते समय जैसा कि पहले मैंने संकेत किया था कि विधेयक का नाम लम्बा है उस में प्रवर समिति ने पहला परिवर्तन किया है। पेश करने के समय विधेयक का सम्बन्ध तीन अधिनियमों अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ और दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम से था। खण्ड ३३ में निर्वाचन आयुक्त को परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन करने के अधिकार दिये गये थे। प्रवर समिति ने उस खण्ड को निकाल दिया है जिस के परिणामस्वरूप विधेयक के पूरे नाम पर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि अब इस विधेयक द्वारा दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का समापन नहीं किया जा रहा ।

खण्ड ३ के सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव यह था कि जो शुल्क विहित किया जाना था वह नियमों द्वारा विहित किया जाना था। प्रवर समिति ने यह अनुभव किया कि निर्वाचन आयुक्त को असीम अधिकार न दिये जायें और उन्होंने सिफारिश की है कि शुल्क १ रुपय से घटा कर ५० नये पैसे और ५ रुपये से घटा कर ३ रुपये कर दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में आगे संशोधन करने वाले और दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम, १९६१ में कुछ मामूली संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं ने विधेयक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। विमति टिप्पणी में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा उठायी गई बातों पर अनुकूल विचार नहीं किया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कल जारी रहेगा। अब हम और विषय पर चर्चा करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने प्रवर समिति से प्रतिवेदित रूप में इस विधेयक को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मेरे विचार से प्रवर समिति ने श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा दिये गये विमति टिप्पणों पर पूरी तरह विचार नहीं किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

भारत के खेतिहर मजदूरों के बारे में दूसरी जांच के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वैल्लौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा भारत के खेतिहर मजदूरों के बारे में दूसरी जांच के प्रतिवेदन (खंड १—अखिल भारत) पर, जो २१ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था विचार करती है।"

दूसरे जांच प्रतिवेदन के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारत में खेतिहर मजदूरों की दशा में १९५० से कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों का विनियमन करने के लिये कोई संगठित व्यवस्था नहीं है।

भारत को कृषि से होने वाली आय कुल आय का ५० प्रतिशत है। देश का ७० प्रतिशत गांवों में बसा हुआ है और वहां की जनसंख्या का पांचवां भाग कृषि श्रमिक हैं। तथापि इन में किसी प्रकार का संगठन नहीं है।

यह ध्यान रखना चाहिये कि कृषि श्रमिकों की समस्यायें पृथक नहीं हैं इनका उद्योग तथा खाद्य क्षेत्रों से घनिष्ट संबंध है। अतः यह एक मंत्री का दायित्व नहीं है अपितु दो या तीन मंत्रालयों का दायित्व है।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है इस क्षेत्र में बेरोजगारी बुरी तरह व्यापक है। अतः हमें इस ओर बहुत ध्यान देना चाहिये क्योंकि तीसरी योजना में भी जो कार्यक्रम रखा गया है उस से बेरोजगारी घटने की कोई आशंका नहीं है। वस्तुतः उनकी अवस्था में १९५०–५१ से कोई सुधार नहीं हुआ है। अपितु यदि १९५०–५१ में उन्हें २७५ दिन काम मिलता था तो अब उन्हें केवल २३७ दिन काम मिलता है। अतः इनकी दशा में कुछ बिगाड़ ही हुआ है।

खेतिहर श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय १९५०–५१ से भी गिर गयी है। १९५०–५१ में में प्रति व्यक्ति आय २६५ रु० थी। यह आय १९५६–५७ में १९४ रु० रह गयी है। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें जीविका के अन्य साधनों की खोज करनी चाहिये।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था का सब से निराशाजनक पहलू यह है कि केवल खेती पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

१९५१ के पश्चात् से ६७ प्रतिशत जनसंख्या केवल खेती पर ही आधारित है इससे यह स्पष्ट है कि भले ही औद्योगिक क्षेत्र का कितना ही विकास हो गया है तथापि वह कृषि मजदूरों को नहीं खपा सका है। १९५१ में गांवों की जनसंख्या ८२ प्रतिशत थी और नगरों की केवल १७ प्रतिशत। १९५७ में यह आंकड़े क्रमशः इस प्रकार हैं। ८१ प्रतिशत और १९ प्रतिशत। इससे यह ज्ञात होता है कि शहर की ओर लोगों का झुकाव प्रोत्साहन दिये जाने के फलस्वरूप भी बहुत कम है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि बड़े बड़े बांधों को बनाने से जो सुविधा प्राप्त हुई हैं उनसे दोहरी फसलों को उगाया जाय। जिससे खेतीहर मजदूरों को सारा वर्ष रोजगार प्राप्त हो सके।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विकास विस्तार योजना तथा खंड विकास योजनाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को इस प्रकार से समायोजित किया जाना चाहिये कि उनसे कृषकों को यथेष्ट सहायता मिले। कृषि को अर्थ सहायता मिलनी चाहिये।

दुख की बात है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम कृषि पर लागू नहीं किया गया है। इसे कृषि क्षेत्र पर भी लागू किया जाये। किसान मालिक को बोने के बहुत पहिले कृषि वस्तुओं के स्थिर मूल्यों के बारे में भी विश्वास दिलाया जाये। इससे खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन में सहायता मिलेगी।

जब हम छोटे पैमाने के उद्योगों को राजकीय सहायता दे रहे हैं तो हमें चाहिये कि हम कृषि उद्योग जो कि भारत के उद्योगों में प्रमुख है उसे भी सहायता देवें। कृषि क्षेत्र में भी चीनी को राज-सहायता दी जा रही है अतः सरकार को खाद्यान्न के संबंध में भी यही नीति बरतनी चाहिये।

छोटे पैमाने के उद्योगों को ग्राम्य क्षेत्रों तक ले जाना चाहिये। यह स्मरण रखना चाहिये कि खेतिहर मजदूर संगठित नहीं हैं अतः पहिली आवश्यकता यह है कि उनका संगठन किया जाये तथा उसकी कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाये।

अभी तक ग्रामीणों विशेषतः पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के दृष्टिकोणों में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। अतः उन लोगों का नगरों की ओर झुकाव बहुत कम हुआ है। हमें चाहिये कि हम उनका रवैया बदलने में उनकी सहायता करें।

यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ विधान पारित किये गये हैं तथापि उनसे विशेष सुधार नहीं हुआ है। भूदान में यद्यपि बहुत जमीन दी गयी है तथापि वह जमीन अनपयोगी है और उसका किसी प्रयोजन के लिये प्रयोग नहीं हो सकता है। मेरा सुझाव है कि कृषि श्रमिकों के साथ औद्योगिक श्रमिकों की तरह ही व्यवहार किया जाये। अतः मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह खाद्यान्नों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण, न्यूनतम मजूरी, कृषि के लिये अर्थ सहायता तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को गांवों तक पहुंचाने की ओर ध्यान देंगे। इनसे अवश्य कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार हो सकता है।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : यह समिति १९५४ या ५५ में नियुक्त की गयी थी। समिति ने अपन प्रतिवदन को तैयार करने में पूरे पांच वर्ष का समय लिया है। समिति ने निसंदेह बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। इससे देश की सर्वाधिक शोषित जनता की अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि खेतिहर जनता की संख्या में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका यह फल हुआ है कि इनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन भी थी वह भी नहीं रही है। मैं आशा करता हूं कि इनके संबंध में जो आगे जांच की जायेगी उसमें इतना समय नहीं लगेगा।

दूसरा तथ्य जो कि इस प्रतिवेदन से ज्ञात होता है वह यह है कि उनके बेकार रहने के दिनों में वृद्धि हो गई है। अर्थात एक ओर तो उनके बेकार रहने के दिनों में वृद्धि हो गयी है और दूसरे कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ गयी है।

जहां तक इनकी मजूरी का सम्बन्ध है वह औसतन १०६ नये पैसे से घट कर ६६ नये पैसे हो गया है। एक ओर देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों की आय में कमी हो रही है यह दशा बहुत घातक है। सरकार को इस संबंध में चेतन्य रहना चाहिये यह दशा कभी भी विस्फोट ला सकती है।

खेतिहर मजदूरों के संबंध में कुछ शोचनीय आंकड़े इस प्रकार हैं। ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या ४५ प्रतिशत से बढ़ कर ६५ प्रतिशत हो गयी है। प्रति परिवार का औसत ऋण बढ़ कर ४७ रु० से ८८ रु० हो गया है। बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इस सब का कारण यह है कि देहातों में अभी सामन्ती प्रथा को बोलबाला है इसी का परिणाम है कि गांवों की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है।

खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में मैं कुछ बुनियादी तथ्यों को सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला यह कि खेतिहर श्रमिक स्वतन्त्र नहीं होता है वह वस्तुतः अपने जमींदार के पास बन्धक होता है और यह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता है। वस्तुतः बेकारी की वृद्धि और मजूरी की कमी का यह परिणाम हो रहा है कि खेतिहर मजदूरों का खानदान का खानदान भविष्य के लिये भी जमींदारों के हाथों में रेहन हो गया है यही कारण है कि बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

इसके साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भूमि का वितरण बहुत विषम तरीके पर हुआ है। उदाहरणार्थ आंध्र में ४७ प्रतिशत व्यक्तियों के पास केवल १४ लाख एकड़ भूमि है, तो ४ प्रतिशत व्यक्तियों के पास १८ लाख एकड़ भूमि है। इन आंकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि गांवों के सामन्तों का वहां की गरीब जनता के ऊपर कितना नियंत्रण है।

आन्ध्र में इन लोगों ने बहुत सी जमीनों पर अपने परिश्रम से खेती करना आरम्भ कर दिया है और कई वर्ष से वह जमीन उनके पास है तथापि अब इस नाम पर कि जमीन किसी एक या दूसरी परियोजना के अन्तर्गत आ गयी है उन जमीनों का नीलाम किया जा रहा है मेरे विचार से एक ओर हम भूमि सुधार आन्दोलन कर रहे हैं और दूसरी ओर यह भूमि जिसके कृषि योग्य बनाने का सारा श्रेय उन खेतिहर श्रमिकों को है उनसे छीनी जा रही है मेरे विचार से यह उचित नहीं है। यदि उस भूमि का नीलाम किया जायेगा तो केवल अधिक पूंजी वाला व्यक्ति ही उसे खरीद सकेगा और इस प्रकार कृषि श्रमिक जो कि गांवों की जनसंख्या का २४ प्रतिशत है। अतः आप को चाहिये कि आप यह भूमि उन लोगों को वितरित करें जिनके पास कोई भूमि नहीं है।

इसमें संदेह नहीं कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करना बहुत कठिन है तथापि सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिये।

हमें चाहिये कि हम खेतिहर श्रमिकों की राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक चेतना जागृत करें तथा उनका निर्भीकता से नेतृत्व करें। शासक दल को चाहिये कि वह अपने कार्यकर्ताओं द्वारा

[श्री नागी रेड्डी]

इस बात का प्रयत्न करें कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, उन सभी जिलों में, जहां वह कार्यान्वित नहीं हुआ हो, क्रियान्वित किया जाये। अपने दल की ओर से मैं इसमें सहयोग का वचन देता हूं तथापि सरकार को चाहिये कि वह अपने कार्यकर्ताओं का इस कार्य के लिये सहयोग प्राप्त करे।

अब मैं भूमि सुधारों का प्रश्न लेता हूं। आपने विहित किया है कि ऐसी भूमि जो कि अच्छी व्यवस्था के अधीन हो उसका वितरण नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार यह कहा गया है कि गन्ने और फलों के बागों के अधीन आने वाली भूमि भी वितरित नहीं की जायेगी। भला इस प्रकार भूमि सुधार किस प्रकार संभव होंगे।

अतः मेरा सुझाव है कि भूमि सुधार उपायों के कार्यनिष्पादन के संबंध में जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।

सरकार इस प्रतिवेदन पर गम्भीरता से विचार करे। मेरे विचार से जब तक सरकार गावों में अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगी तब तक कृषि श्रमिकों की दशा नहीं सुधरेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में अग्रेतर और जांच करवायी जाये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): इस प्रतिवेदन से निश्चयात्मक रूप से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निम्नतम स्तर की दशा अच्छी नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि आय के केन्द्रीयकरण कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में होता जा रहा है। तथा भूमीहीन श्रमिकों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। वस्तुतः यह जान कर दुख होता है कि गांवों की २५ प्रतिशत जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। जब तक इनकी दशा में सुधार नहीं होता है तब तक हमारी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं है।

लेकिन सवाल यह है कि हमने दशा सुधारने के लिये किया क्या है? हम बाल-श्रम को हटाने की दुहाई देते हैं, लेकिन हुआ यह है कि हमारे कल्याणकारी राज्य में जहां पहले बाल श्रमिक नहीं थे अब वहां भी——उत्तर प्रदेश, आसाम और केरल में बाल-श्रमिक हो गये हैं।

हम आवास पर बड़ा व्यय करते हैं। लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार देहातों में आवास की स्थिति बड़ी गन्दी और अस्वास्थ्यकर है। दलित वर्गों और पिछड़े समुदायों की दशा तो बदतर है।

मैंने तो सोचा था कि तृतीय योजना में इस समस्या की ओर समुचित ध्यान दिया जायेगा। लेकिन मुझे निराशा ही हुई।

तृतीय योजना देखने से कहीं कोई भी आभास नहीं मिलता कि इस योजना में भी स्थिति में कुछ सुधार होगा।

योजनाकारों को बड़ी आशा है कि सामुदायिक परियोजनाओं से ही इन लोगों की दशा में सुधार होगा।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: किन लोगों की? खेतिहर मजदूरों की?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : खेतिहर मजदूरों की । इस प्रतिवेदन में उनके बारे में कहा गया है कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में रोजगार को स्थिति में शायद ही कोई सुधार हुआ है। लाभ भूस्वामियों को हो रहा है । सामुदाकिक परियोजनाओं के मूल्यांकन प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है ।

इसीलिये मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि वह देहाती समाज के इस अंग की उपेक्षा कर रही है, जिसका नतीजा यह होगा कि कुछ समय बाद सारा ग्रामीण क्षेत्र देश के औद्योगिक क्षेत्र की दया के आश्रित हो जायेगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए[

यदि सरकार इस समस्या के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करती, तो स्वयं ही इस प्रतिवेदन पर विचार का प्रस्ताव रखती ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से न ही यह रिपोर्ट इन्कार करती है और न ही कोई और इन्कार कर सकता है कि इस देश का सबसे ज्यादा कमजोर जो अंग है वह एग्रिकलचरल लेबर (खेतिहर मजदूर) है और उसी को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। उसकी तरक्की के लिए चाहे हिन्दुस्तान की सरकार हो या प्रान्तीय सरकारे हों सभी को बहुत ज्यादा ध्यान देना है।

यहां पर आज की बहस में यह साबित करने की कोशिश की गई है कि पिछली रिपोर्ट के मकाबले में इस रिपोर्ट के हिसाब से तरक्की के बजाय तनज्जुली हुई है। लेकिन यह बात सही नहीं है। मैं उन दोस्तों को जो इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करते हैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर माननीय श्री नन्दा जी ने बताया था कि यह जो फर्क है रिपोर्ट में, इसका कारण यह नहीं है कि उनकी तरक्की होने के बजाय अवनति हुई है बल्कि उसका कारण यह है कि पहली रिपोर्ट के अन्दर जितने कुनवे शामिल किए गए थे उनके मुकाबले में अब कम कुनबे शामिल किए गए हैं और जो कमी की गई है वह ऊपर के तबकों की की गई है, उनकी की गई है जिनकी आमदनी पहले कुछ ज्यादा थी। इन लोगों को एग्रिकलचरल लेबर की कैटेगरी में से निकाल दिया गया है। जब उनको उस गिनती से निकाल दिया गया है तो कुदरती तौर पर यह स्थिति बन जाती है। यह बात हिसाब में तो बिल्कुल सही उतरती है लेकिन असल में वह सही नहीं है। जिनकी ज्यादा आमदनी थी उनको निकाल दिया गया है और नीचे के जो आदमी हैं जिनकी आमदनी कम थी, उनको रखकर ही औसत निकाला गया है जो कुदरती तौर पर कम निकलता है। हिसाब के मुताबिक तो यह चीज सही है लेकिन असल में सही इसलिए नहीं है कि कम्पैरिजन जो है वह पहले के मकाबले में दूसरी चीज से है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मोटी समझ की बात है कि इस देश के अन्दर हजारों मील लम्बी सड़कें बनी हैं और उनके ऊपर मिट्टी डालने का काम हुआ है और मेरे माननीय दोस्त बतायें कि यह काम बिड़ला जी ने किया है या बड़े बड़े जमींदारों ने किया है।

अर्थ वर्क या मिट्टी डालने का जो काम है या सड़कें बनाने का काम है, या नहरें बनाने के सिलसिले में मिट्टी का जो काम है या लोहे के और दूसरे छोटे बड़े कारखाने बनाने के सिलसिले में जो इस तरह के काम हैं, उनको करवाने में जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, वह सारे का सारा एग्रिकलचरल लेबर के पास, उसके कुनबों के पास गया है। इससे अंदाज

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

लग सकता है कि हिसाब किताब पेश करने का जहां तक सम्बन्ध है, वह जैसा मैंने कहा हिसाब किताब के लिहाज से तो सही है, लेकिन असल में सही नहीं है।

मैं इस बात को मानता हूं जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनकी हालत दयनीय है, शोचनीय है और उनकी तरक्की करना बड़ा जरूरी है। कुछ मेरे भाइयों ने जमीन के बटवारे की बात कही है। वह भी इनकी हालत को सुधारने में मदद कर सकती है। यही कारण है कि हमारे देश में सीलिंग का कानून तकरीबन सारे प्रान्तों में लगाया गया है और उसको लागू किया गया है। इससे थोड़ी बहुत जमीन मिलेगी। लेकिन असल में अगर इन लोगों की मदद करनी है और इनकी हालत में सुधार लाना है तो एक दूसरा ही काम आपको करना होगा। कोई भी देश जो बढ़ा हुआ है, तरक्की किए हुए है, उसके अन्दर हमारे देश की तरह से ७० परसेंट आबादी खेती के ऊपर निर्भर नहीं करती है। एग्रिकलचरल लेबर की तरक्की हो नहीं सकती है जब तक कि उनमें से काफी को खेत से हटा करके इनहसार किसी दूसरे धंधे पर नहीं किया जाता है। मेरी राय साफ है और आप भी इस बात को जानते हैं और इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि उनको साल में कुछ दिन काम मिलता है और कुछ दिन नहीं मिलता है और जिन दिनों इनको काम नहीं मिलता है उन दिनों काम मिले; अब सवाल पैदा होता है कि कैसे काम हम इनको दे सकते हैं। जाहिर है कि घरेलू धंधे, छोटे धंधे, छोटे-छोटे कारखाने देहातों में चला कर ही इनको काम दिया जा सकता है। इस सिलसिले में माननीय श्री मनुभाई शाह ने एक नोट सर्क्युलेट किया था जिसमें उन्होंने तजवीज की है कि एक बोर्ड बनाया जाए और उस बार्ड के पास तृतीय योजना में ढाई तीन सौ करोड़ रुपया रहे और उसके साथ आल-इंडिया खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज कमिशन, हेंडीक्राफ्ट्स बोर्ड और इसी तरह की दूसरी संस्थाओं को जोड़ दिया जाए। इस बोर्ड का यह काम हो कि देहातों के अन्दर छोटी छोटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई जाएं, छोटे-छोटे काम धंधे बढ़ाये जायें। अंग्रेजों के जमाने में आज से डेढ़ दो सौ साल पहले के हिन्दुस्तान के देहात के नक्शे को देखा जाए तो पता चलेगा कि इतनी बड़ी तादाद, जबकि जमीन बहुत काफी थी और जबकि जमीन के बारे में आज जो कानून हैं, वे नहीं थे, किसी के जमीन पर खेती करने में कोई बहुत ज्यादा कानून हायल नहीं थे, जमीन पर निर्भर नहीं करती थी। इस वास्ते खेत मजदूर की तरक्की करने का सही तरीका यह है कि अब जबकि गांवों के अन्दर छोटी-छोटी सड़कें बन गई हैं, बिजली भी बहुत जगह पहुंच गई है, हजार दो हजार छोटी छोटी एस्टेट्स हम बनायें, इंडस्ट्रियल एटेट्स हम बनायें, छोटी छोटे कारखाने लगायें, जिनमें से कुछ बिजली से चलें और कुछ हाथ से चलें। हाथ के धंधे जो हमारे कारीगर किया करते थे, वे करने की उनको सभी सहूलियतें देने की व्यवस्था की जाए। कुछ धंधे पिछले डेढ़ दो सौ सालों में देहात के कारीगर करते थे लेकिन अंग्रेजों ने उनकी कारीगरी को छुड़वाया। और कइयों के हाथ कटवाए। तो वह जो हमारा पहले समाज का नक्शा था उसको हमें रिहैबिलिटेट करना है।

मैं यह कहे वगैर नहीं रह सकता कि पिछले दो प्लान्स के अन्दर, पिछले दस साल के अन्दर, जो देहात की कारीगरी, रूरल इंजस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया, देहात की इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिए जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। और जब तक वह नहीं किया जाएगा तब तक इस देश के अन्दर कोई भी लेंड रिफार्म करने से एग्रीकल्चरल लेबर की तरक्की नहीं हो सकती, कुछ हद तक हो सकती है यह मैं मानता हूं।

मैं सीलिंग (अधिकतम सीमा) के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके हक में हूं। मैं यह भी मानता हूं कि कानून बनाकर एग्रीकल्चुरल लेबर की मिनिमम वेजेज़ भी मुकर्रर करनी चाहिए और उस कानून को लागू करना चाहिए। लेकिन कानून के लागू होने से कोई यह समझे कि यह समस्या हल हो जाएगी और खेत के मजदूर की आमदनी बढ़ जाएगी, तो वह थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन उसका असली हल वह नहीं है। असली हल तो देहात में कारखानों का बढ़ावा ही है और जब तक हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे तब तक हमारी आने वाली रिपोर्टें भी ऐसी ही दिल को तोड़ने वाली होंगी। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय सरकार के ऊपर जोर डाले और ३०० करोड़ रुपए के साथ वह बोर्ड बनाया जाए और एक एक देहात के अन्दर छोटे और बड़े कारखाने बनाए जाएं।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर): इस प्रतिवेदन ने खेतिहर मजदूरों की दशा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर दिया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र है।

गत १२-१३ वर्षों में हमारे राष्ट्र ने काफी प्रगति की है। मजदूर वर्ग की औसत आय १०० से १२० रुपये तक पहुंच गई है। लेकिन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्रामीण लोगों को अधिक लाभ नहीं हो सका है।

सरकार ने इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि खेतिहर मजदूरों के काम के घण्टे पहले जितने ही हैं, न्यूनतम मजूरी तक उनको नहीं मिल पाती, बाल-श्रमिक बढ़ते जा रहे हैं। कृषकों को मुकदमे बाजी पर बहुत अधिक समय और धन खर्च करना पड़ता है। लेकिन प्रश्न है कि अब किया क्या जाये?

समस्या यह है कि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करके देश में रोजगार की संभावनायें बढ़ाई जायें या देहातों में ही कुछ ग्रामोद्योगों के जरिये लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार जुटाया जाये?

अर्थशास्त्री इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। संसार की परिस्थिति और अपने देश की सीमाओं पर मंडराने वाले खतरे को देखते हुए तेजी से औद्योगीकरण करना अत्यावश्यक है। परन्तु यदि हम उपभोग वस्तुयें तैयार करने वाले उद्योगों को देहाती क्षेत्रों में जाने के लिये प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो देहाती क्षेत्रों की जनता को कोई राह नहीं मिलेगी।

विशेषकर खाद्य और वस्त्र उद्योग को देहाती क्षेत्रों में ले जाना चाहिये। साथ ही मझोली और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। कुटीर और ग्रामोद्योगों और सहायक उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये।

तभी हम देहात के लोगों के लिये यथेष्ट रोजगार जुटा पायेंगे। तभी उनकी दशा में सुधार हो सकेगा। सरकार को इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं ने अपने माननीय बुजुर्ग की बात सुनी और जब कभी भी गरीब लोगों के सवाल उठते हैं, चाहे वह खेत मजदूर की शक्ल में हों, चाहे हरिजनों और पिछड़ी जातियों की शक्ल में हों, चाहे योजना का सवाल हो, तो यह बहुत जबरदस्त तर्क दिया जाता है कि इसे राजनीति का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। अब मैं आपके द्वारा बड़े अदब से सरकार से जानना चाहूंगा कि आखिर

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राम सेवक यादव]

यह राजनीति होती किस लिए है ? अगर राजनीति और योजना गरीबों को नहीं उठा सकतीं तो हम कुछ भी कल्याण नहीं कर सकते । राजनीति में हम रहें और उसी राजनीति को हम गाली दें यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में दो प्रकार के दुःख हैं--एक तन का और एक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल तन का दुःख है तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें पेट का दुःख है लेकिन इन के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं और जिनकी कि संख्या काफी है, जिनको कि तन और मन दोनों का दुःख है अब यह कौन लोग हैं ? यह हमारे गांवों में बसने वाले खेतिहर मजदूर हैं जोकि गांवों में बसी हुई जनसंख्या का २५ प्रतिशतः हैं । उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों समस्याएं हैं । वह कौन लोग हैं ? वह हमारे हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग हैं । यह सब खेतिहर मजदूर हैं और यह खेतों में काम करते हैं । उनकी अवस्था दयनीय और शोचनीय है ।

हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने उनके सम्बन्ध में अपनी अपनी बातें रक्खीं हैं । हम गांवों में उनके घरों को देखें, उनके कपड़ों को देखें और उनके भोजन को देखें तो हम यह पायेंगे कि शायद हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा दुखी लोग वही हैं । उनके दुखों का हम कोई बयान नहीं कर सकते कि कितना उन लोगों को दुख है । यह खेद और दुःख का विषय है कि पिछली दो पंचसाला योजनाओं में इनके दुःखों को दूर करने के लिये कुछ नहीं हुआ । अब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है । उस में कम्युनिटी डेवलपमेंट के अन्दर कुछ लोगों के वास्ते मकान बनवाए गए हैं तो कहीं पानी पीने के लिए कुएं बनवाए गए हैं । इनके अतिरिक्त उनकी हालत में और कोई सुधार नहीं हुआ है । श्रीमान, मैं चाहूंगा कि उनकी दशा में सुधार हो क्योंकि २५ सैकड़ा गांव की आबादी को यदि हम यह जाकर कहें कि हम पंचसाला योजना चला रहे हैं और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं तो यह सही और अच्छी बात न होगी और न ही हमारे केवल इतना कह भर देने से देश तरक्की की ओर जा सकता है ।

आजकल की जसी परिस्थिति है उस में खेतिहर मजदूरों की अवस्था सुधारी भी नहीं जा सकती है । मान लीजिये आप भी न्यूनतम मजदूरी का कानून बना दें और मैं आपको बतलाऊं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना भी हुआ है लेकिन उसे उस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है । वह इसलिए लागू नहीं हो सकता है क्योंकि वे लोग गांवों में इस तरीके से फैले हुए हैं कि उनका अपना संगठन ही नहीं बन सकता है और न ही उनको संगठन बनाने में कोई सहायता मिलती है ।

मेरे पास बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जहां बेगार ली जाती है । बेगार के खिलाफ भी कानून बना हुआ है लेकिन बेगार अब भी उन से ली जाती है । मजदूरी उनको नहीं के बराबर दी जाती है--४, ६ या ८ आने रोज बतौर मजदूरी के उनको दिये जाते हैं । लेकिन जो लोग उन से बेगार लेते हैं या उन्हें कम वेतन देते हैं उनके खिलाफ कोई सरकारी मशीनरी काम नहीं करती और न ही उन बेचारों में कोई जागृति अथवा संगठन है जिसके कि द्वारा वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके । अनेकों मिसालें ऐसी हैं जिनमें गांवों में उन बेचारों से बेगार ली जाती है और बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है और

सरकार यदि चाहे तो उसके जो न्यूनतम मजदूरी अथवा बेगार के खिलाफ कानून हैं उनके मातहत ऐसे लोगों को जो उन कानूनों को तोड़ते हैं और जो गरीबों का शोषण करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है ।

जहां तक अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सवाल है मैं उसे बहुत पसन्द करता हूं क्योंकि उससे गरीबों को जमीन मिलेगी और काफी राहत मिलेगी । जमीन के समुचित बंटवारे के जरिए हम उन गरीबों और भूमिहीनों को जमीन दे सकते हैं। चाहे हम योजना की रिपोर्ट को देखें और चाहे इस एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया की रिपोर्ट को देखें या जहां भी कोई चर्चा अथवा बहस इस बारे में चलती है तो यही चीज कही जाती है कि जमीन का बंटवारा होना चाहिए । गरीबों और भूमिहीनों को जमीनें देने से उनकी स्थिति सुधर जाएगी ।

कहीं कहीं पर इस सम्बन्ध में कानून भी बना हुआ है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वह कानून किस तरीके का है । एक बड़ी भारी असमानता तो इस देश में यह पाई जाती है कि एक व्यक्ति के पास तो २४, २४ और २५, २५ हजार एकड़ तक जमीन होती है और दूसरी ओर हजारों और लाखों लोगों के पास गुजारे लायक भूमि भी नहीं होती है । अब मैं श्री बिड़ला के लिए ही कहूंगा कि अकेले बिजनौर में उनके कई कई हजार एकड़ के बड़े बड़े फार्म्स बने हुए हैं। वह एक करोड़पति और अरबपति आदमी हैं और न जाने उनके कितने तो कारखाने हैं। अब उस इलाके में बसे हुए खेतिहर मजदूरों की कैसी दुर्दशा होती है इसकी सहज ही में कल्पना की जा सकती है । जब तक इस तरह का कानून नहीं बनता और जब तक हम हर एक आदमी को और खासतौर से खेत मजदूरों को उनकी जमीनें न दे दें, कोई काम धन्धा न दे दें तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है । हमें इसके खिलाफ भी कानून बनाना होगा कि कुछ बड़े बड़े लोग हजारों हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करके न बैठ जायें लेकिन यह बड़े खेद का विषय है कि अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है ।

जमीन की सीलिंग करके अर्थात् भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानून का जोकि उत्तर प्रदेश में बना हुआ है उसका कुछ नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । वहां पर सीमा निर्धारण का यह कानून बना हुआ है कि ४० एकड़ जमीन एक परिवार जिसमें कि पांच व्यक्ति हों, रख सकता है । लेकिन उसके साथ प्राविज़ो यह लगा हुआ है कि अगर उस परिवार में पांच में एक, एक करके तीन सदस्य और बढ़ जायें तो ६४ एकड़ जमीन तक वह परिवार अपने पास रख सकता है ।

इसके साथ ही उस कानून में जहां तक फेयरलैंड का सम्बन्ध है उस पर लगान के वास्ते एक क्राइटैरिया रक्खा गया है कि इतना लगान प्रति एकड़ होगा। वह डेढ़ एकड़ एक एकड़ के बराबर होगा । अगर उससे कम होगा तो दो एकड़ एक एकड़ के बराबर होगा । इतना ही नहीं उसमें यह भी प्राविजन है कि बागात पर वह कानून लागू नहीं होगा चाहे जितने बाग उसके पास क्यों न हों । इस प्राविज़ो के रहने का नतीजा यह हुआ कि जब यह कानून बन रहा था तो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जमींदार, ताल्लुकेदार और राजे, महाराजे बागात लगवा रहे थे । पटवारी और लेखपाल मुबारक रहें जिनके कि कारण उनको दरअसल बाग लगाने की भी जरूरत नहीं खाली उनके रजिस्टरों में दर्ज हो जाये कि फलांने फलांने ने बाग लगवाये हुए हैं। बाग तो वह कलम से लगाते हैं और अगर उनके रजिस्टरों में वह दर्ज हो जाये तो फिर उनकी वह जमीन महफूज रहती है । इतने

[श्री राम सेवक यादव]

पर ही बस नहीं है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पाउल्टरी फार्म लगाये हुए है, मुर्गी फार्म लगाये हुए है तो उस पर भी यह कानून नहीं लागू होगा। यदि कहीं पर डेयरी फार्म हो तो भी यह कानून वहां पर लागू नहीं होगा। ऐसी जमीन जहां पर कि फल वगैरह पैदा किये जाते हों उन पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। ऐसी भूमि जहां पर जड़ी बूटियां वगैरह लगाई जाती हों वहां पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। इन सब छूटों के रहते मैं जानना चाहूंगा कि क्या जमीन का समुचित बंटवारा करने का और गरीबों व भूमिहीनों को जमीन देने का यही रास्ता व तरीका है ? यह तो महज गरीबों को फंसाने का और धोखा देने का रास्ता है। अगर जमीनें देनी थीं तो सीधा सादा कानून बनाते जिससे कि भूमिहीनों और खेत मजदूरों को जमीनें मिल सकतीं।

खेतिहर मजदूरों में दो तरह के लोग हैं---एक तो वह जो सीधे सीधे मजदूरी करते हैं और दूसरे वह जिनके कि पास दो या तीन बीघे जमीन है और जो कि उस खेत पर काम करके अपनी रोजी नहीं कमा पाते और मजदूरी करना चाहते हैं। दोनों किस्म के लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है और दोनों की दशा दयनीय है। दो, तीन बीघे खेत जिनके पास हैं वह उस खेत में काम करके इतना पैदा नहीं कर सकते कि लगान भी दे दें और उनके बीज, मजदूरी, खाद और सिंचाई वगैरह का भी हिसाब पूरा हो जाय और खाली उससे उनका गुजर बसर नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के वास्ते चाहे वह केन्द्र की सरकार हो अथवा राज्य सरकारें हों, यदि उन में उनके वास्ते हमदर्दी की भावना है तो उनकी अलाभकर जोतों पर से लगान माफ कर दिया जाय तब जाकर उनको राहत मिल सकती है।

इस रिपोर्ट में जिक्र है कि बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं। सरकार को अन्न उपजाने की और खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने की बहुत फिक्र है लेकिन इन बंजर जमीनों को तोड़ने के लिए इन गरीबों की फौज को भरती नहीं किया जाता है। उनको पैसा देकर ऐसी जमीनों को तुड़वाया नहीं जाता है ताकि उनके ऊपर खेती बाड़ी की जा सके। ऐसा करने में दो फायदे हैं। एक तो अनाज की पैदावार बढ़ेगी और हमें बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा दूसरे देश में से बेकारी दूर होगी।

श्रीमन्, जमीन का कानून सब से गंदा कानून है और यह गरीबों को एक धोखा देने वाली चीज है। सरकार आज तक यह नहीं तय कर पाई है कि आखिर किसान है कौन। हकीकत यह है कि आज वह किसान नहीं है जोकि खेत में मेहनत करके अनाज पैदा करता है, आज किसान वह नहीं है जोकि जमीन को तोड़ता है, पानी देता है या बीज देता है, किसान तो वह माना जाता है जिसके कि लिए लेखपाल और पटवारी के खसरा और खतौनी के रेकार्ड्स में दर्ज हो जाता है कि वह हल चला कर खेती करता है। असली किसान वह माना जाता है जिसके कि लिए लेखपाल और पटवारी अपनी कलम से रेकार्ड्स में दर्ज कर देते हैं कि वह खेती करता है। जब तक यह परिभाषा नहीं बदलती है तब तक उनको किसान नहीं माना जायेगा और उस वक्त तक न तो गरीबों की दशा सुधरेगी और न ही श्रीमन्, इस देश में अन्न की कमी को पूरा किया जा सकता है क्योंकि वह लोग जोकि वाकई में खेती करते हैं उनका उसमें कुछ हिस्सा नहीं होता है। केवल ४, ६ आने प्रतिदिन मजदूरी देने से उनका भूखा पेट नहीं भर सकता है। शहरों में तो मजदूरों को रुपया अथवा डेढ़ रुपया मजदूरी मिल भी जाती है, लेकिन मैं तो गांवों के खेत मजदूरों की बात कर रहा हूं जहां कि उनको केवल ६ आने या ८ आने ही मजदूरी मिलती है। कभी कभी उनसे बेगार भी ली जाती है। अगर केन्द्र की सरकार या राज्य सरकारें चाहती हैं कि देश में अन्न की पैदावार बढ़े और उन गरीबों की दशा सुधरे तो जमीन का बंटवारा ईमानदारी के साथ होना

चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि उनकी दयनीय अवस्था में सुधार हो और खाद्यान्न की उपज देश में बढ़े तो फिर जमीन की मिलकियत खेत मजदूरों को मिलनी चाहिए और खेत मजदूरों की अलाभकर जमीनों पर से लगान हटाना चाहिए। बंजर जमीनों को तुड़वाने के वास्ते सरकार को इन लोगों की एक फौज तैयार करनी चाहिए और उनको पैसा देकर बंजर जमीनों को तुड़वा कर खेती लायक बनवाया जाय और उनको उन पर बसाया जाय तभी देश में अन्न की उपज बढ़ सकती है और उनकी अवस्था भी सुधर सकती है। खाली इस तरह के कानून से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री ल० ना० मिश्र : खेतिहर मजदूर द्वितीय जांच-प्रतिवेदन सम्बन्धी इस वाद-विवाद को मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस सभा के माननीय सदस्यों को खेतिहर मजदूरों के कल्याण की इतनी चिन्ता है। सरकार को भी उसकी उतनी ही चिन्ता है और उसने उनकी दशा सुधारने की काफी कोशिश की है। तृतीय योजना में इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री रेड्डी नागी का कथन है कि हमने कोई प्रगति नहीं की। उनके कथन के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है।

हमने तीन-चार बातों पर ज़ोर दिया है। जमींदारी और बिचौलियों का उन्मूलन, ज़ोतों की चक-बन्दी, अधिकतम सीमा निर्धारित करना और अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त। अधिकांश राज्य सरकारों ने जमींदारी उन्मूलन के लिये विधान बना दिये हैं। कई राज्यों में चक-बन्दी भी हो चुकी है। ज़ोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का काम भी सभी राज्यों में आगे बढ़ रहा है। भूमिहीनों के लिये भूमि का बन्दोबस्त करने के लिये तृतीय योजना में ४०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। आशा है कि इस योजना की समाप्ति तक वह पूरा हो जायेगा।

श्री मुनिस्वामी और श्री द्विवेदी ने निष्कर्ष निकाला है कि खेतिहर मजदूरों की दशा और बिगड़ गई है और सरकार ने उनकी उपेक्षा की है। मेरा अनुरोध है कि कोई निष्कर्ष निकालने से पहले, वे कुछ बुनियादी बातों पर विचार करलें। पहली तो यह कि इस द्वितीय प्रतिवेदन की धारणायें और परिभाषायें पहले प्रतिवेदन से भिन्न हैं। पहले प्रतिवेदन में रोजगार को और दूसरे प्रतिवेदन में आय को आधार बनाया गया है। खेतिहर मजदूर की परिभाषा भी दोनों भिन्न हैं। पहले प्रतिवेदन में खेतिहर मजदूर की परिभाषा यह थी कि वह मजूरी पर रखा जाता है फसल के काम के लिये। खेतिहर मजदूर परिवार उसे माना गया था जिसका मुखिया या जिसके आधे से अधिक सदस्य खेतों पर मजदूरी करते हों। लेकिन द्वितीय प्रतिवेदन में खेती के कामों के अलावा, पशुपालन और उद्यानिकी में काम करने वालों को भी खेतिहर मजदूर माना गया है और परिवार उसे माना गया है जिसकी अधिकांश आय इन पेशों से होती है। पहले प्रतिवेदन में खुदरा मूल्यों और दूसरे थोक मूल्यों को आधार बताया गया है। पहले प्रतिवेदन के समय, १९५०–५१ में फसल काफी कम हुई थी और मूल्य चढ़ते जा रहे थे। जब कि दूसरे प्रतिवेदन के समय १९५६–५७ में फसलों में ३० प्रतिशत वृद्धि हुई थी और मूल्यों में साढ़े सात प्रतिशत गिरावट आई थी। इसलिये दोनों के निष्कर्षों में विभिन्नता होनी ही चाहिये। इन बुनियादी बातों को समझे बिना जो भी निष्कर्ष निकाला जायेगा, वह गलत होगा ही। विभिन्न परियोजनाओं के प्रभाव को देखते हुये, हम यह मानने को तैयार नहीं कि खेतिहर मजदूरों की दशा बिगड़ी है।

यह भी सही नहीं है कि उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है। खेतिहर मजदूरों के परिवारों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। इन परिवारों की औसत आय ३९३ रुपये से बढ़ कर ४०२ रुपये हो गई है। खेतिहर मजदूरों से सम्बद्ध परिवारों की आय ४७२ रुपये से बढ़ कर ५२५

[श्री ल० ना० मिश्र]

रुपये हो गई है। बालिग खेतिहर मजदूरों को २१८ के स्थान पर २२२ दिन का काम, और मजदूरनियों को १३४ के स्थान पर १४१ दिन का काम मिलने लगा है। कर्ज़ में बढ़ती इसलिये हुई है कि उन्होंने उपज के सिलसिले में कर्ज़ लिया है। वह १९५०-५१ में १० रुपये था, और १९५६-५७ में २६ रुपये हो गया है। उपभोग भी ७८ रुपये से घट कर ६४ रुपये रह गया है। सामाजिक कार्यों के लिये व्यय १७ रुपये से बढ़ कर ३३ रुपये हो गया है।

श्री मुनिस्वामी ने खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं। मैं मानता हूं कि सुधार की गुंजाईश है। तृतीय योजना में भी इसके सुझाव दिये गये हैं। द्वितीय जांच समिति ने भी कुछ सिफारिशें इस सम्बन्ध में की हैं। हमें उनका ध्यान है। सरकार ने भी इसके कुछ उपाय सोचे हैं। पहला तो यह कि कुटीर और ग्रामोद्योगों के विकास के द्वारा उनको रोजगार जुटाने कीकोशिश की जाये। दूसरा यह कि मौजूदा ज़ोतों पर अधिक गहन खेती की जाये, प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाये। तीसरे यह कि सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, सड़क-निर्माण, इत्यादि कार्यों के जरिये देहातों की जन-शक्ति का उपयोग किया जाये। इससे खेतिहर मज़दूरों के लिये अधिक रोजगार जुटाया जायेगा और तृतीय योजना के दौरान उनकी दशा में सुधार होगा।

उनको कर्ज़ के भार से मुक्त करने की समस्या पर विचार करने के लिये सरकार ने केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड बनाया है।

हमने खेतिहर मजदूर तीसरी जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय कर लिया है। इस योजना की समाप्ति तक उसका प्रतिवेदन हमें मिल जायेगा। आशा है उसका प्रतिवेदन पिछली दोनों जांच समितियों से बेहतर होगा।

इसलिये यह निष्कर्ष निकाल लेना ग़लत होगा कि भारत में खेतिहर मजदूरों की दशा बिगड़ी है। दोनों प्रतिवेदनों के अन्तर को हमें पहले समझ लेना चाहिये। यह वाद-विवाद बड़ा लाभदायक रहा है क्योंकि दोनों पहलू इससे हमारे सामने आ गये हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: हमने अपने निष्कर्ष दोनों प्रतिवेदनों के आधार पर ही निकाले थे। अब यदि दोनों प्रतिवेदनों की कसौटी अलग-अलग हो, तो उसमें हमारा क्या दोष ?

दोनों प्रतिवेदनों के आधार भिन्न-भिन्न नहीं होने चाहिये थे। यह प्रतिवेदन तैयार करने वालों की गलती है।

हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे निष्कर्ष ग़लत निकले।

एक ग़लती यह भी है कि जांच समिति ने कुछ क्षेत्रों को नमूने के तौर पर चुनकर उनका नमूना सर्वेक्षण किया है। यदि पूरे देश का सर्वेक्षण किया जाता तो कुछ और ही निष्कर्ष निकलते।

इसलिये अब सही स्थिति जानने के लिये हमें तीसरे प्रतिवेदन तक रुकना चाहिये। तीसरी जांच समिति को एक ऐसी कसौटी रखनी चाहिये जिसे हम सभी सरलता से समझ सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेतिहर मजदूरों की कर्जखोरी बढ़ने के उपमंत्री ने कई कारण बताये हैं। यह भी सही है कि अपने परिवार के भरण-पोषण के लिये उनको कर्ज लेना पड़ता है। एक कारण यह भी है कि उनको साल भर में ७ महीने कोई काम नहीं मिलता। इसलिये कुछ सहायक उद्योग खड़े किये जाने चाहियें।

गहन खेती का मतलब है वैज्ञानिक ढंग से खेती करना। लेकिन वह बड़ी-बड़ी ज़ोतों पर ही हो सकती है। छोटी-छोटी ज़ोतों के कृषकों को सहायता दी जानी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के खेतिहर मजदूरों के बारे में दूसरी जांच के प्रतिवेदन (खण्ड १—अखिल भारतीय) पर, जो २१ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रख गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर*

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा आध घण्टे की चर्चा शुरू करेगी।

†**श्री तंगामणि :** (मदुरै) : इसके सम्बन्ध में ११ अगस्त, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ४०५ के उत्तर में कुछ बताया गया था। मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस पर आध घण्टे की चर्चा की मांग क्यों की है।

उस प्रश्न के उत्तर में रेलवे उपमंत्री ने बताया था कि २७–२–६१ को २२–२–६१ नहीं दिन में १ बज कर ५५ मिनट पर मदुरै-रामेश्वरम् डाऊन पैसेन्जर ट्रेन संख्या १८७ एक रेलवे फाटक पर, जिस पर कोई चौकीदार नहीं था, शहर की एक बस से टकरा गई, जिसके फलस्वरूप बस के दो यात्री मारे गये और आठ बुरी तरह घायल हुए।

उन्होंने अपने उत्तर में बताया था कि उनके परिवारों को कोई भी हर्ज़ाना नहीं दिया गया है। यह भी कि उस फाटक पर चौकीदार रखने के बारे में मदुरै नगरपालिका से लिखा-पढ़ी चल रही है।

पहले जब उस फाटक पर चौकीदार न रखने का निर्णय किया गया था, तब उस लाइन पर इतना आवागमन नहीं था। अब अनूपनन्दी से हर आध-आध घण्टे पर बसें चलती हैं। सुबह ८ से ११ तक और शाम को ५ से ७ बजे तक तांता सा लगा रहता है।

अब इस लाइन पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ गई है। सड़क की सतह नीची होने के कारण और मोड़ के कारण आने वाली ट्रेन को देखना मुश्किल होता है।

यह दुर्घटना दिन-दहाड़े हुई है। इस टक्कर के कारण बस उलट गई थी, और यदि वह फिर से संभल कर सही स्थिति में न आ गई होती तो दो से कहीं अधिक मौतें होतीं।

---

*आधे घंटे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

पता नहीं रेलवे प्रशासन किस ढंग से काम करता है। मैंने इसके सम्बन्ध में रेलवे महा प्रबन्धक को ३ जून को एक पत्र लिखा था। उसके उत्तर में मुझे लिखा गया था कि उस फाटक पर चौकीदार रखना और उसका निर्माण करना व्यावहारिक है। लेकिन उसका व्यय सड़क प्राधिकारी को ही वहन करना पड़ेगा और इसके बारे में स्थानीय नगरपालिका को लिखा गया है। उस उत्तर को छः महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। क्या एक और दुर्घटना होने के बाद ही निर्माण-कार्य आरम्भ होगा? रेलवे प्रशासन को तो पहले ही उस पर ध्यान देना चाहिये था। हमें बताया गया है कि देश में लगभग ३१,६०० रेलवे फाटक हैं, जिनमें से १९,००० पर चौकीदार रखे गये हैं। हर वर्ष कुछ फाटकों को ऊंची श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। विचित्र सी बात है कि इस की ओर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है।

मुझे याद है, १९५४ में रेल दुर्घटना जांच समिति ने एक प्रतिवेदन दिया था। उस में केवल उन लेवल क्रासिंग का उल्लेख है, जिन पर चौकीदार होते हैं। उन दुर्घटनाओं पर जो बिना चौकीदार के क्रासिंग पर होते हैं, समिति ने कोई विचार नहीं किया था।

सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या उक्त दुर्घटना की कोई जांच की गई है, उस जांच का परिणाम क्या है और क्या इन लोगों को कोई प्रतिकर दिया गया है और क्या कम्पनी से कोई प्रतिकर वसूल किया गया है। दुर्घटना को हुए ६ मास हो चुके हैं। मंत्रालय को चाहिए कि दुर्घटना के स्थान पर एक फाटक लगाये और उस पर एक चौकीदार रखे ताकि वहां और दुर्घटनाएं न हों।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि विधि के अनुसार दुर्घटना का उत्तरदायित्व किस पर है?

†**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या सरकार की क्रासिंग पर ऊपर या नीचे पुल बनाने की कोई योजना है?

†**श्री नि० बि० माईति** (घाटल) : क्या दुर्घटना के स्थान पर सड़क पहले बनाई गई थी या रेलवे लाइन?

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : इस बात का निर्णय करने के लिये कि ऐसी दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी रेलवे पर है या बस कम्पनी पर, क्या पुलिस द्वारा कोई जांच की जाती है?

†**श्री सुब्बया अम्बलम** (रामनाथपुरम) : क्या सरकार इस स्थान पर ऊपर का पुल बनाने की किसी योजना पर विचार करेगी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: पीड़ित परिवारों के लिए हमें सहानुभूति है। यदि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, तो बहुत ही अच्छा हो। किन्तु साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिकर का कोई दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुर्घटना दिन के समय हुई, बस ड्राइवर ने रेलवे लाइन तब पार की जब गाड़ी बिल्कुल पास थी। रेलवे की ओर से कोई असावधानी नहीं हुई।

एक मृत व्यक्ति की विधवा ने ४५,००० रुपये का दावा किया था। परन्तु यह अस्वीकार कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे विनियमों के अधीन, गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड को दुर्घटना की सूचना सब से करीब के स्टेशन पर देनी पड़ती है। इस मामले में ड्राइवर और गार्ड की सूचना पर हम ने स्वयं पुलिस द्वारा जांच करवा ली है। राज्य के प्राधिकारी अलग से जांच करवाते हैं। रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यह बस ड्राइवर की असावधानी का परिणाम है। चूंकि गाड़ी की टक्कर या दुर्घटना का मामला नहीं है, इसलिए भारतीय रेलवे अधिनियम इस पर लागू नहीं होते। यदि कोई दावा हो भी सकता है, तो यह १८५५ के भारतीय दुर्घटना अधिनियम के तहत किया जा सकता है।

हमारी रेलवे व्यवस्था में ३१६०० लेवल क्रासिंग हैं। इन में से १२६०० पर चौकीदार हैं और लगभग १९००० पर नहीं हैं। रेलवे लाइन बिछाते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है कि किस स्थान पर क्या करना चाहिए। यदि १० वर्ष के अन्दर अंदर कुछ परिवर्तन करना पड़े तो हम करते हैं किन्तु उसके बाद दूसरे संबंधित प्राधिकारों का भी उत्तरदायित्व हो जाता है, क्योंकि शहरों की आबादी और सीमाएं बढ़ जाती हैं। मुदरै में जिस क्रासिंग पर यह दुर्घटना हुई है, वहां कुछ समय पूर्व कोई आबादी न थी और नगर पालिका ने हाल में उस स्थान तक अपनी सीमा का विस्तार किया है। पहले यहां यातायात भी कम था और बसों का आना जाना भी नहीं था इसलिए इस क्रासिंग पर कोई चौकीदार नहीं था।

यदि ऐसे सभी क्रासिंग पर, जहां चौकीदार नहीं हैं, चौकीदार रखे जायें और फाटक और उनके रहने के लिए क्वार्टर बनवाये जायें, तो उस पर २० करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और १० करोड़ रुपये का आवर्तक व्यय आयेगा। केवल क्रासिंग पर चौकीदार न होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की अल्प संख्या को देखते हुए इतना रुपया खर्च करना उचित न होगा। ऐसी दुर्घटनाओं के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृत	आहत
१९५७-५८	९२	२२	११५
१९५८-५९ .	९५	२६	७१
१९५९-६० . . .	८८	११	८४

१९६० के आंकड़े ज्ञात नहीं हैं परन्तु दुर्घटनाओं में निरन्तर कमी हुई है। गाड़ियों के और सड़क और पैदल यातायात को देखते हुए यह संख्या अधिक नहीं है और २० करोड़ रुपये का पूंजी व्यय और १० करोड़ का आवर्तक व्यय न्यायसंगत नहीं होगा।

यदि सड़क यातायात बढ़ गया है, यदि शहर बढ़ गये हैं, बसें अधिक हो गई हैं और बाहरी क्षेत्र भी नगरपालिकाओं की सीमा के अन्दर आ गये हैं, तो क्या इसका सारा उत्तरदायित्व केवल रेलवे पर है?

पुलों के बारे में परिवहन मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से यह नीति निर्धारित की गई है कि यदि रेलवे लाइन राष्ट्रीय राज पथ में से गुजरती है, तो परिवहन मंत्रालय केवल क्रासिंग तक सड़क बनायेगा और रेलवे मंत्रालय केवल लाइन पर ऊपर का पुल बनायेगा। रेलवे का उतर दायित्व केवल लाइन के ऊपर के पुल तक ही है। यदि यह नगरपालिका की सीमा के अन्दर है, तो उसे रुपया स्वयं ढूंढना पड़ेगा।

[श्री सें० वें० रामास्वामी]

वास्तव में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को पेशकश की है कि वे फाटक तक जाने वाली सड़कें बनाने के लिए उस से ऋण ले सकती है।

यह आवश्यक है कि जहां सड़क यातायात बढ़ जाने के कारण भीड़ बहुत बढ़ गई, है, वहां सड़क और रेल अधिकारियों दोनों को मिल कर इस को नियमित करने का हल ढूंढना होगा। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय मदुरै नगरपालिका से पत्र व्यवहार कर रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि वह कितना रुपया देने के लिए तैयार है।

क्रासिंग पर चौकीदार इसलिये नहीं था कि क्योंकि वहां यातायात नहीं था, अब हम मदुरै नगरपालिका से पत्र व्यवहार कर के कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[दैनिक संक्षेपिका]

गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१
————————
९ भाद्र, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३००५–२६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०९८	केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्था	३००५—०७
११०१	मंगला बांध	३००७—०९
११०६	पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारी	३००९—११
११०८	मिनेसोटा में भारतीय विद्यार्थियों पर हमला	३०११—१३
११०९	केन्द्रीय आवास निगम	३०१३—१५
१११२	सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सामुदायिक केन्द्र	३०१५–१६
१११५	राष्ट्रीय आय का वितरण	३०१६—१९
१११६	त्रिपुरा में फेनी नदी	३०२०—२३
१११७	संसत्सदस्यों को बंगलों का दिया जाना	३०२३—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३०२६—७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०९९	फास्फोरस कारखाना	३०२६–२७
११००	अशोक होटल	३०२७
११०२	दौरे	३०२७–२८
११०३	त्रिपूनीथुरा में केबिल कारखाना	३०२८
११०४	बदरूचक और सिमलावहल की कोयला खानों में दुर्घटनायें	३०२९
११०५	ट्रैक्टरों का आयात	३०२९
११०७	मद्रास में उर्वरक कारखाना	३०२९–३०
१११०	स्कूटरों के इंजनों का निर्माण	३०३०
११११	सरकारी ठेके	३०३०–३१
१११३	पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में एक सड़क का निर्माण	३०३१
१११४	विज्ञापन	३०३१–३२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१११८	गुजरात में औद्योगिक संकट . . .	३०३२
१११९	पटसन मिलों को कच्चे पटसन का संभरण . . .	३०३२—३३
११२०	अमरीका परीयोजना "नीडल्स"	३०३३
११२१	चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति	३०३३
११२२	भारी पम्प तथा कम्प्रैसर	३०३४
११२३	कलकत्ता निगम का केन्द्रीय सरकार पर बकाया कर .	३०३४
११२४	पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावे	३०३४—३५
११२५	पाकिस्तान की डाक .	३०३५
११२६	सुरक्षा उपकरण समिति . .	३०३५—३६
११२७	तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन	३०३६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६१२	भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा . .	३०३६—३७
२६१३	काचा थिवू द्वीप . . .	३०३७
२६१४	सुपर फास्फेट संयंत्र . .	३०३७
२६१५	ढोरों का निर्यात .	३०३७—३८
२६१६	विदेशस्थित भारतीय मिशन	३०३८
२६१७	पशुपतिनाथ मन्दिर (नेपाल) को जाने वाले यात्रियों को सुविधायें . . .	३०३८
२६१८	शिक्षित बेकार लोगों को रोजगार देना	३०३९
२६१९	अनुशासन संहिता का उल्लंघन .	३०३९
२६२०	सीमेंट उद्योग में काम करने वाले मजदूर .	३०३९
२६२१	आसाम में पटसन उद्योग .	३०४०
२६२२	बिहार का औद्योगिक विकास .	३०४०
२६२३	मद्रास में नकली रेशम उद्योग	३०४१
२६२४	महाराष्ट्र में ग्राम आवास योजना .	३०४१
२६२५	मध्यम और निम्न आय वर्ग आवास योजनायें	३०४१
२६२६	मंत्रियों के निवासों पर व्यय की गई राशि .	३०४१—४२
२६२७	पंजाब में कुटीर उद्योग .	३०४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

२९२८	उडीसा में नारियल जटा उद्योग	३०४२–४३
२९२९	क्वार्टरों का दिया जाना	३०४३
२९३०	मनीपुर में व्यावसायिक शिल्पों की राज्य परिषद	३०४३–४४
२९३१	मनीपुर में कागज बनाने का कारखाना	३०४४
२९३२	तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन काश्मीर में उद्योग	३०४४–४५
२९३३	पंजाब में औद्योगिक लाइसेन्स	३०४५
२९३४	जम्मू तथा काश्मीर युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	३०४५
२९३५	लंका से आये भारतीय राष्ट्रजन	३०४५–४६
२९३६	नागा लोग	३०४६
२९३७	ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी की हत्या	३०४६
२९३८	नकली रेशम उद्योग	३०४६
२९३९	अखबारी कागज का चोर बाजार	३०४७
२९४०	नई दिल्ली की पुनर्विकास योजना	३०४७
२९४१	कैलाश व मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधायें	३०४७–४८
२९४२	वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेन्स का दुरुपयोग	३०४८
२९४३	सिक्किम की प्रतिरक्षा	३०४८–४९
२९४४	पशुओं व पक्षियों का निर्यात	३०४९
२९४५	केरल में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने मकान	३०४९–५०
२९४६	उत्तर प्रदेश में कपड़े का मूल्य	३०५०
२९४७	केरल में कोरट्टी में सरकारी प्रैस	३०५०
२९४८	मध्यम आय वर्ग आवास योजना	३०५०
२९४९	नई कताई प्रणाली	३०५१
२९५०	बिहार में ग्राम आवास योजना	३०५१
२९५१	मिकिर पहाड़ियों से शरणार्थियों को निकालना	३०५१–५२
२९५२	जूतों का निर्यात	३०५२–५३
२९५३	लाइसेंस दिये जाने में अनियमिततायें	३०५३
२९५४	समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६०	३०५३
२९५५	शिक्षकों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था	३०५४
२९५६	सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के फ्लैट	३०५४
२९५७	दिल्ली तथा अन्य राज्यों के लिये इस्पात का कोटा	३०५४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२९५८	मकान बनाने की सोवियत विधि	३०५५
२९५९	लोहे की ढलाई का कारखाना	३०५५
२९६०	उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का विकास	३०५५–५६
२९६१	राज्यों के योजना विभागों के सचिवों का सम्मेलन	३०५६
२९६२	केन्द्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, मद्रास	३०५६
२९६३	कपड़ा मिल मालिक	३०५७
२९६४	मंत्रियों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता	३०५७
२९६५	हलों का निर्माण	३०५७
२९६६	राष्ट्र मंडल प्रेस यूनियन फैलोशिप योजना	३०५७–५८
२९६७	विमानों द्वारा भारतीय व्यापार	३०५८
२९६८	टाइप लाइनें सेट करने और ढालने के लिये स्वचालित मशीन	३०५८–५९
२९६९	प्रलेखीय चलचित्र	३०५९
२९७०	बिजली का सामान	३०५९–६०
२९७१	गोरखपुर मजदूर संगठन	३०६०
२९७२	विदेश भेजे गये प्रशिक्षार्थी	३०६०
२९७३	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात का आयात	३०६१
२९७४	अल्पकालीन समाज कल्याण पाठ्यक्रम	३०६१
२९७५	खानों के बन्द होने से बेकार हुए मजदूर	३०६१–६२
२९७६	दिल्ली की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग	३०६२–६३
२९७७	पोलिश चलचित्र	३०६३
२९७८	रुई का मूल्य	३०६३
२९७९	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	३०६३
२९८०	टेलीविजन	३०६४
२९८१	प्रति व्यक्ति व्यय	३०६४
२९८२	हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना	३०६४
२९८३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारी	३०६५
२९८४	क्वार्टरों में बिजली के कनेक्शन	३०६५
२९८५	दंडकारण्य में उद्योग	३०६५
२९८६	अन्तर्राष्ट्रीय रेशम कांग्रेस	३०६६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

२९८७	मद्रास में सहायक उद्योगों का सर्वेक्षण . . .	३०६६–६७
२९८८	चेकोस्लोवाकिया को लौह-अयस्क का निर्यात .	३०६७
२९८९	सूती कपड़ों की कीमतें . . .	३०६७
२९९०	कलकत्ते में मुसलमानों के धार्मिक स्थान . .	३०६७–६८
२९९१	गन्दी बस्तियां हटाना	३०६८–६९
२९९२	पंचकुई रोड, नई दिल्ली पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर	३०६९
२९९३	सरकारी क्वार्टरों का किराया . .	३०७०
२९९४	घड़ियों का निर्माण	३०७०
२९९५	इम्फाल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था . .	३०७०–७१
२९९६	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा	३०७१
२९९७	आकाशवाणी	३०७१–७२
२९९८	खास कजोरा कोयला खान, पश्चिम बंगाल .	३०७२
२९९९	केन्द्रीय सूचना सेवा . .	३०७२–७३
३०००	वैज्ञानिकों के वेतन क्रम	३०७३
३००३	रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के लाभ . .	३०७३–७४
३००४	काजू के मूल्यों में गिरावट	३०७४
३००५	नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात . . .	३०७४–७५
३००६	अम्सटर्डम में नीलाम के लिये भारतीय चाय . .	३०७५
३००७	चाय संबंधी कार्यकारी दल	३०७५
३००८	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	३०७६

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव ३०७६–७९

श्री ब्रजराज सिंह ने मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के एक प्रस्ताव की सूचना दी। अध्यक्ष महोदय ने उन सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहा जो अनुमति देने के पक्ष में थे। क्योंकि पचास सदस्यों से कम सदस्य खड़े हुए अतः अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि सदस्य को सभा की अनुमति प्राप्त नहीं हुई।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०७८-७९

(१) प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार करने वाले पक्षों के १५ से १९ मई, १९६१ तक जेनेवा में हुए १९ वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) आविष्कार संवर्धन बोर्ड द्वारा १९६०-६१ और १९६१-६२ के वित्तीय वर्षों में मंजूर की गई और बांटी गई सहायता की राशि बताने वाला विवरण ।

(३) कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, १९६१ की एक प्रति ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३०८०

पच्चीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पुरःस्थापित ३०८०

(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक, १९६१,

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१ ।

विधेयक पारित . . . . ३०८०—३१०५

(१) ३०-८-१९६१ को प्रस्तुत भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार करने के प्रस्ताव तथा तत्संबंधी संशोधन पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने चर्चा का उत्तर दिया। विधेयक पर राय जानने के लिये परिचालित करने संबंधी संशोधन पर मतविभाजन हुआ, पक्ष में २२, विपक्ष में ११९ तथा संशोधन अस्वीकृत हुआ। विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड २ से ४ और १ स्वीकृत हुए। और विधेयक पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

(२) सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) ने प्रस्ताव किया कि समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के पश्चात्, विधेयक पारित किया गया।

विधेयक विचाराधीन ३१०६–०७

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) ने प्रस्ताव किया कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

खेतिहर मजदूरों के बारे में दूसरी जांच के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव . ३१०७––१९

श्री न० रा० मुनिस्वामी ने खेतिहर मजदूरों के बारे में दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री न० रा० मुनिस्वामी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आधे घंटे की चर्चा ३११९––२२

श्री तंगामणि ने मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४०५ के ११ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने चर्चा का उत्तर दिया।

१ सितम्बर, १९६१/भाद्र १०, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर अग्रेतर चर्चा और उस का पारित किया जाना। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।

G.M.G.IPND—I.S. III—1207(Ai)L S—7-10-61—125